वित्त विधेयक, 2002

प्रत्यक्ष-कर के संबंध में उपबंध

वित्त विधेयक, 2002 में, प्रत्यक्ष-कर के क्षेत्र में निम्नलिखित विषयों के संबंध में उपबंध हैंः-

(i) निर्धारण वर्ष 2002-2003 के लिए कर के लिए दायी आय पर, आय-कर की दरों का विहित किया जाना, उन दरों का विहित किया जाना; जिन पर वित्तीय वर्ष 2002-2003 के दौरान ब्याज (जिसके अन्तर्गत प्रतिभूति पर ब्याज भी है), लाटरी या वर्ग पहेली से जीत, घुड़दौड़ से जीत,ताश के खेल और ऐसे अन्य प्रवर्ग की आय पर, जो आय-कर अधिनियम के अधीन स्रोत पर ऐसी कटौती के दायित्वाधीन है, वित्तीय वर्ष 2002-2003 के लिए कुछ दशाओं में चालू आय पर "अग्रिम कर" की संगणना करने, "वेतन" से आय-कर की कटौती करने, कर संदाय करने तथा आय-कर प्रभारित करने के लिए दरों का विहित किया जाना।

(ii) विनिधान और औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन, ऋण/पूंजी बाजार तथा वित्तीय सेक्टर को प्रोत्साहन, आर्थिक विकास को त्वरित करने के लिए उपाय, पर्यटन को बढ़ावा देने के उपाय, करदाता की सहायता, सुव्यवस्थीकरण और सरलीकरण, कर परिवर्जन को रोकने, कर आधार को बढ़ाने के उपाय, कल्याणकारी उपायों, संसाधन जुटाने के उपाय तथा कर प्रशासन को सुदृढ़ बनाने, को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से, अन्य बातों के साथ-साथ, आय-कर अधिनियम का संशोधन।

(iii) धन-कर अधिनियम, 1957 का संशोधन।

(iv) व्यय-कर अधिनियम,1987 का संशोधन।

(v) भारतीय जीवन बीमा अधिनियम, 1956 का संशोधन।

(vi) साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 का संशोधन।

(vii) तेल उद्योग (विकास) अधिनयम, 1974 का संशोधन।

(viii) राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड अधिनियम, 1987 का संशोधन।

(ix) प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) अधिनियम, 1990 का संशोधन।

2. ऐसे कुछ अपवादों के अधीन रहते हुए, जिन्हें सुसंगत उपबंधों की व्याख्या करते समय उपदर्शित किया गया है, विधेयक इस सिद्धांत का अनुसरण करता है कि चालू आय के संबंध में कर विधि के उपबंधों में परिवर्तन साधारणतया भविष्यलक्षी प्रभाव से होने चाहिए, न कि विगत वर्षों की आय के संबंध में। प्रत्यक्ष-करों के संबंध में, विधेयक के मुख्य उपबंधों का सार निम्नलिखित पैराओं में स्पष्ट किया गया हैः-

आय-कर

I. निर्धारण वर्ष 2002-2003 के लिए कराधेय आय की बाबत आय-कर की दरें

निर्धारण वर्ष 2002-2003 के लिए कर के लिए दायी सभी प्रवर्गों के करदाताओं (निगमित और अनिगमित) की आय की बाबत, आय-कर की दरें विधेयक की पहली अनुसूची के भाग 1 में विनिर्दिष्ट की गई हैं और ये दरें वही हैं, जो वित्त अधिनियम, 2001 की पहली अनुसूची के भाग 3 में अधिकथित हैं, जो वित्तीय वर्ष 2001-2002 के दौरान "अग्रिम कर" की संगणना करने, "वेतन" से स्रोत पर कर की कटौती करने तथा कुछ दशाओं में संदेय कर प्रभारित करने के प्रयोजनों के लिए हैं। यह भी विनिर्दिष्ट किया गया है कि ऐसे व्यष्टिक, हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब, व्यक्तियों के संगम, व्यष्टिकों के निकाय, जिनकी कुल आय 60,000 रुपए से अधिक है, की दशा में अध्याय 8क के अधीन छूट के पश्चात् इस प्रकार संगणित कर में संघ के प्रयोजनों के लिए दो प्रतिशत के अधिभार के रूप में वृद्धि की जाएगी। कृत्रिम विधिक व्यक्ति, फर्म, स्थानीय प्राधिकारी, सहकारी सोसाइटी देशी कंपनी की दशा में, इस प्रकार संगणित कर में दो प्रतिशत के अधिभार के रूप में वृद्धि की जाएगी।

II. वित्तीय वर्ष 2002-2003 के दौरान 'वेतन' से भिन्न आय से स्रोत पर आय-कर की कटौती की दरें

वित्तीय वर्ष 2002-2003 के दौरान "वेतन" से भिन्न आय से स्रोत पर आय-कर की कटौती की दरें, विधेयक की पहली अनुसूची के भाग 2 में विनिर्दिष्ट की गई हैं। ये दरें प्रतिभूति पर लांभाश ब्याज, प्रतिभूति पर ब्याज से भिन्न ब्याज, बीमा कमीशन, लाटरी या वर्ग पहेली से जीत, घुड़दौड़ से जीत के रूप में आय को तथा अनिवासी (जिनके अन्तर्गत अनिवासी भारतीय भी हैं) की आय को लागू होती हैं । ये दरें मोटे तौर पर वही हैं, जो वित्तीय वर्ष 2001-2002 के दौरान स्रोत पर आय-कर की कटौती के प्रयोजनों के लिए वित्त अधिनियम, 2001 की पहली अनुसूची के भाग 2 में विनिर्दिष्ट हैं। तथापि, कंपनी से भिन्न व्यक्ति को संदत्त लांभाश की बाबत जहां व्यक्ति भारत में निवासी है और देशी कंपनी की दशा में, कर की कटौती की दर दस प्रतिशत विहित की गई है । उन विदेशी कंपनियों जिनके लिए भाग-2 में विनिर्दिष्ट दरें विहित की जाती है, से भिन्न विदेशी कंपनी की आय की बाबत कर की कटौती की दर में विद्यमान दर को अड़तालीस प्रतिशत से घटाकर चालीस प्रतिशत किया गया है । प्रत्येक मामले में (जिसमें विदेशी कंपनी भी है) स्रोत पर कर की कटौती में पांच प्रतिशत के अधिभार के रूप में वृद्धि की जाएगी।

III. वित्तीय वर्ष 2002-2003 के दौरान 'वेतन' से स्रोत पर आय-कर की कटौती, 'अग्रिम-कर' की संगणना और विशेष दशाओं में आय-कर प्रभारित करने की दरें

निर्धारण वर्ष 2002-2003 के दौरान, "वेतन" से स्रोत पर आय-कर की कटौती की दरें और करदाताओं के सभी प्रवर्गों की दशा में, उस वर्ष के दौरान संदेय "अग्रिम कर" की संगणना के लिए भी आय-कर की कटौती की दरें, विधेयक की पहली अनुसूची के भाग 3 में विनिर्दिष्ट की गई हैं। ये दरें उन मामलों में, जहां त्वरित निर्धारण किए जाने हैं, जैसे कि अनिवासियों को भारत में पोत परिवहन से उद्भूत लाभों के अनंतिम निर्धारण, उस वित्तीय वर्ष के दौरान सदैव के लिए भारत छोड़ने वाले व्यक्तियों की दशा में, निर्धारण या ऐसे व्यक्तियों का निर्धारण, जिनके द्वारा कर, आदि से बचने के लिए सम्पत्ति अन्तरित किए जाने या लघु अवधि आदि के लिए बनाए गए निकायों का निर्धारण किए जाने की संभावना है, चालू आय पर वित्तीय वर्ष 2002-2003 के दौरान आय-कर प्रभारित करने के लिए भी लागू हैं। उक्त भाग 3 में विनिर्दिष्ट दरों की मुख्य बातें निम्नलिखित पैराओं में उपदर्शित की गई हैं :-

क. व्यष्टिक, हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब, आदि

पहली अनुसूची के भाग 3 का पैरा क व्यष्टिक, हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब, व्यक्तियों के संगम, आदि के मामले में आय-कर की दरें विनिर्दिष्ट करता है।

दर संरचना में कोई अन्य परिवर्तन प्रस्तावित नहीं है। तथापि, व्यक्तियों की दशा में जिनकी की कुल आय 60,000/- से अधिक है, संदेय कर में संघ के प्रयोजनों के लिए संदेय कर की (अध्याय 8क के अधीन छूट अनुज्ञात करने के पश्चात्) पांच प्रतिशत की दर से अधिभार के रूप में वृद्धि की जाएगी। ऐसे व्यक्तियों द्वारा कोई अधिभार संदेय नहीं होगा जिनकी आय 60,000/- रुपए या उससे कम है। उपांतिक सहायता का उपबंध यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया है कि 60,000/- रुपए से अधिक आय होने पर, संदेय आय-कर की अतिरिक्त रकम, जिसमें अधिभार भी है, ऐसी रकम तक सीमित है जिसके द्वारा आय 60,000/- रुपए से अधिक होती है।

आय-स्लैब और आय-कर की दरें नीचे दी गई हैं। स्तंभ (क) विधेयक की पहली अनुसूची के भाग 1 के पैरा क में दी गई दरों को विनिर्दिष्ट करता है और स्तंभ (ख) विधेयक की पहली अनुसूची के भाग 3 के पैरा क में दी गई दरों को विनिर्दिष्ट करता हैः-

सारणी

(क)		(ख)	
आय-स्लैब	**विधेयक की पहली अनुसूची के भाग 1 में यथा विनिर्दिष्ट दरें (अर्थात्, वर्तमान दरें)**	**आय-स्लैब**	**विधेयक की पहली अनुसूची के भाग 3 में यथा विनिर्दिष्ट दरें (अर्थात्, प्रस्तावित दरें)**
50,000 रुपए तक	शून्य	50,000 रुपए तक	शून्य
50,001 रुपए - 60,000 रुपए	10%	50,001 रुपए - 60,000 रुपए	10%
60,001 रुपए - 1,50,000 रुपए	20% [1]	60,001 रुपए - 1,50,000 रुपए	20% [2]
1,50,000 रुपए से अधिक	30% [3]	1,50,000 रुपए से अधिक	30% [4]

1. *इस स्लैब में व्यक्तियों को अध्याय 8क के अधीन रिबेट के पश्चात् संदेय कुल आय-कर पर दो प्रतिशत के अधिभार का संदाय करना अपेक्षित होगा।*
2. *इस स्लैब में व्यक्तियों को अध्याय 8क के अधीन रिबेट के पश्चात् संदेय कुल आय-कर पर पांच प्रतिशत के अधिभार का संदाय करना अपेक्षित होगा।*
3. *इस स्लैब में व्यक्तियों को अध्याय 8क के अधीन रिबेट के पश्चात् संदेय कुल आय-कर पर दो प्रतिशत के अधिभार का संदाय करना अपेक्षित होगा।*
4. *इस स्लैब में व्यक्तियों को अध्याय 8क के अधीन रिबेट के पश्चात् संदेय कुल आय-कर पर पांच प्रतिशत के अधिभार का संदाय करना अपेक्षित होगा।*

व्यष्टियों, हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब, आदि की दशा में, छूट सीमा में अधिभार के उद्ग्रहण का प्रभाव विभिन्न आय स्तरों पर निम्न प्रकार से होगाः

कुल आय (रुपए)	**विद्यमान कर दायित्व (रुपए)**	**नया कर दायित्व (रुपए)**	**अतिरिक्त कर दायित्व (रुपए)**	**अतिरक्त कर (%)**
50,000	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
55,000	500	500	शून्य	शून्य
60,000	1,000	1,000	शून्य	शून्य
60,010	1,010 *	1,010 *	शून्य	शून्य
60,020	1,020 *	1,020 *	शून्य	शून्य
60,050	1,030	1,050 *	20	1.94
60,100	1,040	1,071	31	2.98
60,200	1,061	1,092	31	2.92
65,000	2,040	2,100	60	2.94
75,000	4,080	4,200	120	2.94
1,50,000	19,380	19,950	570	2.94
2,00,000	34,680	35,700	1,020	2.94
3,00,000	65,280	67,200	1,920	2.94
4,00,000	95,880	98,700	2,820	2.94
5,00,000	1,26,480	1,30,200	3,720	2.94
10,00,000	2,79,480	2,87,700	8,220	2.94
25,00,000	7,38,480	7,60,200	21,720	2.94
1,00,00,000	30,33,480	31,22,700	89,220	2.94

* *उपांतिक सहायता का उपबंध यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया है कि 60,000/- रुपए से अधिक आय होने पर, अतिरिक्त संदेय आय-कर , जिसमें अधिभार भी है, ऐसी रकम तक सीमित है जिसके द्वारा आय 60,000/- रुपए से अधिक होती है।*

ख. सहकारी सोसाइटी

सहकारी सोसाइटी की दशा में, आय-कर की दरें, विधेयक की पहली अनुसूची के भाग 3 के पैरा ख में विनिर्दिष्ट की गई हैं। ये दरें वही हैं जो विधेयक

की पहली अनुसूची के भाग 1 के तत्स्थानी पैरा में विनिर्दिष्ट हैं। संदेय कर में संघ के प्रयोजनों के लिए संदेय कर के पांच प्रतिशत की दर से अधिभार द्वारा वृद्धि की जाएगी।

ग. फर्म

फर्म की दशा में, आय-कर की दर विधेयक की पहली अनुसूची के भाग 3 के पैरा ग में विनिर्दिष्ट की गई है। यह दर 35 प्रतिशत ही है। फर्मों द्वारा संदेय कर में संघ के प्रयोजनों के लिए, संदेय कर में पांच प्रतिशत की दर से अधिभार द्वारा वृद्धि की जाएगी।

घ. स्थानीय प्राधिकारी

स्थानीय प्राधिकारियों की दशा में, आय-कर की दर, विधेयक की पहली अनुसूची के भाग 3 के पैरा घ में विनिर्दिष्ट की गई है। यह दर वही है, जो विधेयक की पहली अनुसूची के भाग 1 के तत्स्थानी पैरा में विनिर्दिष्ट है। संदेय कर में संघ के प्रयोजनों के लिए संदेय कर के पांच प्रतिशत की दर से अधिभार द्वारा वृद्धि की जाएगी।

ङ. कंपनियां

कंपनियों की दशा में, आय-कर की दर विधेयक की पहली अनुसूची के भाग 3 के पैरा ङ में विनिर्दिष्ट की गई है। देशी कंपनियों के लिए 35 प्रतिशत की विद्यमान दरों में कोई परिवर्तन नहीं है। तथापि,विदेशी कंपनियों के लिए दर को कम करके 40 प्रतिशत किया गया है। विदेशी कंपनियों के साथ-साथ देशी कंपनियों दोनों, द्वारा संदेय कर में, संघ के प्रयोजनों के लिए संदेय कर में पांच प्रतिशत की दर से अधिभार द्वारा वृद्धि की जाएगी।

[खंड 2 और पहली अनुसूची]

विनिधान और औद्योगिक वृद्धि के लिए प्रोत्साहन

नई मशीनरी और संयंत्र पर अतिरिक्त अवक्षयण

आय-कर अधिनियम की धारा 32 की उपधारा (1) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन, निर्धारिती के पूर्णतः या भागतः स्वामित्व और आय-कर नियम, 1962 के अधीन विहित दरों पर कारबार या वृत्ति के प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त आस्तियों पर अवक्षयण की बाबत कटौती अनुज्ञात की जाती है।

विनिर्माण सेक्टर में अभिवृद्धि करने की दृष्टि से, 31 मार्च,2002 के पश्चात् अर्जित या संस्थापित किसी मशीनरी या संयंत्र की वास्तविक लागत के पंद्रह प्रतिशत के बराबर की और राशि की उस पूर्व वर्ष में, कटौती अनुज्ञात करने के लिए प्रस्ताव किया जाता है जो,--

(i) नए औद्योगिक उपक्रम की दशा में, जिसमें वह किसी वस्तु या चीज का विनिर्माण या उत्पादन आरंभ करता है; या

(ii) विद्यमान औद्योगिक उपक्रम की दशा में, उस पूर्व वर्ष में, जिसमें वह पच्चीस प्रतिशत से अन्य संस्थापित क्षमता में वृद्धि के रूप में सारवान् विस्तार प्राप्त करता है,

ऐसी और राशि, आस्ति के अवलिखित मूल्य से कटौती योग्य होगी। "संस्थित क्षमता" से अभिप्रेत है 31 मार्च, 2002 को या उसके पश्चात् आरंभ होने वाले किसी पूर्ववर्ती वर्ष की अंतिम तारीख को यथाविद्यमान उत्पादन क्षमता ।

प्रस्तावित संशोधन 1 अप्रैल, 2003 से प्रभावी होगा और तद्नुसार, निर्धारण वर्ष 2003-2004 और पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 14]

पोत परिवहन कारबार के आधुनिकीकरण और द्रुत विस्तार के लिए राजकोषीय प्रोत्साहन

आय-कर अधिनियम की धारा 33कग के विद्यमान उपबंधों के अधीन, ऐसी सरकारी कंपनी या पब्लिक कंपनी को, जो पोतों के प्रचालन का कारबार करने के मुख्य उद्देश्य से निर्मित की गई है और भारत में रजिस्ट्रीकृत है, कतिपय शर्तों के अधीन रहते हुए, पोतों के प्रचालन के कारबार और आरक्षित लेखा अग्रनीत करने से व्युत्पन्न लाभ के शतप्रतिशत से अधिक की रकम अनुज्ञात की जाती है, तथापि, उक्त धारा की उपधारा (1) का प्रथम परंतुक यह उपबंध करता है कि जहां अग्रनीत रकमों का योग (आरक्षितियों से पूंजीकृत रकमों को छोड़कर) निर्धारती की समादत्त शेयर पूंजी की रकम के दुगुने से अधिक हो जाता है, वहां ऐसे आधिक्य की बाबत कोई मोक नहीं दिया जाएगा।

पोत परिवहन उद्योग को आधुनिक बनाने और इसके पोतों की संख्या बढ़ाने की दृष्टि से, यह उपबंध करने के लिए आरक्षिति की परिधि का विस्तार करने का प्रस्ताव है कि आरक्षित खाते में अग्रनीत रकमों का योग समादत्त शेयर पूंजी, साधारण आरक्षिति और निर्धारिती के शेयर प्रीमियम लेखा की कुल रकम से दुगने होने की दशा में, ऐसे आधिक्य की बाबत कोई मोक नहीं दिया जाएगा।

प्रस्तावित संशोधन 1 अप्रैल, 2003 से प्रभावी होगा और तद्नुसार, निर्धारण वर्ष 2003-2004 और पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 15]

बही लाभ को न जोड़े जाने के लिए पोत परिवहन कंपनियों की दशा में धारा 33कग के अधीन आरक्षिति को अंतरित रकम

आय-कर अधिनियम की धारा 115ज ख कंपनियों पर न्यूनतम अनुकल्पी कर के लिए उपबंध करती है। इस धारा के उपबंधों के अधीन, कंपनी को निगमित कर के रूप में अपने बही लाभ का कम से कम 7.5% संदाय करना अपेक्षित है। नियमित उपबंधों के अधीन कंपनी के कर दायित्व की दशा में, यह रकम अधिक है, इसलिए न्यूनतम अनुकल्पी कर के उपबंध लागू नहीं होंगे और कंपनी नियमित स्कीम के अनुसार, निगमित कर का संदाय करेंगी।

पोत परिवहन उद्योग के ऐसे लाभ को उस सीमा तक छूट प्राप्त है जिस सीमा तक ऐसे लाभ, धारा 33कग में विनिर्दिष्ट आरक्षितियों को अंतरित किए जाते हैं। तथापि, न्यूनतम अनुकल्पी कर के उपबंध ऐसी कंपनियों की बाबत निरन्तर लागू होते हैं, चूंकि धारा 33 कग के अधीन विनिर्दिष्ट आरक्षिति में अंतरित रकम धारा 115जख के अधीन बही लाभ में पुनः जोड़ दी जाती है।

यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से कि पोत परिवहन कंपनियां न्यूनतम अनुकल्पी कर का संदाय करने के लिए अपेक्षित नहीं हैं, इसलिए, यह उपबंध करने का प्रस्ताव है कि आय-कर अधिनियम की धारा 33कग के अधीन विनिर्दिष्ट आरक्षिति की अंतरित रकम धारा 115जख के अधीन बही लाभ में नहीं जोड़ी जाएगी।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2003 से प्रभावी होगा और तद्नुसार, निर्धारण वर्ष 2003-04 और पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 49]

लघु उद्योगों में विनिधान को बढ़ावा देने के उपाय

आय-कर अधिनियम की धारा 54ङग के विद्यमान उपबंधों के अधीन, किसी दीर्घकालिक पूंजी आस्ति के अंतरण से उद्‌भूत होने वाले किसी पूंजी अभिलाभ को कर से तब छूट प्राप्त है यदि ऐसे पूंजी अभिलाभ का विनिधान ऐसी दीर्घकालिक पूंजी आस्तियों में किया गया है, जो ऐसा कोई बंधपत्र है जो 1 अप्रैल, 2000 को या उसके पश्चात् मोचनीय है और जो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक या भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा 1 अप्रैल, 2001 को या उसके पश्चात् रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा जारी किया गया है।

लघु सेक्टर में विनिधान को बढ़ावा देने के लिए, यह प्रस्ताव किया जाता है कि धारा 54ङग के अधीन फायदे का विस्तार उन मामलों में किया जाए जहां दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ का विनिधान तीन वर्ष के पश्चात् ऐसे मोचनीय बंधपत्रों में किया जाता है जो भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक द्वारा 1 अप्रैल,2002 को या उसके पश्चात् जारी किए जाते हैं।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2003 से प्रभावी होगा और तद्‌नुसार, निर्धारण वर्ष 2003-2004 और पश्चात्‌वर्ती वर्षों के संबध में लागू होगा।

[खंड 25]

लघु उद्योगों को और समर्थन देने के लिए, यह प्रस्ताव किया जाता है कि 1 अप्रैल,2002 से प्रारंभ होने वाले और 31 मार्च, 2007 को समाप्त होने वाले निर्धारण वर्षों के सुसंगत पांच पूर्व वर्षों की अवधि के लिए लघु उद्योग प्रत्यय गारंटी निधि न्यास को आय में छूट दी जाए।

प्रस्तावित संशोधन भूतलक्षी रूप से 1 अप्रैल, 2002 से प्रभावी होगा और तद्‌नुसार, निर्धारण वर्ष 2002-2003 और चार पश्चात्‌वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा। ***[खंड 4(v)]***

आवासन में विनिधान के लिए प्रोत्साहन

आय-कर अधिनियम की धारा 24 में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन, एक स्वतःअधिभोग वाले गृह के अर्जन या संनिर्माण के लिए 1 अप्रैल, 1999 को या उसके पश्चात् उधार ली गई पूंजी पर संदेय ब्याज एक लाख पचास हजार रुपए तक कटौती योग्य है जहां ऐसा अर्जन या संनिर्माण 1 अप्रैल, 2003 से पहले पूरा हो जाता हो।

आवासन क्षेत्र में विनिधान की गति को बनाए रखने के लिए यह प्रस्ताव है कि इस कटौती को वहां भी अनुज्ञात किया जाए जहां अर्जन या संनिर्माण 1 अप्रैल, 2003 को या उसके पश्चात् पूरा हो जाता है जब तक कि अर्जन या संनिर्माण उस वित्तीय वर्ष के, जिसमें पूंजी उधार ली जाती है, तीन वर्षों के भीतर पूरा कर दिया जाता है।

इसके अतिरिक्त, आय-कर अधिनियम की धारा 54 ङग के अधीन, उपबंधित पूंजी अभिलाभ कर से छूट के फायदे को, 3 वर्ष के पश्चात् मोचनीय ऐसे बंधपत्रों, जो 1 अप्रैल, 2002 को या उसके पश्चात् राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा जारी किए जाते हैं, में विविधान के मामलों पर भी विस्तारित किए जाने का प्रस्ताव है।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2003 से प्रभावी होंगे और तद्‌नुसार, निर्धारण वर्ष 2003-2004 और पश्चात्‌वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

[खंड 12 और 25]

ऋण/पूंजी बाजार और वित्तीय सेक्टर के लिए प्रोत्साहन

बैंकों और वित्तीय संस्थाओं की दशा में, डूबंत और शंकास्पद ऋणों की बाबत उपबंध करने के लिए राजकोषीय प्रोत्साहन

धारा 36 की उपधारा (1) के खण्ड (viiक) के उपखंड (क) के विद्यमान उपबंधों के अधीन, किसी अनुसूचित बैंक (जो विदेशी विधि द्वारा या उसके अधीन निगमित बैंक नहीं है,) या किसी अननुसूचित बैंक की कुल आय के (जो उक्त खंड और अध्याय 6क के अधीन कोई भी कटौती करने से पूर्व संगणित की गई है) पांच प्रतिशत तक और ऐसे बैंकों की ग्रामीण शाखाओं द्वारा किए गए कुल औसत अग्रिम के दस प्रतिशत से अनधिक की रकम तक डूबंत और शंकास्पद ऋणों के लिए किसी भी उपबंध की बाबत कटौती अनुज्ञात की जाती है।

अनुसूचित बैंक या अननुसूचित बैंक को राजकोषीय प्रोत्साहन प्रदान करने की दृष्टि से, यह प्रस्ताव किया जाता है कि कुल आय की पांच प्रतिशत की कटौती की वर्तमान सीमा को बढ़ाकर साढ़े सात प्रतिशत करने के लिए धारा 36 की उपधारा (1) के खंड (viiक) के उपखंड (क) में संशोधन किया जाए।

धारा 36(1)(viiक)(क) का प्रथम परंतुक किसी अनुसूचित बैंक या अननुसूचित बैंक को पूर्व वर्ष के अंतिम दिन को बैंक की लेखा बही में दर्शित शंकास्पद आस्तियों या हानिप्रद आस्तियों के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वर्गीकृत किन्ही आस्तियों की रकम की पांच प्रतिशत की सीमा तक बैंक द्वारा किए गए किसी उपबंध की बाबत कटौती का दावा करने का विकल्प देता है। यह विकल्प 1 अप्रैल, 2000 को या उसके पश्चात् प्रारंभ होने वाले और 1 अप्रैल,2005 को समाप्त होने वाले पांच लगातार निर्धारण वर्षों के लिए उपलब्ध है।

और, धारा 36 की उपधारा (1) के खंड (viiक) के उपखंड (ग) के अधीन, किसी लोक वित्तीय संस्था, राज्य वित्तीय निगम और राज्य औद्योगिक विनिधान निगम को ऐसी संस्थाओं या निगमों द्वारा किए गए डूबंत और शंकास्पद ऋणों के लिए किसी उपबंध की बाबत कुल आय (इस खंड और अध्याय 6क के अधीन किसी कटौती के पूर्व संगणित) के पांच प्रतिशत की सीमा तक कटौती अनुज्ञात है।

यह प्रस्ताव है कि उपखंड (क) के परंतुक के अधीन दी गई पांच प्रतिशत की सीमा को बढ़ाकर दस प्रतिशत किया जाए और यह सुविधा किसी लोक वित्तीय संस्था, राज्य वित्तीय निगम या राज्य औद्योगिक विनिधान निगम पर भी विस्तारित की जाए और यह वैकल्पिक कटौती 1 अप्रैल, 2003 को या उसके पश्चात् आरंभ होने वाली या 1 अप्रैल, 2005 के पूर्व समाप्त होने वाली दो निर्धारण वर्षों की अवधि के लिए उपलब्ध होगी।

प्रस्तावित संशोधन 1 अप्रैल, 2003 से प्रभावी होंगे और तद्‌नुसार, निर्धारण वर्ष 2003 -2004 और पश्चात्‌वर्ती के संबंध में लागू होंगे।

[खंड 19]

भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से प्रतिभूतियों के उधार पर पूंजी अभिलाभ की छूट

आय-कर अधिनियम की धारा 47 के खंड (15) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंध के अधीन, किसी करार या ठहराव के अधीन, जो निर्धारिती ने ऐसी प्रतिभूतियों के उधार लेने वालों के साथ किया है और जो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों के अध्यधीन है, किन्ही प्रतिभूतियों के उधार देने की स्कीम में कोई अंतरण, पूंजी अभिलाभ कर प्रभारित करने के प्रयोजन के लिए अंतरण नहीं समझा जाएगा।

धन, सरकारी प्रतिभूतियों और विदेशी मुद्रा बाजारों में संव्यवहारों के गारंटीकृत समझौते को सुनिश्चित करने की दृष्टि से, भारतीय रिजर्व बैंक ने भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड स्थापित किया है। चूंकि, समझौता प्रक्रिया में प्रतिभूतियों का उधार अंतर्वलित हो सकेगा, इसलिए ऐसे करार या ठहराव के, जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी मार्गदर्शन सिद्धांतों के अध्यधीन है, अधीन किसी प्रतिभूतियों के उधार लेने की स्कीम में किसी अंतरण पर पूंजी अभिलाभ कर से छूट के फायदे का विस्तार किए जाने का प्रस्ताव है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2003 से प्रभावी होगा और तद्नुसार, निर्धारण वर्ष 2003-04 और पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 23]

धारा 115 कग का संशोधन

धारा 115 क ग की उपधारा (I) के खंड (ख) के उपखंड (III) में अंतर्विष्ट विधमान उपबंधों के अधीन, उस निर्धारिती की दशा में, जो अनिवासी है, ऐसी स्कीम के अनुसार, जो केन्द्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, उसके द्वारा किसी अनुमोदित मध्यवर्ती के माध्यम से विदेशी करेंसी में क्रय किए गए किसी भारतीय कंपनी के विद्यमान शेयरों के के बदले "पुनः जारी" वैश्विक निक्षेपागार रसीदों (वै.नि.र.) से लाभाश या दीर्घकालिक पूंजी लाभ के रूप में उत्पन्न आय पर दस प्रतिशत की रियायती दर से कर लगाया जाएगा । तथापि विद्यमान शेयरों के बदले में जारी (वै.नि.र.) को इन उपबंधों के अधीन नहीं लाया गया है ।

उक्त उपखंड (iii) को संशोधित करने का प्रस्ताव है ताकि ऐसी स्कीम के अनुसार, जो केन्द्रीय सरकार विनिर्दिष्ट करे, किसी निर्धारिती द्वारा किसी अनुमोदित मध्यवर्ती के माध्यम से विदेशी करेंसी में क्रय किये गये किसी भारतीय कंपनी के शेयरों के बदले या पुनः जारी वै.नि.र. से लाभांश या दीर्घकालिक पूंजी लाभ के माध्यम से उत्पन्न आय पर कर की रियायती दर का विस्तार किया जा सकें।

उपर्युक्त संशोधन को ध्यान में रखते हुए भारतीय कंपनी के विद्यमान शेयरों के बदले में जारी वैश्विक निक्षेपागार रसीद भी धारा 115 क ग के उपबंधों के अंतर्गत होगी । शर्त यह है कि वैश्विक निक्षेपागार रसीद जारी करने वाली भारतीय कंपनी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्व हो, इस धारा के अधीन लाभों का फायदा उठाने के लिए वैधानिक अपेक्षा तब तक नहीं रहेगी जब तक की वैश्विक निक्षेपागार रसीद केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित स्कीम के अनुसार जारी की नही जाती है। उपखंड (4) की अब आवश्यकता नहीं है, इसलिए इसका लोप किए जाने का प्रस्ताव है ।

प्रस्तावित संशोधन भूतलक्षी रूप से 1 अप्रैल, 2002 से प्रभावी होंगे और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2002-2003 और पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होंगे । ***[खंड 43]***

त्वरित आर्थिक विकास के उपाय

दूरसंचार क्षेत्र में समामेलन के लिए प्रोत्साहन

आय-कर अधिनियम की धारा 72क में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन, हानियों या अनामेलित अवक्षयण हानियों के अग्रनयन का फायदा किसी कम्पनी के साथ किसी औद्योगिक उपक्रम या किसी पोत के किसी स्वामी की कंपनी के समामेलन की दशाओं में अनुज्ञात है। औद्योगिक उपक्रम किसी ऐसे उपक्रम के अर्थ को परिभाषित करता है जो माल या कंप्यूटर साफ्टवेयर के विनिर्माण या प्रसंस्करण, विद्युत के उत्पादन या वितरण या किसी अन्य प्रकार की शक्ति, या खनन या पोतों, वायुयानों और रेल प्रणालियों के निर्माण में लगा है।

महत्वपूर्ण अवसंरचनात्मक क्षेत्रों में त्वरित समेकन और वृद्धि को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से, यह प्रस्ताव है कि इस धारा के अधीन फायदा, ऐसे औद्योगिक उपक्रम पर विस्तारित किया जाए, जो अवसंरचना से संबंधित दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने के कारबार में लगा हुआ है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2003 से प्रभावी होगा और तद्नुसार निर्धारण वर्ष 2003-2004 और पश्चात्वर्ती वर्षो के संबंध में लागू होगा।

[खंड 27]

कन्वेंशन केन्द्रों और बहुविध थिएटरों के लिए कर - अवकाश

धारा 80झख के विद्यमान उपबंधों के अधीन, छूट पिछड़े जिलों/पिछड़े राज्यों में स्थापित औद्योगिक उपक्रमों और ऐसे उपक्रमों को उपलब्ध है जो वैज्ञानिक अनुसंधान और विकास कार्य में लगे हुए हैं और जो आवासन परियोजनाओं के विकास और निर्माण में लगे हुए हैं और जो खाद्यानों आदि की उठाई-धराई, भण्डारण और परिवहन के एकीकृत कारबार में लगे हुए हैं।

मनोरंजन उद्योग देश में नियोजन का एक मुख्य स्रोत है और इस उद्योग में अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने की अभूतपूर्व संभावनाएं है। इसलिए, विधेयक, नई दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता और मुम्बई शहरों के सिवाय विहित संनियमों के बहुविध थिएटर का निर्माण, स्वामित्व रखने और प्रचालन के कारबार के लाभ से तब पांच वर्ष की अवधि के लिए **50%** कटौती अनुज्ञात करने का प्रस्ताव करता है यदि ऐसे बहुविध थिएटर का निर्माण 1 अप्रैल, 2002 से 31 मार्च, 2005 के दौरान किया जाता है। कटौती उस वर्ष से उपलब्ध होगी जिस वर्ष बहुविध थिएटर वाणिज्यक प्रचालन प्रारंभ करता है। यह आशा की जाती है कि मनोरंजन उद्योग को बढ़ावा देने के अतिरिक्त, ऐसे बहुविध थिएटर बहुविध मुद्दों पर खपत का संवर्धन करके आर्थिक समृद्धि लाएंगे।

देश में सुसज्जित कन्वेंशन केंद्रों की कमी है। बहुत बड़ी संख्या में आधुनिक कन्वेंशन केद्रों के संनिर्माण को बढ़ावा देने की दृष्टि से, विधेयक यह प्रस्ताव करता है कि अनुमोदित संनियमों के कन्वेंशन केंद्र का निर्माण करने, स्वामित्व रखने और प्रचालन के करबार के लाभ से तब 5 वर्ष की अवधि के लिए **50%** कटौती अनुज्ञात की जाए, यदि ऐसे कन्वेशन केंद्र का संनिर्माण 1 अप्रैल, 2002 से 31 मार्च, 2005 के बीच किया जाता है। कटौती उस वर्ष से उपलब्ध होगी जिस वर्ष कन्वेंशन केंद्र वाणिज्यिक प्रचालन प्रारंभ करता है।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2003 से प्रभावी होंगे और तद्नुसार, निर्धारण वर्ष 2003-04 और पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

[खंड 33]

पर्यटन को बढ़ावा देने के उपाय

होटलों और टूर प्रचालकों के विदेशी मुद्रा उपार्जन पर प्रोत्साहन

धारा 80 जजघ के विद्यमान उपबंधों के अधीन, विदेशी पर्यटकों को दी गई सेवा से संपरिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में उपार्जन की बाबत कटौती होटल,टूर प्रचालक या यात्रा अभिकर्ता का कारबार करने वालों को उपलब्ध है। निर्धारण वर्ष 2003-2004 के लिए कटौती की कुल रकम की संगणना विदेशी पर्यटकों को प्रदान की गई सेवा से व्युत्पन्न लाभ के बीस प्रतिशत के योग के बराबर राशि और ऐसे लाभों के बीस प्रतिशत की रकम के बराबर की जाती है जो पांच वर्षों के भीतर आरक्षित लेखा में अंतरित की जाती है और संबंधित पर्यटन अवसंरचना के विकास के लिए विहित राति में प्रयुक्त की जाती है। निर्धारण वर्ष 2004-2005 के लिए, कटौती की कुल रकम, पात्र लाभ के 10% के बराबर है और ऐसे लाभ का और 10% है जो आरक्षित खाते में अंतरित की जाती है।

हाल ही की विश्व की घटनाओं के पशचात् पर्यटन क्षेत्र की अवनति को देखते हुए, इस क्षेत्र को राजकोषीय समर्थन प्रदान करने के उपाय के रूप में, विधेयक निम्नलिखित रीति से कटौती की दर में वृद्धि करने के लिए है। निर्धारण वर्ष 2003-2004 के लिए, विदेशी पर्यटकों की प्रदान की गई सेवा से लाभ के 25% तथा ऐसे लाभ के और 25% में, जो आरक्षित में अंतरित किया जाता है, इस प्रकार कुल कटौती बढ़ाकर 40% से 50% की गई है। निर्धारण वर्ष 2004-05 के लिए विदेशी पर्यटकों को प्रदान की गई सेवा से लाभ के 15% तथा लाभ के और 15% में, जो आरक्षिति मे अंतरित किया जाता है, जिसके द्वारा कटौती 20% से बढ़ाकर 30% की गई है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2003 से प्रभावी होगा और तद्नुसार, निर्धारण वर्ष 2003-2004 और पश्चावर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 31]

व्यय-कर अधिनियम के अधीन होटल उद्योगों को अनुतोष

व्यय-कर अधिनियम के विद्यमान उपबंधों के अधीन, ऐसे होटल, जहां किसी निवास के प्रबंध के संबंध में प्रतिदिन प्रति व्यक्ति से दो हजार रुपए या उससे अधिक का कमरा प्रभार है; आवासीय या अन्यथा; खाद्य या पेय; या ऐसे होटलों में भाड़े या पट्टे पर कोई वास-सुविधा; या ब्यूटी पार्लर, हेल्थ क्लब, तरणताल या अन्य सेवाओं के रूप में उपगत व्यय या किए गए संदायों पर कर उद्गृहीत किया जाता है।

पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने और होटल उद्योग पर कर-विस्तार में कमी करने के लिए यह प्रस्ताव किया जाता है कि व्यय-कर अधिनियम की धारा 3 और धारा 5 का संशोधन किया जाए जिससे कि अधिनियम के उपबंध केवल प्रभार्य कमरे को लागू हो सकें और केवल जहां आवासिक निवास-स्थान की किसी इकाई के लिए ऐसे प्रभार प्रतिदिन तीन हजार रुपए या उससे अधिक हो सकें।

ये संशोधन 1 जून,2002 को प्रभावी होंगे और तद्नुसार, उस तारीख को या उसके पश्चात्, उपगत व्यय के संबंध में लागू होंगे।

[खंड 111 और खंड 112]

कर दाताओं की सहायता के लिए उपाय

पारिणामिक अस्तित्व को अनुज्ञात की जाने वाली स्वैच्छिक सेवानिवृत्त स्कीम के अधीन उपगत व्यय की शेष किस्तें

आय-कर अधिनियम की धारा 35घघक की उपधारा (1) के विद्यमान उपबंधों के अधीन, जहां किसी निर्धारिती को किसी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम के अधीन किसी कर्मचारी को उसकी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के समय किसी राशि के संदाय के द्वारा किसी पूर्ववर्ष में कोई व्यय उपगत होता है वहां इस प्रकार संदत्त रकम के एक बटा पांच की, उस पूर्व वर्ष के लिए कारबार के लाभों और अभिलाभों को संगणित करने में कटौती की जाएगी और बकाया रकम की ठीक चार क्रमवर्ती वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के लिए बराबर किस्तों में कटौती की जाएगी।

उक्त धारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि जहां किसी भारतीय कंपनी का उपक्रम स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति खर्चे के अपाकरण के लिए हकदार है जो विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान के पूर्व किसी समामेलन या अविलियत स्कीम में अन्य भारतीय कंपनी को अंतरित हो जाते हैं, वहां यह कटौती समामेलित कंपनी या परिणामी कंपनी को ऐसे जारी रहेगी मानो ऐसा समामेलन या अविलयन न हुआ हो।

इसी प्रकार, कारबार के कतिपय प्ररूपों के पुर्नसंगठन की दशा में, जिसके द्वारा फर्म या स्वत्वधारी समुत्थान की उत्तराधिकारी कोई कंपनी हो जाती है, कटौती उत्तराधिकारी कंपनी को हमेशा उपलब्ध होगी।

अंतरण वर्ष में, समामेलन कंपनी, अविलियत कंपनी या फर्म या स्वत्वधारी समुत्थान को कोई कटौती उपलब्ध नहीं होगी।

प्रस्तावित संशोधन 1 अप्रैल, 2001 से भूतलक्षी रूप से प्रभावी होगा और तद्नुसार, निर्धारण वर्ष 2001-2002 और पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 18]

स्थानीय समाचारपत्र में धार्मिक और पूर्त न्यासों द्वारा लेखाओं का प्रकाशन

धारा 12क के खंड (ग) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंध के अधीन, किसी न्यास या संस्था के संबंध में, धारा 11 और धारा 12 के अधीन छूट ऐसे किसी न्यास या संस्था को उपलब्ध नहीं है जिसकी कुल आय, धारा 11 और धारा 12 के उपबंधों को प्रभावी किए बिना एक करोड़ रुपए से अधिक है, जब तक कि ऐसा न्यास या संस्था आय की विवरणी देने के लिए नियत तारीख से पूर्व स्थानीय समाचारपत्र में अपना लेखा प्रकाशित नहीं करती है और आय की विवरणी के साथ ऐसे समाचारपत्र की प्रति भी नहीं प्रस्तुत करती है।

खण्ड (23ग) के नौवें परतुंक में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन, उक्त खंड के उपखंड (iv), उपखंड (v), उपखंड (vi), उपखंड (viक) में निर्दिष्ट किसी न्यास या निधि या संस्था या किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्था या किसी अस्पताल या अन्य चिकित्सीय संस्थाओं की आय को, जिनकी कुल प्राप्ति एक करोड़ रूपए से अधिक है, तब तक छूट प्राप्त नहीं है जब तक कि उक्त न्यास या निधि, संस्था या विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्था या अस्पताल या अन्य संस्था स्थानीय समाचार में अपने लेखा प्रकाशित नहीं करा देती हैं और छूट या उसको जारी रखने के लिए आवेदन के प्ररूप के साथ-साथ, ऐसे समाचार की प्रति नही देती हैं।

स्थानीय समाचारपत्रों में लेखा प्रकाशित करने की इस अपेक्षा से न्यास के खर्चों में वृद्धि होगी। चूंकि, धारा 12कक के अधीन रजिस्ट्रीकृत न्यास या संस्थाएं अपनी विवरणियां पहले ही फाइल करती हैं और उपखंड (iv), उपखंड (v), उपखंड (vi) और उपखंड (viक) के अधीन छूट प्राप्त इकाइयों से अपनी आय की

विवरणी फाइल करने की भी अब अपेक्षा की जाती है इसलिए, स्थानीय समाचारपत्रों में लेखा प्रकाशित करने और यथास्थिति, आय की विवरणी के साथ ऐसे समाचारपत्र की छूट उसके बने रहने के आवेदन के प्ररूप के साथ उसकी प्रति देने की अपेक्षा को दूर करने का प्रस्ताव किया जाता है और धारा 10 के खंड (23ग) के नौवें परतुंक का लोप किए जाने का प्रस्ताव है।

ये संशोधन, 1 अप्रैल, 2003 से प्रभावी होंगे और तद्नुसार, निर्धारण वर्ष 2003-2004 और पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

[खंड 4(ध) और खंड 9]

कमीशन या दलाली से स्रोत पर कर की कटौती की दर में कमी

आय-कर अधिनियम की धारा 194 ज में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन, कमीशन (धारा 194घ में निर्दिष्ट बीमा कमीशन से भिन्न) या दलाली के रूप में आय से स्रोत पर 10 प्रतिशत की दर से कर की कटौती अपेक्षित है ।

उक्त धारा के अधीन स्रोत पर कटौती किए जाने वाले कर की दर का सुव्यवस्थीकरण करने के प्रयोजन से, विधेयक, दर को 10 प्रतिशत से कम कर के 5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता है ।

प्रस्तावित संशोधन 1 जून, 2002 से प्रभावी होंगे ।

[खंड 73]

स्रोत पर कर की कटौती के लिए प्रत्यय

आय-कर अधिनियम की धारा 199 के विद्यमान उपबंधों के अधीन, धारा 192 से 194,194क,194ख,194खख,194ग,194घ,194ड़,194ड़ड़,194च,194 छ, 194ज,194झ,194ञ,194ट,194ठ,195,196क,196ख,196ग और 196घ के उपबंधों के अनुसार की गई कटौती और केन्द्रीय सरकार के खाते में संदत्त कटौती को उस व्यक्ति या प्रतिभूति के स्वामी की ओर से या निक्षेपकर्ता या संपति के स्वामी या यूनिट धारक या शेयर धारक की ओर से, यथा स्थिति, कर का संदाय माना जाएगा, जिसकी आय से कटौती की गई थी और ऐसे व्यक्ति को इस प्रकार कटौती की गई रकम पर उस निर्धारण वर्ष के लिए, जिसमें ऐसी आय निर्धारणीय है, किए गए निर्धारण के लिए धारा 203 के अधीन दिए गए प्रमाणपत्र को प्रस्तुत करने पर प्रत्यय दिया जाएगा ।

निर्धारितियों द्वारा कठिनाइयों का सामना किया जा रहा है क्योंकि बहुत से मामलों में धारा 203 के अधीन उन्हें प्रमाणपत्र नहीं दिया जाता है और परिणामस्वरूप, इस प्रकार कटौती किए गए कर के लिए उन्हें प्रत्यय नहीं दिया जाता है ।

इस कठिनाई को दूर करने की दृष्टि से, यह उपबंध करने के लिए धारा 155 में एक नई उपधारा (14) अन्तःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे किसी पूर्ववर्ती वर्ष के लिए निर्धारण में या किसी सूचना या किसी पूर्ववर्ती वर्ष के लिए धारा 143 की उपधारा (I) के अधीन कोई सूचना या समझी गई सूचना के लिए धारा 199 के उपबंधों के अनुसार कटौती किए गए कर के लिए प्रत्यय इस आधार पर नहीं दिया गया है कि धारा 203 के अधीन दिया गया प्रमाणपत्र विवरणी के साथ फाइल नहीं किया गया और तत्पश्चात ऐसे निर्धारण वर्ष की समाप्ति से दो वर्ष के भीतर, जिसमें ऐसी आय निर्धारणीय है, ऐसा प्रमाणपत्र निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर दिया जाता है, निर्धारिती को स्रोत पर कर की कटौती का प्रत्यय दिया जाएगा । प्रस्तावित उपधारा में अंतर्विष्ट कोई बात तब तक लागू नहीं होगी जब तक ऐसी आय, जिससे कर की कटौती की गई है, निर्धारिती द्वारा उस निर्धारण वर्ष के लिए फाइल की गई विवरणी में प्रकट न की गई हो।

प्रस्तावित संशोधन, निर्धारण अधिकारी को निर्धारण आदेश या किसी सूचना, या धारा 143 की उपधारा (1) के अधीन किसी सूचना, या समझी गई सूचना को परिशुद्व करने के लिए समर्थ बना सकेगा ।

इसके परिणामस्वरूप, धारा 139 की उपधारा (9) को भी यह उपबंध करने के लिए संशोधित करने का प्रस्ताव है कि जहां विवरणी के साथ कर, यदि कोई हो, का सबूत नहीं है , जिसकी स्रोत पर कटौती का दावा किया गया है, यदि कोई हो, आय की विवरणी को त्रुटिपूर्ण नहीं माना जाएगा, यदि धारा 203 के अधीन अपनी आय की विवरणी प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति को ऐसा प्रमाणपत्र नहीं दिया गया है और ऐसा व्यक्ति धारा 155 की उपधारा (14) के अधीन विनिर्दिष्ट दो वर्ष की अवधि के भीतर प्रमाणपत्र प्रस्तुत कर देता है।

प्रस्तावित संशोधन 1 जून, 2002 से प्रभावी होगा । ***[खंड 56 और 59]***

अध्याय-20ग के अधीन स्थावर संपत्तियों की अग्रक्रयकारी खरीद स्कीम का उत्सादन किया जाना

आय-कर अधिनियम के अध्याय-20 ग में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन, विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में विनिर्दिष्ट रकम से अधिक मूल्य की स्थावर संपत्ति के अंतरण का आशय रखने वाले किसी व्यक्ति से समुचित प्राधिकारी के समक्ष विहित समय के भीतर अंतरण की आशयित तारीख से पहले प्ररूप 37-झ में विवरण फाइल करना अपेक्षित है । अंतरण का रजिस्ट्रीकरण केवल तभी किया जा सकता है जब समुचित प्राधिकारी संपत्ति का अग्रक्रयकारी खरीद का आदेश पारित नहीं करता है और अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी कर देता है ।

चूंकि, ये उपबंध अंतरणों के रजिस्ट्रीकरण में प्रक्रियात्मक विलम्ब पैदा करते थे और कर-दाताओं के लिए कठिनाई के स्रोत को दूर करने की दृष्टि से, यह प्रस्ताव है कि अध्याय-20 ग के उपबंधों को 1 जुलाई, 2002 को या उसके पश्चात् किए गए स्थावर संपत्ति के अंतरणों पर लागू न किया जाए ।

यह संशोधन 1 जुलाई, 2002 से प्रभावी होगा । ***[खंड 96]***

कतिपय वेतनभोगी कर दाताओं द्वारा कम्प्यूटर पर पढ़े जा सकने वाले माध्यम से बड़े पैमाने पर विवरणियां फाइल करना

आय-कर अधिनियम की धारा 139 में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन, प्रत्येक कंपनी चाहे उसे लाभ हो या हानि और कंपनी से भिन्न प्रत्येक व्यक्ति से यदि उसकी कुल आय, जिसके लिए इस अधिनियम के अधीन पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान वह निर्धारणीय है, आय-कर से प्रभार्य अधिकतम रकम से अधिक है, ऐसी आय के लिए नियत तारीख को या उससे पहले विहित प्ररूप और रीति से विवरणी फाइल करना अपेक्षित है ।

वेतनभोगी करदाताओं को बहुत छोटी अवधि के भीतर और आय-कर विभाग के हस्तक्षेप के बिना किसी अन्योन्यक्रिया के उनकी कर बाध्यता को पूरा करने और प्रतिदाय यदि कोई हो, प्राप्त करने के लिए कि धारा 139 का यह उपबंध करने के लिए प्रस्ताव है कि अपने नियोक्ता के माध्यम से किसी कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली किसी विवरणी को केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा अधिसूचित स्कीम के अनुसार कम्प्यूटर द्वारा पढ़े जा सकने वाले माध्यम में बड़े पैमाने पर फाइल की गई विवरणियों को उस धारा के अधीन कर्मचारियों द्वारा फाइल की गई विवरणी समझी जाएगी।

यह संशोधन भूतलक्षी रूप से 1 अप्रैल, 2002 से लागू होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2002-2003 और पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 56]

धारा 14क का संशोधन

वित्त अधिनियम, 2001 के माध्यम से, आय-कर अधिनियम में भूतलक्षी प्रभाव से तारीख 1.4.1962 से विधान-मंडल के आशय को स्पष्ट करने के लिए कि किसी निर्धारती द्वारा ऐसी आय के संबंध में, जो आय-कर अधिनियम के अधीन कुल आय का भाग रूप नहीं है, उपगत व्यय के लिए कोई कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी एक नई धारा, अर्थात् 14 क अन्तःस्थापित की गई थी ।

भूतलक्षी रूप से नई धारा के अन्तःस्थापन का उद्देश्य इस मुद्दे पर विद्यमान विवाद को समाप्त करना था और न कि इस मुद्दे को नए सिरे से उठाना। इसलिए धारा 14क में एक परन्तुक अन्तःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह स्पष्ट किया जा सके कि निर्धारण अधिकारी धारा 147 के अधीन मामलों का पुर्ननिर्धारण न करें या निर्धारण को बढ़ाने के लिए या पहले ही किए जा चुके प्रतिदाय को कम करने के लिए आदेश पारित न करें या 1 अप्रैल, 2001 को या उससे पहले शुरू होने वाले किसी निर्धारण वर्ष के लिए धारा 154 के अधीन अन्यथा निर्धारिती के दायित्व को बढ़ाने के लिए कोई आदेश न करें ।

प्रस्तावित संशोधन भूतलक्षी रूप से 11मई, 2001 से उस तारीख से जिसको वित्त विधेयक 2001 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त होती है, प्रभावी होगा ।

[खंड 10]

सुव्यवस्थीकरण और सरलीकरण के उपाय

आकस्मिक और अनावर्ती प्राप्तियां

धारा 10 के खंड (3) में अन्तर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन, 5000 रुपए से कम की कोई प्राप्ति को, जो आकस्मिक और अनावर्ती प्रकृति की हैं, आय-कर के संदाय से छूट दी जाती है। घुड़दौड़ों से हुई जीत के मामले में, छूट केवल 2500 रुपए तक उपलब्ध है। यह खंड कारबार या वृत्ति या किसी कर्मचारी के पारिश्रमिक में वृद्धि के माध्यम से उत्पन्न प्राप्तियों को या पूंजी अभिलाभ आय को लागू नहीं होता है।

इस छूट को वापस लेने का प्रस्ताव है ताकि सभी आकस्मिक और अनावर्ती प्राप्तियों को कर तंत्र के अन्तर्गत लाया जा सके।

प्रस्तावित संशोधन 1-4-2003 से प्रभावी होगा और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2003-2004 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 4(क)]

बंधपत्र, आदि के संबंध में छूट के लिए अंतिम खंड

धारा 10 के खंड (4) का उपखंड (i) अधिसूचित प्रतिभूतियों या बंधपत्रों पर ब्याज के माध्यम से आय, जिसके अंतर्गत ऐसे बंधपत्रों के मोचन पर प्रीमियम के माध्यम से आय भी है, के संबंध में छूट का उपबंध करता है। धारा 10 का खंड (4ख) किसी व्यष्टि द्वारा संपरिर्वतनीय विदेशी मुद्रा में अभिदत्त अधिसूचित बचत प्रमाणपत्रों पर ब्याज के माध्यम से आय के संबंध में छूट का उपबंध करता है। धारा 10 के खंड (15) का उपखंड (iiख) अधिसूचित पूंजी विनिधान बंधपत्रों पर ब्याज के संबंध में समान छूट का उपबंध करता है। धारा 10 के खंड(15) का उपखंड (iiघ) किसी अनिवासी भारतीय या अनिवासी भारतीय के नामनिर्देशिती या उत्तरजीवी अथवा ऐसे किसी व्यष्टि को, जिसे बंधपत्र किसी अनिवासी भारतीय द्वारा उपहार में दिए गए हैं, अधिसूचित बंधपत्रों पर ब्याज के संबंध में छूट का उपबंध करता है।

धारा 10 के उपर्युक्त सभी खंडों में एक अंतिम खंड का उपबंध करने का प्रस्ताव किया जाता है जिससे कि केन्द्रीय सरकार द्वारा 1 जून, 2002 को या उसके पश्चात, कर छूट के लिए उक्त खंडों के प्रयोजनों के हेतु कोई भी बंधपत्र, प्रमाणपत्र, प्रतिभूतियां, बचत प्रमाणपत्र आदि विनिर्दिष्ट या जारी न किए जा सकें।

प्रस्तावित संशोधन 1-4-2003 से प्रभावी होंगे और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2003-2004 और पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

[खंड 4(ख),4(ग),4(ट)(i)और खंड 4(ट)(ii)]

कतिपय मामलों में कर को सकलित करने की छूट का प्रत्याहरण

धारा 10 के खंड (5ख) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन, किसी नियोजक (जो सरकार, स्थानीय प्राधिकरण, किसी विशेष विधि के अधीन गठित कोई निगम या कोई अनुमोदित संस्था या वैज्ञानिक अनुसंधान में लगा कोई निकाय है) द्वारा किसी तकनीशियन (जो ऐसा व्यष्टि है जो, उस वर्ष से, जिसमें वह भारत आता है, ठीक पूर्व के चार वित्तीय वर्षों में से किसी में अनिवासी भारतीय था) को संदेय पारिश्रमिक पर संदत कर को तकनीशियन की कुल आय की संगणना करने में सम्मिलित नहीं किया जाता है।

धारा 10 के खंड (6क) के विद्यमान उपबंध के अधीन सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा, किसी करार के अधीन, उनके द्वारा ऐसी तकनीकी सेवाओं के लिए, जो या तो सरकार की औद्योगिक नीति में सम्मिलित विषय से संबंधित हैं और उस नीति के अनुसार हैं या केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित हैं, स्वामित्व/या फीसों पर संदत कर को ऐसे व्यक्ति की, जिसकी ओर से कर संदत्त किया गया है, कुल आय की संगणना में सम्मिलित नहीं किया जाता है।

इसी प्रकार, धारा 10 का खंड (6क) यह उपबंध करता है कि कतिपय परिस्थितियों में, सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा संदत्त कर ऐसी अनिवासी/ विदेशी कंपनी की, जिसकी ओर से इस प्रकार कर का संदाय किया जाता है, कुल आय की संगणना में सम्मिलित नहीं किया जाता है।

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी निर्धारक की ओर से संदत्त कर-निर्धारक की कुल आय का भाग है और अनुसीमक कर व्यवस्था में इन छूटों की आवश्यकता नहीं है।

धारा 10 में खंड (5ख) को हटाने और खंड (6क) तथा खंड (6ख) के रूप में अंतिम खंड उपबंधित करने का प्रस्ताव किया जाता है जिससे कि 1 जून, 2002 को या उसके पश्चात् किए गए करारों के संबंध में छूटें उपलब्ध नहीं कराई जा सकें।

प्रस्तावित संशोधन 1 अप्रैल, 2003 से प्रभावी होंगे और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2003-04 और पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

[खंड 4(घ),4(च),और 4(छ)]

ऐसे किसी कर्मचारी द्वारा, जो विदेशी नागरिक है, प्राप्त पारिश्रमिक

धारा 10 के खंड (6) के उपखंड (i) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन, किसी ऐसे कर्मचारी को,जो भारत का नागरिक नहीं है, स्वंय, उसके पति/पत्नी और बालकों के लिए प्राप्त किया गया या उसे देय यात्रा भाड़ा या किसी निःशुल्क अथवा रियायती यात्रा के मूल्य पर कतिपय शर्तों के अधीन रहते हुए छूट प्राप्त है।

धारा 10 के खंड 6 के उपखंड (i) का लोप करके कर छूट के प्रत्याहरण का प्रस्ताव किया जाता है।

प्रस्तावित संशोधन 1 अप्रैल, 2003 से प्रभावी होगा और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2003-2004 और पश्चात्‌वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में, लागू होगा।

[खंड 4(ङ)]

लोक वित्तीय संस्थाओं द्वारा प्राप्त विनिमय जोखिम प्रीमियम

धारा 10 के खंड (23ङ) के अधीन लोक वित्तीय संस्थाओं द्वारा गठित किसी अधिसूचित विनिमय जोखिम प्रशासन निधि (वि.जो.प्र.नि.) की आय को आय-कर के संदाय से छूट प्राप्त है। धारा 10 के खंड (14क) के अधीन किसी लोक वित्तीय संस्था द्वारा, किसी ऐसे व्यक्ति से,जो ऐसी संस्थाओं से विदेशी मुद्रा उधार ले रहा है, विनिमय प्रीमियम जोखिम के रूप में प्राप्त किसी आय को छूट प्राप्त है, परंतु यह कि प्रीमियम संस्था द्वारा वि.जो.प्र.नि. में जमा किया जाता है।

इन छूटों को 1989 में वित्तीय संस्थाओं से विदेशी मुद्रा ऋण का उधार लेने वालों को विनिमय जोखिम संरक्षा प्रदान करने के लिए आरंभ किया गया था। इन वि.जो.प्र.नि. की संक्रियाएं वाणिज्यिक प्रकृति की होती हैं, जिनमें ये विनिमय उतार-चढ़ावों के मद्दे होने वाली वास्तविक हानियों की पूर्ति के लिए विनिमय जोखिम प्रीमियम का संग्रहण करती हैं। वि.जो.प्र.नि. अब काफी समय से विद्यमान है और कर छूटों की उपयोगिता अब समाप्त हो गई है।

अतः, धारा 10 के खंड (14) और खंड (23ड़) को हटाकर विनिमय जोखिम प्रशासन निधियों की आय और किसी लोक वित्तीय संस्था द्वारा विनिमय जोखिम प्रीमियम के रूप में प्राप्त आय पर छूटों को प्रत्याहत्त करने का प्रस्ताव किया जाता है।

प्रस्तावित संशोधन 1 अप्रैल, 2003 से प्रभावी होंगें और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2003-04 और पश्चात्‌वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

[खंड 5(ञ)और** खंड **4(प)]

दायित्व के वास्तविक निर्वहन पर अनुज्ञात की जाने वाली विनिमय दर में परिवर्तन के कारण पूंजी आस्ति की वास्तविक लागत में परिवर्धन या कटौती

धारा 43क में अन्तर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन, जहां किसी निर्धारिती ने, रुपए के अवमूल्यन की तारीख से पूर्व, अपने कारबार, आस्थगित संदाय निबंधनों पर वृत्ति के प्रयोजनों के लिए या किसी विदेशी ऋण के प्रति भारत से बाहर किसी देश में कोई पूंजी आस्ति अर्जित की है, यथास्थिति, आस्ति या विदेशी ऋण की लागत की किस्तों को पूरा करने में उसके द्वारा उपगत अतिरिक्त रुपया दायित्व, अवमूल्यन की तारीख के पश्चात् संदाय के देय होने पर, लाभों की संगणना करने में अवक्षयण के मद्दे मोक संगणित करने के प्रयोजन के लिए आस्ति की मूल वास्तविक लागत के जोड़े, जाने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा।

निर्धारिती द्वारा किए गए कारबार से संबंधित वैज्ञानिक अनुसंधान में प्रयुक्त उसके द्वारा अर्जित पूंजी आस्तियों की बाबत या विदेश से अर्जित पेटंट अधिकार या प्रतिलिप्यधिकार या किसी कंपनी द्वारा इसके कर्मचारियों में परिवार नियोजन को प्रोत्साहन देने के प्रयोजन के लिए अर्जित कोई पूंजी आस्ति की बाबत मूल वास्तविक लागत में वैसी ही वृद्धि की जानी अनुज्ञात की जाती है। इसके अतिरिक्त, विक्रय पर निर्धारिती को उद्‌भूत पूंजी अभिलाभों की संगणना में, आस्थगित संदाय निबंधनों पर या किसी विदेशी ऋण के प्रति विदेश से उसके द्वारा अर्जित पूंजी आस्ति के अंतरण पर यथास्थिति, लागत की किस्तों या विदेशी ऋण का प्रतिसंदाय करने में उसके द्वारा उपगत अतिरिक्त रुपया दायित्व, रुपया के अवमूल्यन की तारीख के पश्चात्, आस्ति के मूल वास्तविक लागत में जोड़ी जाती है। यह धारा यह भी सुनिश्चित करती है कि जहां रुपये के विनिमय मूल्य में परिवर्तन के कारण, विदेश से उसके द्वारा अर्जित आस्तियों की बाबत निर्धारिती के रुपया दायित्व में कोई कमी हुई है, वहां आस्ति की मूल वास्तविक लागत तत्समान रूप से कम की जाएगी।

उक्त धारा के उपबंधों को सुव्यवस्थित करने की दृष्टि से, विधेयक में यह उपबंध करने के लिए विद्यमान धारा 43क को प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे कि जहां पूंजी आस्ति विदेश से अर्जित की गई है वहां किसी पूर्व वर्ष में विनिमय दर में परिवर्तन के कारण आस्ति की वास्तविक लागत से परिवर्धन या कटौती निर्धारिती द्वारा अपनाई गई लेखा पद्धति को ध्यान में न रखते हुए, आस्ति की लागत या विदेशी ऋण या ब्याज के प्रतिसंदाय के मद्दे निर्धारिती द्वारा वास्तविक संदाय पर ही अनुज्ञात किया जा सके।

प्रस्तावित संशोधन 1 अप्रैल, 2003 से प्रभावी होगा और तदनुसार, वर्ष 2003-04 और आगे पश्चातवर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा। ***[खंड 21]***

कतिपय मामलों में लाभांश से स्रोत पर और प्रतिभूतियों से ब्याज पर कर की कटौती का न किया जाना

कतिपय कानूनी निकायों ने उन अधिनियमों में, जिनके माध्यम से उनका सृजन किया गया है धारा 193 और धारा 194 के अधीन संबंधित संस्थाओं को संदत्त ब्याज या लाभांश से स्रोत पर कर की कोई कटौती न किए जाने के लिए विशेष उपबंध किए हैं ।

जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 43क यह उपबंध करती है कि किसी प्रतिभूति या उसके द्वारा धारित ऐसे शेयरों, जिसमें उसका पूरा फायदाप्रद हित है, के संबंध में कंपनी को देय किसी ब्याज या सदत्त लाभांश के लिए आय-कर की कोई कटौती नहीं की जाएगी ।

साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 की धारा 35क यह उपबंध करती है कि निगम या उस अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (1) के अधीन स्कीमों के कारण विरचित किन्हीं चार कंपनियों को किसी प्रतिभूति या निगम द्वारा धारित ऐसे शेयरों, जिसमें उसका पूरा फायदाप्रद हित है,के संबंध में संदेय ब्याज या लाभांश पर आय-कर की कोई कटौती नहीं की जाएगी ।

जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 43क और साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 की धारा 35क का लोप करने का प्रस्ताव है ।

धारा 193 और धारा 194 का यह उपबंध करने के लिए संशोधन करने का भी प्रस्ताव है जिससे कि उक्त धाराओं के अधीन भारतीय जीवन बीमा निगम या भारतीय साधारण बीमा निगम या साधारण बीमार कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 की धारा 16 की उपधारा (1) के अधीन विरचित स्कीमों द्वारा किन्हीं चार कंपनियों को संदत्त कोई ब्याज या लाभांश या किसी अन्य बीमाकर्ता को उसके स्वामित्वाधीन किन्हीं ऐसी प्रतिभूतियों या शेयरों के लिए, जिनमें उनका पूरा फायदाप्रद हित है, स्रोत पर कर की कोई कटौती न की जा सके।

उक्त संशोधन 1 जून, 2002 से प्रभावी होंगे । *[खंड 69 खंड **70**, खंड **148,और खंड 149**]*

भागीदार को संदत्त ब्याज की कटौती का सुव्यवस्थीकरण

धारा 40 के खंड (ख) के उपखंड (4) के विद्यमान उपबंधों के अधीन, किसी फर्म द्वारा किसी भागीदार को 18 प्रतिशत वार्षिक दर पर ब्याज का संदाय करके साधारण ब्याज की कटौती अनुज्ञात की जाएगी ।

उपबंधों को सुव्यवस्थित करने की दृष्टि से, विधेयक उक्त उपखंड में उक्त ब्याज की दर को 18 प्रतिशत से कम करके 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष करने के लिए संशोधन करने का प्रस्ताव करता है ।

प्रस्तावित संशोधन 1 जून, 2002 से प्रभावी होगा । *[खंड 20]*

धारा 115ञक और धारा 115 ञख के अधीन न्यूनतम अनुकल्पी दर का सुव्यवस्थीकरण

आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 115ञख कंपनियों पर न्यूनतम अनुकल्पी कर (मेट) का उपबंध करती है। इस धारा के उपबधों के अधीन कंपनी द्वारा अपने बही लाभ का कम से कम 7.5% संदाय करना अपेक्षित है। यदि नियमित उपबधों के अधीन कंपनी का कर दायित्व इस रकम से अधिक है, तो न्यूनतम अनुकल्पी कर के उपबंध लागू नहीं होंगे और कंपनी नियमित स्कीम के अनुसार, निगमित कर का संदाय करेगी।

धारा को संशोधत किया जाना प्रस्तावित है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि यदि कंपनी का कर दायित्व उसके बही लाभ के 7.5% से कम है तो ऐसे बहीं लाभ को 7.5% की दर से प्रभार्य कुल "आय" माना जाएगा।

यह उपबंध करने के लिए और प्रस्ताव है कि 1 अप्रैल, 1997 से पूर्व सृजित किसी आरक्षिति से, न कि लाभों में से, प्रत्याहृत रकम की, यदि वह लाभ या हानि खाते में निक्षिप्त की जाती है, बही लाभ से कटौती नहीं की जाएगी।

यह भी प्रस्ताव है कि किसी आरक्षिति या 1 अप्रैल, 1997 को या इसके पश्चात् सृजित प्रावधान से वापस की गई कोई ऐसी रकम जिसे लाभ और हानि के खाते में जमा किया गया है, को बही लाभ से कम नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसी आरक्षिति या प्रावधान के सृजन के वर्ष में बही लाभ को उस समय ऐसी आरक्षिति या प्रावधान में रकम के अंतरण से बढ़ा नहीं दिया गया था।

यह भी स्पष्ट करने का प्रस्ताव है कि अग्रनीत हानि की रकम का मूल्य या अनामेलित अवक्षयण यदि शून्य है तो ऐसी अग्रनीत हानि या अनामेलित अवक्षयण के मद्दे कोई रकम बहीं खाते से कम नहीं की जाएगी।

इस स्पष्टीकरण का आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 115ञक में भूतलक्षी प्रभाव से 1 अप्रैल, 1997 से उपबंध किया जा रहा है।

धारा 115ञख में प्रस्तावित संशोधन भूतलक्षी प्रभाव से 1 अप्रैल, 2001 से प्रभावी होंगे। *[खंड 48 और 49]*

मुद्रास्फीति समायोजन के लिए ट्रक स्वामियों की पुनरीक्षित परिकल्पित आय

आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 44कङ के विद्यमान उपबंधों के अधीन, माल गाड़ी को चलाने, भाड़े या पट्टे पर देने के कारबार में लगे निर्धारिती को परिकल्पित स्कीम उपलब्ध है। यह स्कीम उस निर्धारिती को लागू होती है जिसके पास दस माल गाड़ियों से अधिक गाड़ियां नहीं हैं। इस स्कीम के अधीन, जो कि निर्धारिती के लिए वैकल्पिक है, प्रति यान, आय की नियत रकम यान के स्वामी से उद्भूत होना संभावित है और वर्ष के लिए लागू कर दरों पर कर प्रभार्य है। विद्यमान उपबंधों के अधीन, इस धारा के अधीन भारी माल के यानों के स्वामियों के लिए प्रति यान 2,000 रुपए प्रतिमास और हल्के माल यानों के स्वामियों के लिए 1,800 रुपए प्रतिमास परिकल्पित है। इस स्कीम का चयन करने वाले किसी भी निर्धारिती को लेखा पुस्तकों को बनाए रखने और आय को प्रमाणित करने के अन्य ब्यौरे रखने से छूट प्राप्त है।

मुद्रास्फीति के मद्दे अनुमानित दरों को सुव्यवस्थित करने की दृष्टि से, यह प्रस्तावित है कि भारी माल वाले यान के स्वामियों के लिए आय की रकम 3,500 रुपए प्रति यान और हल्के माल वाले यान के स्वामियों के लिए 3,150 रुपए प्रति यान बढ़ा दी जाए।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2003 से प्रभावी होगा और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2003-2004 और पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 22]

धारा 158क का पारिणामिक संशोधन

अपील अधिकरण के आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय में प्रत्यक्ष अपील करने के लिए वित्त(सं.2) अधिनियम, 1998 ने आय-कर अधिनियम में धारा 260क अंतःस्थापित की थी। इसी अधिनियम द्वारा धारा 256 और धारा 257, जो अधिकरण से उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय को मामला निर्दिष्ट करने की अपेक्षा करती थी, अमान्य हो गई थी। आय-कर अधिनियम की धारा 158क में अपीलों की पुनरावृत्ति से बचने के लिए आय-कर अधिनियम की धारा 158क में पारिणामिक संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे उसमें धारा 260क के अधीन उच्च न्यायालय में अपीलों के प्रतिनिर्देश को शामिल किया जा सके और धारा 256 और धारा 257 के प्रति निर्देश, जहॉ आवश्यक हो, का लोप किया जा सके।

धन कर अधिनियम की धारा 18ग में इसी रूप रेखा के आधार पर संशोधन करने का प्रस्ताव है।

ये संशोधन 1 जून, 2002 से प्रभावी होंगे। *[खंड 60 और 107]*

गृह संपत्ति की आय से ब्याज की कटौती से संबंधित उपबंधों का सुव्यवस्थीकरण

आय-कर अधिनियम की धारा 24 में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन एक स्व अधिभोगित गृह के अर्जन या संनिर्माण के लिए 1 अप्रैल, 1999 को या उसके पश्चात् उधार ली गई पूंजी पर संदेय ब्याज वहां एक लाख पचास हजार रुपए तक कटौतीयोग्य है जहां ऐसा अर्जन या संनिर्माण विनिर्दिष्ट अवधि में पूरा हो जाता है।

गृह के अर्जन या संनिर्माण में वास्तविक रूप से प्रयुक्त न की गई रकम पर संदत्त ब्याज की कटौती के अनाशयित फायदे का निवारण करने की दृष्टि से, यह उपबंध करने का प्रस्ताव है कि ऐसे ब्याज की बाबत ऐसी कटौती तब तक अनुज्ञात नहीं की जाएगी जब तक कि ऋण देने वाला व्यक्ति यह प्रमाणित नहीं कर देता है कि गृह के अर्जन या संनिर्माण के लिए अग्रिम रकम की बाबत ऐसा ब्याज संदेय था या जिसे ऐसे अर्जन या संनिर्माण के लिए, लिए गए पूर्व ऋण के अधीन बकाया मूल रकम के लिए पुनःवित्त प्रदान किया गया था।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2003 से प्रभावी होगा और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2003-2004 और पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा। *[खंड 12]*

कतिपय निक्षेपों के प्रतिसंदाय की पद्धति से संबंधित उपबंधों का उपांतरण

आय-कर अधिनियम की धारा 269न के विद्यमान उपबंध के अधीन, किसी बैंककारी कंपनी या सहकारी बैंक की कोई शाखा और कोई अन्य कंपनी या सहकारी सोसाइटी या भागीदारी फर्म या अन्य व्यक्ति, उनको किए गए निक्षेप का प्रतिसंदाय ऐसे व्यक्ति के, जिन्हें ऐसा निक्षेप किया है, नाम लिखे गए पाने वाले के खाते में देय-चैक द्वारा या पाने वाले के खाते में देय बैंक ड्राफ्ट द्वारा ही करेगा, अन्यथा नही, यदि जहां निक्षेप की रकम या धारित कुल निक्षेप बीस हजार रुपए से अधिक होता है वहां उक्त धारा की उपधारा (2) के नीचे के स्पष्टीकरण में यह परिभाषित है कि "निक्षेप" से धन का ऐसा कोई निक्षेप अभिप्रेत है जो सूचना के पश्चात् पुनःसंदेय है या उस अवधि के पश्चात पुनःसंदेय है और कंपनी से भिन्न किसी व्यक्ति की दशा में इसके अंतर्गत किसी भी प्रकृति का निक्षेप है।

उक्त धारा, जो कर अपवंचन से बचने के लिए आशयित है, केवल निक्षेपों को ही लागू होती है। यह प्रस्ताव है कि विद्यमान धारा के स्थान पर एक नई धारा रखी जाए जिससे की इसकी परिधि का उधारों तक भी विस्तार किया जाए और इसमें अंतर्विष्ट ऐसे उपबंध हटा दिए जाएं जो अप्रचलित हो गए हैं।

ये संशोधन 1 जून, 2002 से प्रभावी होंगे। *[खंड 95]*

दीर्घाकालिक पूंजी हानि के मुजरा से संबंधित उपबंधों का उपांतरण

आय-कर अधिनियम की धारा 70 में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन यह उपबंध है कि जहां आय के किसी शीर्ष के अधीन आने वाली किसी स्रोत की बाबत किसी निर्धारण वर्ष के लिए शुद्ध परिणामिक हानि है वहां निर्धारिती इस बात का हकदार होगा कि वह ऐसी हानि उसी शीर्ष के अधीन किसी अन्य स्रोत से होने वाली अपनी आय के प्रति ऐसी हानि का मुजरा करा ले। इसके अतिरिक्त, आय-कर अधिनियम की धारा 74 यह उपबंध करती है कि "पूंजी अभिलाभ" शीर्ष के अधीन हानि का आगामी आठ निर्धारण वर्षों में पूंजी अभिलाभ के प्रति अग्रनीत या मुजरा किया जा सकता है।

चूंकि, दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ कर के न्यूनतम विस्तार के अध्यधीन है इसलिए, उक्त धाराओं को संशोधित करके असमानता को दूर करने का उपबंध करने के लिए यह प्रस्ताव किया जाता है कि लघुकालिक पूंजी आस्तियों के अंतरण से हानियों का किसी भी पूंजी अभिलाभ के प्रति मुजरा किया जा सकता है चाहे लघुकालिक पूंजी आस्तियों के अंतरण से उद्‌भूत लघुकालिक या दीर्घकालिक हानियां केवल दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ के प्रति मुजरा किए जाने के लिए अनुज्ञात होंगी। यह उपबंध करने का और यह प्रस्ताव है कि दीर्घ-कालिक पूंजी हानि दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ के प्रति ही मुजरा किए जाने के लिए आठ वर्षों हेतु पृथक् रूप से अग्रनीत की जाएगी तथापि, लघु-कालिक पूंजी हानि का "पूंजी अभिलाभ" शीर्ष के अधीन किसी आय के प्रति अग्रनीत और मुजरा किया जा सकेगा।

निर्धारण वर्ष 1987-88 और पूर्व वर्षों से संबंधित पूंजी हानियों के अग्रनयन के संबंध में संक्रमणकालीन उपबंधों का अनावश्यक होने के नाते लोप किए जाने का प्रस्ताव है।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2003 से प्रभावी होंगे और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2003-04 और पश्चात्‌वर्ती वर्षों में संबंध में लागू होंगे ।

[खंड 26 और 28]

तलाशी और अभिग्रहण से संबंधित उपबंधों का सुव्यवस्थीकरण

वित्त अधिनियम, 1995 आय-कर अधिनियम के अध्याय 14ख में तलाशी से संबंधित मामलों में ब्लाक निर्धारण की एक नई प्रक्रिया अंतःस्थापित करता है जो संक्षिप्त रीति में अप्रकटित ऐसी आय का प्राक्कलन किए जाने के लिए अपेक्षित है जो 1 जुलाई, 1995 को या उसके पश्चात् कोई तलाशी शुरू करने के लिए अमान्य थी। जैसा कि उपधारा (5) के उपबंध अनावश्यक हो गए हैं, इसलिए, उक्त उपधारा का लोप और उपधारा (6), उपधारा (7), उपधारा (11), उपधारा(11क) और उपधारा (12) का भी लोप किए जाने का प्रस्ताव है जो विनिर्दिष्टतः उपधारा (5) के अधीन लिए गए अप्रकटित आय के प्राक्कलन से संबंधित है।

तलाशी के दौरान अभिगृहीत लेखाबहियों और पुनः प्रवृत्त प्रतिषेधात्मक आदेश के प्रतिधारण और निर्धारण अधिकारी को लेखा बहियाँ सौंपने से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 132 की उपधारा (8), उपधारा (8 क), और उपधारा (9 क) में भिन्न-भिन्न समय-सीमा विनिर्दिष्ट की गई है। उपबंधों को सुव्यवस्थित करने की दृष्टि से, तदनुसार निम्नलिखित प्रस्ताव किया जाता है :--

(i) उपधारा (8) का यह उपबंध करने के लिए संशोधन किया जाए कि अभिगृहीत की गई लेखा बहियां और अन्य दस्तावेज अध्याय 14-ख के अधीन सुसंगत निर्धारण कार्यवाहियों के पूरा होने के पश्चात् तीस दिन से अधिक की अवधि के लिए तब तक प्रतिधारित नहीं किए जाएंगे जब तक कि उन्हें प्रतिधारण करने के कारण लिखित में अभिलिखित नहीं कर दिए जाते हैं और विनिर्दिष्ट प्राधिकारी से अनुमोदन अभिप्राप्त नहीं कर लिया जाता है ।

(ii) उक्त धारा की उपधारा (8क) का यह उपबंध करने के लिए संशोधन किया जाए कि उपधारा (3) के अधीन प्रतिषेधात्मक आदेश, आदेश की तारीख से साठ दिन से अधिक की कालावधि के लिए प्रवृत्त नहीं होगा ।

(iii) उपधारा (9 क) यह उपबंध करने के लिए प्रतिस्थापित की जाए कि अभिगृहीत लेखा बहियां, अन्य दस्तावेज और आस्तियां निर्धारण अधिकारी को उस तारीख से, जिसको तलाशी का अंतिम प्राधिकार निष्पादित किया गया था, साठ दिन के भीतर सौंपी जाएंगी। उक्त धारा की उपधारा (14) के नीचे आने वाला प्रस्तावित नया स्पष्टीकरण 1 तलाशी के लिए प्राधिकार निष्पादित करने के अर्थ को स्पष्ट करता है ।

आय-कर अधिनियम की धारा 132 ख के विद्यमान उपबंध उस रीति के लिए उपबंध करते हैं जिसमें धारा 132(5) के अधीन तलाशी के दौरान अभिगृहीत और प्रतिधारित अस्तियों के संबंध में, किसी विद्यमान दायित्व और तलाशी के परिणामस्वरूप किए गए निर्धारणों या पुनर्निर्धारणों पर उदभूत दायित्व की रकम के निर्वहन में कार्यवाही की जाएगी ।

अध्याय 14ख में अधिकथित तलाशी से संबंधित मामलों में निर्धारण के लिए उपबंध के साथ इसमें अंतर्विष्ट उपबंधों में सामंजस्यता लाने के लिए धारा 132ख प्रतिस्थापित किए जाने का प्रस्ताव है और तलाशी के दौरान अभिगृहीत आस्तियों की निर्मुक्ति के लिए और तत्पश्चात् पाई गई वस्तुओं की निर्धारण अधिकारी के समाधानप्रद रूप में, उस तारीख से, जिसको धारा 132 के अधीन तलाशी के लिए और धारा 132 क के अधीन अध्यपेक्षा के लिए अंतिम प्राधिकार निष्पादित किया गया था, एक सौ बीस दिन की कालावधि के भीतर व्याख्या करने का और उपबंध किया जाता है । यह भी प्रस्ताव है कि उस आठ प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर में कमी की जाए जिस पर उपधारा (4) के अधीन ब्याज केन्द्रीय सरकार द्वारा संदेय है । ऐसा ब्याज उस तारीख से, जिसको तलाशी के लिए और अध्यपेक्षा के लिए अंतिम प्राधिकार निष्पादित किया गया था, एक सौ बीस दिन की समाप्ति पर प्रारंभ होने वाली और उस तारीख से, जिसको अध्याय 14ख के अधीन निर्धारण किया जाता है, समाप्त होने वाली कालावधि के लिए संदेय होगा ।

यह और प्रस्तावित है कि ब्लाक अवधि और तलाशी और अध्यपेक्षा के लिए प्राधिकार निष्पादित करने के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए धारा के अंत में एक स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाए ।

ये संशोधन 1 जून, 2002 से प्रभावी होंगे और तदनुसार, उस तारीख को उसके पश्चात् आरंभ की गई तलाशी या की गई अध्यपेक्षा के संबंध में लागू होंगे।

[खंड 53 और 54]

तलाशी और अध्यपेक्षा के मामलों में ब्लाक निर्धारण से संबंधित अध्याय 14ख के उपबंधों का सुव्यवस्थीकरण

आय-कर अधिनियम के अध्याय 14ख में अन्तर्विष्ट विद्यमान उपबंध धारा 132 के अधीन तलाशी और धारा 132क के अधीन अध्यपेक्षा के मामलों में छह वर्ष की ब्लाक अवधि की अप्रकटित आय के एकल निर्धारण के लिए उपबंध करते हैं, और ऐसी रीति अधिकथित करते हैं जिसमें ऐसी आय और ऐसे ब्याज

और शास्ति, जिसे कतिपय परिस्थितियों में उदगृहीत किया जाए, को संगणित किया जाना है, ब्लाक निर्धारण के कुछ उपबन्धों में असंगति को दूर करने तथा इन उपबंधों को सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से, निम्नलिखित प्रस्ताव किये जाते हैं:—

(i) धारा 158ख के खंड (ख) की अप्रकटित आय की परिभाषा का संशोधन करना जिससे लेखा पुस्तकों या अन्य दस्तावेजों, जो आय-कर अधिनियम के अधीन किसी व्यय, कटौती या मोक के किसी मिथ्या दावे को व्यक्त करते हैं, में प्रविष्टियों पर आधारित आय को उनमें विनिर्दिष्ट रूप से सम्मिलित किया जा सके ;

(ii) यह स्पष्ट करने के लिए धारा 158खख की उपधारा (1) का संशोधन करना जिससे कि अप्रकटित आय का निर्धारण तलाशी में पाए गए साक्ष्य पर और ऐसी पश्च जांचों में, जो तलाशी में पाई गई सामग्री के आधार पर की जाए, प्राप्त साक्ष्य पर आधारित होगा ;

(iii) यह स्पष्ट करने के लिए उक्त उपधारा के खंड (क) और खंड (ख) का संशोधन करना कि खंड (क) में उल्लिखित निर्धारण वे हैं जो तलाशी के प्रारंभ की तारीख या अध्यपेक्षा की तारीख से पूर्व पूरे हो गए हैं और खंड (ख) में उल्लिखित विवरणियों में धारा 142 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई सूचना के उत्तर में फाइल की गई विवरणी को सम्मिलित करते हैं ;

(iv) यह स्पष्ट करने के लिए उक्त उपधारा के खंड (ग) को प्रतिस्थापित करना कि उन वर्षों में उपगत हानि को, जिसके लिए कोई विवरणी सम्यक् तारीख तक फाइल नहीं की गई है ऐसी अप्रकटित आय को संगणित करते समय पुनः जोड़ा जाएगा और इसके अतिरिक्त, वहां जहां विवरणी इस कारण फाइल नहीं की गई थी कि कुल आय कराधेय नहीं थी, अप्रकटित आय में ऐसी कुल आय को सम्मिलित नहीं किया जाएगा ;

(v) यह उपबंध करने के लिए उक्त उपधारा के स्पष्टीकरण का संशोधन करना जिससे कि संकलन के प्रयोजन के लिए प्रत्येक पूर्ववर्ती वर्ष की कुल आय या हानि को अग्रनीत हानियों या अनामेलित अवक्षयण के मुजरा को प्रभावी किए बिना आय-कर अधिनियम के उपबंधों के अनुसार संगणित की जाएगी और यह उपबंध करना कि उक्त संकलन के प्रयोजनों के लिए अध्याय 6क के अधीन कटौतियों को संगणित करने में, अग्रनीत हानियों या अनामेलित अवक्षयण के मुजरा को प्रभावी किया जाए ;

(vi) धारा 158 खग के खंड (ख) का, उसमें धारा 145 का प्रतिनिर्देश सम्मिलित करने के लिए संशोधन करना जिससे कि ब्लाक निर्धारणों में लागू लेखा पद्धति आदि से संबंधित उस धारा के उपबंध किए जा सकें ;

(vii) यह उपबंध करने के लिए धारा 158खग के खंड (घ) का संशोधन करना जिससे कि अभिगृहीत या अध्यपेक्षित आस्तियों को धारा 132ख के उन उपबंधों के अनुसार व्यवहार में लाया जा सकेगा जिन्हें प्रतिस्थापित किए जाने का प्रस्ताव है ;

(viii) यह उपबंध करने के लिए धारा 158खघ का संशोधन करना कि उक्त धारा में विनिर्दिष्ट परिस्थितियों में ऐसे व्यक्ति से भिन्न व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाहियां, जिसके मामले में तलाशी संचालित की गई थी या अध्यपेक्षा की गई थी, धारा 158खग के अधीन कार्यवाहियां होंगी और अध्याय 14ख के सभी उपबंध तदनुसार लागू होंगे ;

(ix) धारा 158खड़ के स्पष्टीकरण 1 का संशोधन करना जिससे पदाधिकारी के बदल जाने पर धारा 129 के अधीन पुनः सुने जाने के लिए अवसर दिए जाने में लिया गया समय और आवेदन को अस्वीकार करने या नामंजूर करने वाले आदेश पारित करने के लिए समझौता आयोग द्वारा लिए गए समय में ब्लाक निर्धारण को पूरा करने के लिए परिसीमन की अवधि से और परिवर्जित किया जा सके तथा यह और उपबंध करना कि स्पष्टीकरण में किसी भी विनिर्दिष्ट अवधि को परिवर्जित करने के पश्चात् निर्धारण अधिकारी के पास उपलब्ध न्यूनतम समय छह वर्ष का होगा।

आय-कर अधिनियम की धारा 113 का यह उपबंध करने के लिए संशोधन करने का यह और प्रस्ताव किया जाता है कि अध्याय 14ख के अधीन अवधारित अप्रकटित आय पर प्रभार्य कर में उस पूर्ववर्ती वर्ष में लागू अधिभार की रकम तक वृद्धि की जाएगी जिसमें तलाशी प्रारंभ हुई थी या अध्यपेक्षा की गई थी और आय-कर अधिनियम की धारा 119 की उपधारा (2) के खंड का संशोधन करना जिससे केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को ऐसे निदेश जारी करने में समर्थ बनाया जा सके जिन्हें वह ब्याज प्रभारित करने से संबंधित धारा 158खचक के उपबंधों को शिथिल करने के लिए उपयुक्त समझे।

ये संशोधन 1 जून, 2002 से प्रभावी होंगे। ***[खंड 41,52,61,62,63,64 और 65]***

आय को छिपाने के लिए शास्ति से संबंधित धारा 271 में स्पष्टीकारक संशोधन आदि

आय-कर अधिनियम की धारा 271 यह उपबंध करती है कि निर्धारण अधिकारी या आयुक्त (अपील) निर्धारण कार्यवाहियों के दौरान जारी की गई कतिपय सूचनाओं का अनुपालन न किए जाने की दशाओं में और उन दशाओं में, जिनमें आय की विशिष्टियों को छिपाया गया है या गलत विशिष्टियां दी गई हैं, शास्ति उदगृहीत करेगा।

ऐसा आयुक्त, जो ऐसा प्राधिकारी है, जो उक्त धारा की उपधारा (1) के अधीन शास्ति का उदग्रहण आरंभ कर सकता है या इसे अधिरोपित कर सकता है, के प्रति निर्देश को सम्मिलित करने के लिए धारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है। उक्त उपधारा के स्पष्टीकरण 1 और स्पष्टीकरण 7 में वैसे ही प्रतिनिर्देश किए जाने का प्रस्ताव है।

धन-कर अधिनियम की धारा 18 में वैसे ही आधारों पर संशोधन किए जाने का प्रस्ताव है।

ये संशोधन 1 जून, 2002 से प्रभावी होंगे।

उक्त धारा की उपधारा 1 के खंड (ii) और खंड (iii) के विद्यमान उपबंधों में, किसी संदेय कर के अतिरिक्त, उनमें विनिर्दिष्ट शास्ति उद्गृहीत करने के लिए उपबंध करता है।

यह स्पष्ट करने के लिए उक्त खंडों का संशोधन करने का प्रस्ताव है कि उनमें विनिर्दिष्ट शास्ति उद्गृहीत की जा सकती है भले ही निर्धारित कुल आय पर कोई कर संदेय न हो।

विधेयक स्पष्टीकरण 4 का, जो विभिन्न परिस्थितियों में अपवंचित किए जाने वाले कर की रकम के पद को परिभाषित करता है, संशोधन करने के लिए विधेयक में यह और प्रस्ताव है कि उन दशाओं में, जहां वह आय जिसकी बाबत विशिष्टियां छिपाई गई हैं या गलत विशिष्टियां प्रस्तुत की गई हैं, विवरणी में घोषित हानि को कम करने का प्रभाव रखती है या आय में उस हानि को संपरिवर्तित करने का प्रभाव रखती है, वह कर जिसे परिवर्जित करने का अनुरोध किया गया है, ऐसा कर होगा जो ऐसी आय की रकम पर इस प्रकार प्रभार्य होता मानो यह कुल आय होती।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2003 से प्रभावी होंगे।

उक्त धारा की उपधारा (1) के स्पष्टीकरण 3 में यह उपबंध है कि यदि ऐसा कोई व्यक्ति जिसका पहले निर्धारण नहीं किया गया है और धारा 139(1) के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने में असफल रहता है और यह पाया जाता है कि उसके पास उस वर्ष के लिए कराधेय आय है और धारा 142(1) या धारा 148 के अधीन विवरणी की मांग करने के लिए कोई सूचना उस अवधि के समाप्त होने तक उसको जारी नहीं की गई थी जिसके दौरान निर्धारण किया जा सकता था, यह माना जाएगा कि उस व्यक्ति ने उस वर्ष के लिए अपनी आय की विशिष्टियों को छिपाया है या गलत विशिष्टियां प्रस्तुत की हैं।

उक्त स्पष्टीकरण 3 में संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे कि उसमें यह उपबंध किया जा सके कि भले ही कोई ऐसा व्यक्ति, जिसका पहले निर्धारण किया गया है, विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति तक विवरणी प्रस्तुत करने में असफल क्यों न रहा हो, यह समझा जाएगा कि उसने अपनी आय की विशिष्टियां छिपाई हैं या गलत विशिष्टियां प्रस्तुत की हैं।

वैसे ही आधारों पर धन-कर अधिनियम की धारा 18 में संशोधन किए जाने का प्रस्ताव है।

यह संशोधन 7 जून, 2003 से प्रभावी होगा। ***[खंड 97 और खंड 106]***

अन्तरण कीमत के उपबंधों के बारे में स्पष्टीकरण

आय-कर अधिनियम की धारा 92 में अन्तर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन अन्तरराष्ट्रीय संव्यवहार से उत्पन्न कोई आय असन्निकट कीमत को ध्यान में रखते हुए, संगणित की जाएगी।

इस उपबंध का आशय अन्तरण कीमत के दुरुपयोग के माध्यम से भारत के बाहर की किसी अधिकारिता की कराधेय आय का स्थानांतरण करके इस कर के परिवर्तन को रोकता है। आशय को स्पष्ट करने के उद्देश्य से, इस धारा को प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे कि यह उपबंध किया जा सके कि जहां भी अन्तरराष्ट्रीय संव्यवहार में केवल बाहर जाने वाला संव्यवहार समाविष्ट है, वहां, ऐसे अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार से उत्पन्न ऐसे व्यय या ब्याज के लिए मोक भी असन्निकट कीमत को ध्यान में रखते हुए, अवधारित की जाएगी और यह उपबंध उस दशा में लागू नहीं होगा जहां असन्निकट कीमत के आवेदन का परिणाम भारत में कर से प्रभार्य आय में अधोगामी पुनरीक्षण है।

आय-कर अधिनियम की धारा 92क में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंध इस बारे में उपबंध करने के लिए है कि कब दो उद्यम सहयुक्त उद्यम समझे जाएंगे।

यह स्पष्ट करने के लिए कि उक्त धारा की उपधारा (2) का संशोधन करने का प्रस्ताव है कि किसी अन्य उद्यम के प्रबंधन या नियंत्रण या पूंजी में एक उद्यम द्वारा भाग लेने या दोनों उद्यमों के प्रबंधन या नियंत्रण या पूंजी में एक या अधिक व्यक्तियों द्वारा भाग लेने मात्र का तथ्य उन्हें सहयुक्त उद्यम तब तक नहीं बनाएगा जब तक कि उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट मानदंड पूरा नहीं कर दिया जाता।

आय-कर अधिनियम की धारा 92ग की उपधारा (2) के परन्तुक में अन्तर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन, यदि अत्यन्त समुचित पद्धति का उपयोजन का परिणाम एक से अधिक कीमत का अवधारण होता है तो ऐसी कीमतों का अंकगणितीय औसत इस प्रकार लिया जाएगा कि वह अन्तरराष्ट्रीय संव्यवहार के संबंध में असन्निकट कीमत है।

असन्निकट कीमत को अंगीकृत करने में नम्यता की डिग्री को अनुज्ञात करने की दृष्टि से, यह उपबंध करने के लिए उक्त धारा की उपधारा 2 के उपबंधों का संशोधन करने का प्रस्ताव है कि जहां अत्यन्त समुचित पद्धति का परिणाम एक से अधिक कीमत होता है वहां ऐसी कीमत जिसका अंकगणितीय औसत से ऐसी औसत के पांच प्रतिशत से अनधिक रकम का अन्तर है, निर्धारिती के विकल्प पर असन्निकट कीमत के रूप में ली जाएगी।

धारा 92ग की उपधारा (4) के दूसरे परन्तुक में अन्तर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन, जहां किसी उद्यम की कुल आय संयुक्त उद्यम को संदत्त ऐसी असन्निकट कीमत के अवधारण पर निर्धारण अधिकारी द्वारा की जाती है जिससे अध्याय 17ख के उपबंधों के अधीन कर की कटौती की गई है, ऐसे सहयुक्त उद्यमियों की आय प्रथम उल्लिखित उद्यम के मामले में असन्निकट कीमत ऐसे अवधारण के कारण पुनः संगणित नहीं की जाएगी।

यह स्पष्ट करने के लिए उक्त दूसरे परन्तुक का संशोधन करने का प्रस्ताव है कि उसमें अन्तर्विष्ट उपबंध केवल उस मामले में लागू नहीं होंगे जहां कर की कटौती अध्याय 17ख के अधीन की गई है किन्तु उन मामलों में भी लागू होंगे जहां ऐसा कर कटौती योग्य था, भले ही कटौती वास्तव में न की गई हो।

आय-कर अधिनियम की धारा 92च में असन्निकट कीमत की संगणना से सुसंगत कतिपय निबंधनों की परिभाषाओं का उपबंध है। इसमें अन्तर्विष्ट उद्यम की परिभाषा का संशोधन करने का प्रस्ताव है ताकि क्रियाकलापों में से एक क्रियाकलाप के रूप में संनिर्माण के कारबार को जिसमें किसी उद्यम को लगाया जा सकेगा, सम्मिलित किया जा सके और भारत में की गई कर संधियों में पाई गई परिभाषा के आधार पर स्थायी स्थापन की पृथक् परिभाषा का उपबंध किया जा सके और यह उपबंध करने के लिए "विनिर्दिष्ट तारीख" की परिभाषा का संशोधन किया जा सके कि उसकी विवरणी प्रस्तुत करने के लिए वही अर्थ होंगे जो "नियत तारीख" के हैं।

ये संशोधन स्पष्टीकारक प्रकृति के होने के कारण 1 अप्रैल, 2002 से भूतलक्षी रूप से प्रभावी होंगे और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2002-2003 और पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे। ***[खंड 37, 38, 39 और 40]***

समझौता आयोग द्वारा आवेदन ग्रहण करने और आदेश पारित करने के लिए समय-सीमा का उपबंध करना

आय-कर अधिनियम की धारा 245ग, 245घ और 245जक में अन्तर्विष्ट विद्यमान उपबन्धों के अधीन, समझौते के लिए आवेदन के प्राप्त होने पर समझौता आयोग, आयुक्त से एक रिपोर्ट मांगेगा और रिपोर्ट के आधार पर और मामले की प्रकृति या अन्वेषण की जटिलता को ध्यान में रखते हुए, समझौता आयोग कार्यवाही किए जाने वाले आवेदन को अनुज्ञात करने या उसे अस्वीकार करने वाला कोई आदेश पारित करता है। आवेदन ग्रहण किए जाने के पश्चात् और ऐसी जांच करने या करवाने के पश्चात् जिसे वह आवश्यक समझे और आवेदक को सुने जाने का अवसर देने के पश्चात्, समझौता आयोग ऐसा आदेश, जिसे वह उपयुक्त समझे, पारित कर सकेगा। इसके अतिरिक्त, आयोग में निर्धारण अधिकारी को मामले को वापस भेजने की शक्तियां तब निहित की गई हैं, यदि निर्धारिती आयोग के समक्ष कार्यवाहियों में सहयोग नहीं देता है।

ऐसे आवेदनों के शीघ्र निपटान और निम्नलागत पर करों की त्वरित वसूली को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, यह उपबंध करने के लिए धारा 245घ की उपधारा (1) का संशोधन करने का प्रस्ताव है कि जहां यह संभव है, वहां समझौता आयोग उस मास, जिसमें ऐसा आवेदन किया जाता है, की समाप्ति से एक वर्ष की अवधि के भीतर कार्यवाही किए जाने वाले आवेदन को अस्वीकार करने वाला या आवेदन को अनुज्ञात करने वाला आदेश पारित कर सकेगा। यह उपबंध करने वाले आय-कर अधिनियम की धारा 245घ की उपधारा (4) का संशोधन करने का यह और प्रस्ताव भी है कि ग्रहण किए गए प्रत्येक आवेदन में, समझौता आयोग, जहां संभव हो, वहां ऐसे वित्तीय वर्ष, जिसमें ऐसे आवेदन पर कार्यवाही किया जाना अनुज्ञात किया गया था, की समाप्ति से चार वर्ष की अवधि के भीतर अन्तिम आदेश पारित कर सकेगा।

विधेयक में निर्धारण अधिकारी को मामले को वापस भेजने के संबंध में धारा 245जक के अधीन दी गई समझौता आयुक्त की शक्ति को वापस लेने का

भी प्रस्ताव है, इसके द्वारा समझौता आयोग से इसके द्वारा ग्रहण किए गए सभी आवेदनों पर अन्तिम रूप से विनिश्चय करने तथा उनका निपटारा करने की अपेक्षा की जाती है।

ऐसे ही संशोधन धन-कर अधिनियम की धारा 22ख तथा 22जख में किए जाने का प्रस्ताव है।

धारा 245ग की उपधारा (1ङ) को, जो पारिणामिक प्रकृति की है, हटाए जाने का भी प्रस्ताव है।

ये संशोधन 1 जून, 2002 से प्रभावी होंगे।

[खंड 91, 92, 93, 108 और 109]

अपील अधिकरण के अध्यक्ष की नियुक्ति से संबंधित उपबंध का उपांतरण

आय-कर अधिनियम की धारा 252 की उपधारा (3) में अन्तर्विष्ट विद्यमान उपबंध के अधीन, केन्द्रीय सरकार साधारणतया अपील अधिकरण के किसी न्यायिक सदस्य को उसका अध्यक्ष नियुक्त करती है।

अध्यक्षों और ज्येष्ठ उपाध्यक्षों के पदों के सृजन के साथ और उनके द्वारा किए गए कार्यों पर विचार करके, यह उपबंध करने के लिए उक्त उपधारा को प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है कि केन्द्रीय सरकार ज्येष्ठ उपाध्यक्ष या उपाध्यक्षों में से किसी उपाध्यक्ष को उसका अध्यक्ष नियुक्त करेगी।

यह संशोधन भूतलक्षी रूप से 1 अप्रैल, 2002 से प्रभावी होगा । *[खंड 94]*

स्थावर सम्पदा संव्यवहार में पूंजी अभिलाभों की संगणना

विधेयक में आय-कर अधिनियम में एक नई धारा 50ग अन्तःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे स्थावर संपत्ति के अन्तरण के मामलों में प्रतिफल का पूर्ण मूल्य अवधारित करने के लिए विशेष उपबंध किया जा सके।

यह उपबंध किए जाने का प्रस्ताव है कि जहां भूमि या भवन या दोनों के परिणामस्वरूप प्राप्त किए जाने वाला या उदभूत होने वाला घोषित प्रतिफल, ऐसे अन्तरण की बाबत स्टाम्प शुल्क के प्रयोजन के लिए किसी राज्य सरकार के किसी प्राधिकार द्वारा अंगीकृत या निर्धारण मूल्य से कम है, वहां इस प्रकार अंगीकृत या निर्धारित मूल्य प्रतिफल का पूर्ण मूल्य समझा जाएगा तथा पूंजी अभिलाभ आय-कर की धारा 48 के अधीन तदनुसार संगणित किए जाएंगे।

यह उपबंध किए जाने का और प्रस्ताव यह है कि जहां निर्धारिती यह दावा करता है कि स्टाम्प शुल्क प्रयोजनों के लिए अंगीकृत या निर्धारित मूल्य अन्तरण की तारीख को ही सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से अधिक है और उसने किसी प्राधिकरण या न्यायालय के समक्ष किसी अपील या पुनरीक्षण या प्रतिनिर्देश में ऐसे अंगीकृत या निर्धारित मूल्य पर विवाद नहीं किया है तो निर्धारण अधिकारी आय-कर अधिनियम की धारा 55क के अनुसार, किसी मूल्यांकन अधिकारी को सुसंगत आस्ति का मूल्यांकन निर्दिष्ट करेगा। यदि मूल्यांकन अधिकारी द्वारा अवधारित उचित बाजार मूल्य स्टाम्प शुल्क प्रयोजनों के लिए अंगीकृत मूल्य से कम है तो निर्धारण अधिकारी ऐसे उचित बाजार मूल्य, जो प्रतिफल का पूर्ण मूल्य होगा, को ले सकेगा। तथापि, यदि मूल्यांकन अधिकारी द्वारा अवधारित उचित बाजार मूल्य, स्टाम्प शुल्क प्रयोजनों के लिए अंगीकृत या निर्धारित मूल्य से अधिक है तो निर्धारण अधिकारी ऐसे बाजार मूल्य को अंगीकृत नहीं करेगा और प्रतिफल के पूरे मूल्य को लेगा जो स्टाम्प शुल्क प्रयोजनों के लिए अंगीकृत या निर्धारित मूल्य होगा।

यह उपबंध किए जाने का भी प्रस्ताव है कि यदि स्टाम्प शुल्क प्रयोजनों के लिए अपनाया या निर्धारित किया गया मूल्य किसी अपील, पुनरीक्षण या प्रतिनिर्देश में पुनरीक्षित कर दिया जाता है तो किया गया निर्धारण प्रतिफल के पूरे मूल्य के रूप में पुनरीक्षित मूल्य को लेकर पूंजी अभिलाभों को पुनः संगणित करने के लिए संशोधित किया जाएगा।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2003 से प्रभावी होंगे और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2003-2004 और पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

[खंड 24 और 59]

निर्धारिती को संदेय ब्याज से संबंधित उपबंधों का उपांतरण

आय-कर अधिनियम के विद्यमान उपबंधों के अधीन, प्रत्येक मास या मास के किसी भाग के लिए तीन बटे चार प्रतिशत की दर पर या प्रतिवर्ष नौ प्रतिशत की दर से निर्धारिती को ब्याज संदेय है।

विधेयक प्रत्येक मास या मास के भाग के लिए 9 प्रतिशत से 8 प्रतिशत, प्रतिवर्ष के लिए ब्याज की पूर्वोक्त दर को तीन बटा चार प्रतिशत से दो बटा तीन प्रतिशत तक कम करने के लिए है। तदनुसार, आय-कर अधिनियम की धारा 244क और दूसरी अनुसूची के नियम 68क के उपनियम (3) का संशोधन करने का प्रस्ताव किया जाता है।

ऐसा ही संशोधन धन-कर अधिनियम की धारा 34क में भी प्रस्तावित है।

प्रस्तावित संशोधन 1 जून, 2002 से प्रभावी होगा।

[खंड 90, 105 और 110]

कर संग्रहण लेखा संख्यांक के लिए आवेदन करने की अपेक्षा

धारा 206ग के विद्यमान उपबंधों के अधीन, प्रत्येक व्यक्ति, जो एक विक्रेता है, क्रेता के लेखा में क्रेता द्वारा संदेय रकम को विकलित करते समय या नकद रूप में उक्त क्रेता से ऐसी रकम की प्राप्ति के समय पर, चैक या ड्राफ्ट के निर्गम द्वारा या किसी अन्य पद्धति द्वारा, उक्त धारा की उपधारा (1) के अधीन सारणी में विनिर्दिष्ट प्रतिशत के बराबर राशि क्रेता से संगृहीत करेगा।

विधेयक में यह उपबंध करने के लिए एक नई धारा 206कग अन्तःस्थापित करने का प्रस्ताव है कि धारा 206ग के उपबंधों के अनुसार स्रोत पर कर संगृहीत करने वाला प्रत्येक व्यक्ति कर संग्रहण लेखा संख्यांक के आबंटन के लिए निर्धारण अधिकारी को आवेदन करेगा। यह उपबंध करने का भी प्रस्ताव है कि ऐसा कर संग्रहण लेखा संख्यांक स्रोत पर संगृहीत किसी कर के संदाय के सभी चालानों में, संगृहीत कर के लिए सभी प्रमाणपत्रों में और धारा 206ग के उपबंधों के अधीन प्रस्तुत की जाने वाली सभी विवरणियों में कोट किया जाएगा। ऐसे कर संग्रहण लेखा संख्यांक को ऐसे संव्यवहार, जो राजस्व के हित में विहित किए जाएं, से संबंधित सभी अन्य दस्तावेजों में भी कोट किया जाना अपेक्षित होगा।

उन मामलों में जहां ऐसे व्यक्ति, जिनसे ऐसे लेखा संख्यांक के लिए आवेदन करने की अपेक्षा की जाती है, किसी युक्तियुक्त कारण के अभाव में ऐसा करने में असफल रहे हैं, वहां दस हजार रुपए की शास्ति के उदग्रहण के लिए उपबंध की व्यवस्था करने हेतु एक नई धारा 272 खखख को पुरःस्थापित करने का प्रस्ताव है।

यह संशोधन 1 जून, 2002 से प्रभावी होगा। *[खंड 88,101 और 102]*

कर परिवर्जन रोकने के उपाय

अपूर्ण फीस और अपरिवर्जनीय अधिकारों के रूप में प्राप्तियों पर कर लगाने के लिए नए उपबंध

"कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ" शीर्ष के अधीन किसी कारबार के संबंध में कोई क्रियाकलाप न करने के लिए किसी करार के अधीन नकद या वस्तु रूप में किसी प्राप्त या प्राप्य राशि पर कर प्रभारित करने के लिए, व्यवहार ज्ञान, पेटेंट, प्रतिलिप्यधिकार, व्यापार चिन्ह, अनुज्ञप्ति, विशेषाधिकार या किसी अन्य कारबार या उसी प्रकृति के वाणिज्यिक अधिकार या माल के विनिर्माण या प्रसंस्करण में सहायता के लिए संभावी सूचना या तकनीकी सेवाओं के लिए उपबंध में भाग न लेने के लिए इस संशोधन में आय-कर अधिनियम 1961 में एक नया उपबंध अन्तःस्थापित करने का प्रस्ताव है।

प्रस्तावित संशोधन 1 अप्रैल, 2003 से प्रभावी होगा और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2003-2004 और पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खण्ड 3 और 13]

कतिपय मामलों को धारा 197क के उपबंधों का लागू न होना

धारा 197क के विद्यमान उपबंधों के अधीन, निर्धारिती द्वारा दी गई घोषणा के आधार पर स्रोत पर किसी कर की कटौती नहीं की जाती है, सुसंगत पूर्व वर्ष की उसकी कुल प्राक्कलित आय पर कर शून्य होगा। उक्त धारा की उपधारा (1) के उपबन्ध राष्ट्रीय बचत स्कीम आदि के अधीन निक्षेपों की बाबत लाभाशों और संदायों के रूप में संदायों से स्रोत पर कटौती को लागू होते हैं। उपधारा (1क) के उपबंध "प्रतिभूतियों पर ब्याज", "प्रतिभूतियों पर ब्याज" से भिन्न ब्याज और किसी कंपनी या किसी फर्म से भिन्न किसी व्यक्ति की दशा में यूनिटों से आय की बाबत लागू होते हैं।

उक्त धारा के उपबंधों को सुव्यवस्थित करने की दृष्टि से, यह उपबंध करने के लिए उक्त धारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है कि इस धारा के उपबंध उन मामलों में लागू नहीं होंगे जहां, यथास्थिति, उपधारा (1) या उपधारा (1क) में निर्दिष्ट प्रकृति की किसी आय की रकम या ऐसे पूर्ववर्ष के दौरान, जिसमें ऐसी आय जो सम्मिलित की जानी है, जमा की गई हो या संदत्त की गई हो या जिनकी जमा किए जाने या संदत्त किए जाने की संभावना हो ऐसी आय की रकम का योग, उस अधिकतम रकम से अधिक है जो आय-कर से प्रभार्य नहीं है।

यह संशोधन 1 जून, 2002 से प्रभावी होगा। ***[खंड 82]***

कंपनियों तथा सहकारी समितियों के लिए भी आज्ञापक बनाए गए धारा 80-झक और 80झख के अधीन कटौती का दावा करने वाले उपक्रमों के लिए पृथक् लेखापरीक्षा

आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 80झख उस धारा में विनिर्दिष्ट अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास, या/और रखरखाव या/और प्रचालन के कारबार में लगे हुए उपक्रमों या उद्यमों को कटौती प्रदान करने का उपबंध करती है।

आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 80झख किसी ऐसे उपक्रम/उद्यम, जो लघु औद्योगिक उपक्रम, औद्योगिक रूप से पिछड़े राज्यों में, औद्योगिक रूप से पिछड़े जिलों में एक औद्योगिक उपक्रम है, के लाभों या अभिलाभों से विनिर्दिष्ट प्रतिशत पर कटौती करने के लिए उपबंध करती है।

आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 80झक और 80झख के अधीन कटौती का लाभ लेने के लिए, किसी कम्पनी या सहकारी समिति से भिन्न, किसी पात्र निर्धारिती द्वारा पात्र उपक्रम की बाबत एक पृथक् लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी है।

यह पृथक् लेखा परीक्षा (विहित प्ररूप में या विहित रीति से) प्रस्तुत करने की अपेक्षा को धारा 80झक और धारा 80झख के अधीन कटौतियों का दावा करने के लिए, कंपनियों या सहकारी समितियों के लिए भी आज्ञापक बनाने का प्रस्ताव करती है।

उपक्रमों या उद्यम, जो विशेष आर्थिक जोन को विकसित करता है, या उसका रखरखाव या प्रचालन करता है, के प्रति निर्देश के लिए, आय-कर अधिनियम 1961 की धारा 80झक की उपधारा (2) के प्रस्तावित संशोधन स्पष्टीकारक प्रकृति के हैं।

ये संशोधन 1 अप्रैल 2003 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2003-2004 और पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगें। ***[खंड 32]***

कर आधार का विस्तारण

लाभांशों का कराधान

धारा 115ण में अन्तर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन, किसी देशी कम्पनी की कुल आय की बाबत प्रभार्य आयकर के अतिरिक्त लाभांशों के रूप में घोषित, वितरित या संदत्त कोई रकम 10 प्रतिशत की दर पर अतिरिक्त आयकर से प्रभारित है। कम्पनी द्वारा इस प्रकार संदत्त कर लाभांश के रूप में घोषित, वितरित या संदत्त रकम की बाबत कर के अन्तिम संदाय के रूप में समझी जाएगी। धारा 115ण में निर्दिष्ट ऐसा लाभांश धारा 10 के खंड (33) के उपखंड (i) के अधीन शेयर धारकों को प्राप्त होते ही छूट प्राप्त है। इस प्रकार, कर का भार संदायकर्ता कम्पनी पर है न कि प्राप्तकर्ता पर, जब कि यह सामान्यतः होना चाहिए।

लाभांश शेयर धारकों को मिलते ही आय है न कि कम्पनी को मिलने पर। इस प्रकार, कर का भार प्राप्तकर्ता पर होना चाहिए। इसके अतिरिक्त, वर्तमान उपबंध एक समान ऐसी दर, जिस पर प्राप्तकर्ता पर अन्यथा कर लगाया जाता है, को ध्यान में न रखते हुए वितरित लाभों पर 10% समान दर से कर उदगृहीत करते हैं। इस प्रकार उपबंधों को अन्यायपूर्ण भी माना जाता है।

अतः, धारा 10 के खंड 33 के उपखंड (i) का लोप करके और धारा 115ण का संशोधन करके लाभांश पर कर लगाने की पूर्व प्रणाली को उलटने और लाभांशों को प्राप्त करने वाले शेयर धारकों पर कर का भार डाले जाने का प्रस्ताव है जिससे इस धारा के उपबंधों को 31 मई, 2002 से पहले देशी कम्पनियों द्वारा वितरित लाभों की बाबत ही लागू किया जा सके।

तथापि, कम्पनी के मामले में निरंतर परिवर्तन के प्रभाव को रोकने के लिए, किसी पुनरीक्षित प्ररूप में धारा 80ड को पुनः पुरःस्थापित करने का प्रस्ताव है। इस धारा के अधीन कटौती किसी ऐसी देशी कम्पनी को उपलब्ध होगी जो किसी दूसरी देशी कम्पनी से लाभांश प्राप्त करती है, और पुनः इसके लाभों में से लाभांश को वितरित करती है। किसी देशी कम्पनी द्वारा किसी अन्य देशी कम्पनी से इस प्रकार प्राप्त लाभांशों पर कटौती की रकम, विवरणी फाइल करने की नियत तारीख को या इससे पूर्व प्राप्तकर्ता कम्पनी द्वारा वितरित लाभांशों के परिमाण तक सीमित है।

धारा 194 में अन्तर्विष्ट विद्यमान उपबन्धों के अधीन, ऐसे शेयर धारक की दशा में धारा 115ण में निर्दिष्ट लाभांशों के लिए भारत में निवासी होने की दशा में स्रोत पर किसी कर की कटौती की जानी अपेक्षित नहीं है।

प्राप्तकर्ता पर कर भार डालने से, स्रोत पर कर की कटौती के उपबंधों को पुनः प्रवृत्त किए जाने का प्रस्ताव है। किसी भारतीय कम्पनी या कम्पनी को प्रधान अधिकारी, जिसने किसी लाभांश की बाबत, किसी लाभांश के किसी ऐसे शेयर धारक, जो भारत में निवासी है, को कोई वितरण या संदाय करने से पूर्व नकद में कोई संदाय करने से पूर्व या कोई चैक या वारंट जारी करने से पूर्व भारत के भीतर लाभांशों की घोषणा और संदाय के लिए विहित इंतजाम किए हैं, प्रवृत दरों पर ऐसे लाभांश, से आय कर की कटौती किए जाने के लिए अपेक्षित होगा। ये दरें वित्त अधिनियम की प्रथम अनुसूची के भाग-2 में विनिर्दिष्ट की गई हैं। कर, किसी प्रारंभिक सीमा के बिना घोषित लाभांश की किसी रकम के लिए कटौती किए जाने के लिए अपेक्षित होगा।

धारा 195 की उपधारा (1) के दूसरे परंतुक के अनुसार धारा 115ण में निर्दिष्ट लाभांशों की बाबत किसी ऐसे शेयरधारक, जो अनिवासी है, या विदेशी कंपनी है, की दशा में कर स्रोत पर कटौती किए जाने के अपेक्षित नहीं है।

लाभांशों के कराधान की स्कीम में परिवर्तन होने के परिणामस्वरूप, धारा 195 को पुनःप्रवृत्त करने का भी प्रस्ताव है। इसलिए कोई व्यक्ति जो किसी अनिवासी को, जो कंपनी नहीं है, या किसी विदेशी कंपनी को संदाय करने के लिए उत्तरदायी है, पाने वाले के खाते में लाभांश के रूप में ऐसी आय जमा करते समय या उसका नकद रूप में चैक या ड्राफ्ट देकर किसी अन्य ढंग से संदाय करते समय प्रवृत दरों पर कर कटौती करने के लिए अपेक्षित होगा। ये दरें वित्त अधिनियम की प्रथम अनुसूची के भाग 2 में विनिर्दिष्ट हैं।

चूंकि धारा, 115ण के उपबंध अप्रचलित हो जाएंगे इसलिए धारा 10(23चक), धारा 10(23छ), धारा 115क, धारा 115कघ, धारा 115कघक, और 115ग में, "धारा 115ण में निर्दिष्ट लाभांशों से भिन्न" के प्रति निर्देश का लोप किए जाने का भी प्रस्ताव है। यह और प्रस्ताव है कि धारा 196ग और 196घ के परंतुकों का लोप किया जाए जिससे कि धारा 115कग और धारा 115कघ में निर्दिष्ट आय की बाबत स्रोत पर कटौती वहां की जाएगी जहां आय धारा 115ण में निर्दिष्ट लाभांशों के रूप में भी प्राप्त की जाती है।

प्रस्तावित संशोधन 1 अप्रैल, 2003 से प्रभावी होंगे और तद्नुसार, निर्धारण वर्ष 2002-2003 और पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे। तथापि, धारा 194,धारा 195, धारा 196 ग, धारा घ के अधीन स्रोत पर कर की कटौती के संबंधित उपबंध 1 जून, 2002 से प्रभावी होंगे।

[खंड 4 (ब), 4 ल, 34, 42, 43, 44, 45, 47, 50, 70, 77, 80 और 81]

भारतीय यूनिट ट्रस्ट के यूनिटों और पारस्परिक निधियों की बाबत प्राप्त आय का कराधान

धारा 115द में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंध के अधीन भारतीय यूनिट ट्रस्ट या पारस्परिक निधि द्वारा अपने यूनिट धारकों को वितरित आय की रकम कर के लिए प्रभार्य है और भारतीय यूनिट ट्रस्ट और पारस्परिक निधि ऐसी वितरित रकम पर दस प्रतिशत की दर के अनुसार अतिरिक्त आय-कर का संदाय करने के लिए दायी है। तथापि, धारा 10 की उपधारा (33) के उपखंड (ii) और उपखंड (iii) के अधीन यूनिट धारक की ऐसी आय को छूट प्राप्त है।

देशी कंपनी द्वारा वितरित लाभांश की दशा में, यह प्रस्ताव है कि लाभांश प्राप्त करने वाले शेयरधारकों पर कर भार डाला जाए। इसी प्रकार यह प्रस्ताव है कि भारतीय यूनिट ट्रस्ट और पारस्परिक निधियों के यूनिट धारकों पर कर भार डाला जाए। इसलिए धारा 10 के खंड (33) के उपखंड (ii) और उपखंड (iii) का लोप किए जाने का प्रस्ताव है धारा 115द को अप्रचलित बनाए जाने का भी प्रस्ताव है ताकि भारतीय यूनिट ट्रस्ट और पारस्परिक निधियां 1 अप्रैल, 2002 को या उसके पश्चात् अपने यूनिट धारकों को उनके द्वारा वितरित आय पर कर संदाय करने के लिए अपेक्षित नहीं होंगी।

भारतीय यूनिट ट्रस्ट और पारस्परिक निधियों के यूनिटों से आय प्राप्तकर्ता द्वारा प्राप्त करते ही अब कराधेय हो जाएगी। तथापि, भारतीय यूनिट ट्रस्ट और पारस्परिक निधियों के खुली साधारण शेयरोन्मुखी (ओपेन इंडेड इक्विटी ओरियंटेड) निधियों के निरन्तर समर्थन के लिए यह उपबंध करने के लिए एक नई धारा 115खखख को अतःस्थापित करने का प्रस्ताव है कि 31 मार्च, 2003 को या उससे पूर्व उद्भूत भारतीय यूनिट ट्रस्ट या पारस्परिक निधि के ऐसी निधियों के यूनिटों से आय दस प्रतिशत की रियायती दर पर कराधेय होगी।

यूनिटों से आय के कराधान की परिवर्तित स्कीम को देखते हुए, धारा 149ट को नए रूप में पुनःप्रवर्तित करने का भी प्रस्ताव किया गया है, जिससे कि यह उपबंध किया जा सके कि जहां कोई आय धारा 10 के खंड(23 घ) के अधीन अंतर्विष्ट किसी परस्पर निधि के या भारतीय यूनिट ट्रस्ट के यूनिटों के संबंध में किसी निवासी को संदेय है, वहां संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति, संदायकर्ता के खाते में ऐसी आय जमा करते समय या उसको नकद द्वारा या चैक अथवा ड्राफ्ट जारी करके या किसी अन्य ढंग द्वारा संदाय के समय,इसमें जो भी पूर्वतर हो, उस पर दस प्रतिशत की दर से आय-कर की कटौती करेगा।

धारा 196क के उपबंधों को भी पुनः प्रवर्तित करने का प्रस्ताव किया जाता है जिससे कि यह उपबंध किया जा सके कि भारतीय यूनिट ट्रस्ट या परस्पर निधियों के यूनिटों की बाबत किसी ऐसे अनिवासी को, जो कंपनी नहीं है या किसी विदेशी कंपनी को संदत किसी आय पर बीस प्रतिशत की दर से स्रोत पर कर की कटौती की जाएगी।

प्रस्तावित संशोधन 1 अप्रैल, 2003 से प्रभावी होंगे और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2003-2004 और पश्चातवर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगें। तथापि 194क और 196क धाराओं के अधीन स्रोत पर कर की कटौती से संबंधित उपबंध 1जून, 2002 से प्रभावी होंगे।

[खंड 4(म), खड 46,खड 51,खड 76 और खड 79]

स्थानीय प्राधिकरण

धारा 10 के खंड (20) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन किसी स्थानीय प्राधिकरण की 'गृह संपत्ति से आय' 'पूंजी अभिलाभ', या 'अन्य स्रोतों से आय' के अधीन प्रभार्य या इसके द्वारा चलाए जा रहे किसी व्यापार या कारबार से हुई ऐसी आय को, जो इसकी अधिकारिता - क्षेत्र के भीतर किसी वस्तु या सेवा के प्रदाय से अथवा इसके स्वंय के अधिकारिता - क्षेत्र के भीतर या बाहर जल या विद्युत के प्रदाय से उद्भूत या उत्पन्न होती है, आय-कर के संदाय से छूट प्राप्त है।

यह प्रस्तावित किया जाता है कि इस छूट को भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 (घ) और अनुच्छेद 243 (त)(ड) में यथा निर्दिष्ट पंचायतों और नगर पालिकाओं, ऐसी नगरपालिका समितियों और जिला बोर्डों, जो किसी नगरपालिका या स्थानीय निधि के नियंत्रण या प्रबंधन के लिए विधिक रूप से हकदार हैं या ऐसा नियंत्रण या प्रबंधन सरकार द्वारा उन्हें सौंपा गया है, और छावनी बोर्ड अधिनियम, 1924 की धारा 3 के अधीन यथा परिभाषित छावनी बोर्ड तक निर्बंधित किया जाए।

प्रस्तावित संशोधन 1 अप्रैल, 2003 से प्रभावी होगा और तद्नुसार, निर्धारण वर्ष 2003-2004 और पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 4(ठ)]

आवासन बोर्ड आदि

धारा 10 के खंड (20क) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन, आवासन बोर्डो या आवासन की आवश्यकताओं को निपटाने या उनका समाधान करने या शहरों, नगरों और ग्रामों की योजना, विकास या सुधार के प्रयोजनों के लिए गठित अन्य कानूनी प्राधिकरणों की आय को आय-कर के संदाय से छूट प्राप्त होगी।

यह प्रस्ताव किया जाता है कि धारा 10 के खंड (20क) को हटाकर ऐसे निकायों को उपलब्ध छूट का प्रत्याहरण किया जाए।

प्रस्तावित संशोधन 1 अप्रैल, 2003 से प्रभावी होगा और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2003-2004 और पश्चात्‌वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 5(ड)]

खेल निकाय

धारा 10 के खंड (23) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन ऐसे अधिसूचित संगम या संस्था की, जो भारत में स्थापित है और जिसका उद्देश्य क्रिकेट, हाकी, फुटबाल, टेनिस खेलों का नियंत्रण, पर्यवेक्षण, विनियमन करना या उन्हें प्रोत्साहन देना है, आय को आय-कर से छूट प्राप्त है।

यह प्रस्ताव किया जाता है कि इन निकायों को उपलब्ध कर छूट का प्रत्याहरण किया जाए।

प्रस्तावित संशोधन 1 अप्रैल, 2003 से प्रभावी होगा और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2003-2004 और पश्चात्‌वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 4(म)]

वस्तुओं के विपणन के लिए प्राधिकरण

धारा 10 के खंड (29) में अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन, वस्तुओं के विपणन के लिए विधि के अधीन गठित किसी प्राधिकरण की दशा में, वस्तुओं के भंडारण, प्रसंस्करण या विपणन को सुकर बनाने के लिए किसी गोदाम या भांडागार को किराए पर देने से व्युत्पन्न आय को आय-कर के संदाय से छूट प्राप्त है।

यह प्रस्ताव किया जाता है कि धारा 10 के खंड (29) के अधीन, इन विपणन प्राधिकरणों को उपलब्ध कराई गई छूट का प्रत्याहरण किया जाए।

प्रस्तावित संशोधन 1 अप्रैल, 2003 से प्रभावी होगा और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2003-2004 और पश्चात्‌वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 4(म)]

राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, प्रसार भारती और तेल उद्योग विकास बोर्ड द्वारा आय-कर का संदाय

कतिपय कानूनी निकायों को, उस अधिनियम में, जिनके द्वारा इन निकायों का गठन किया गया है, इस आशय का उपबंध करके, किसी भी आय-कर के संदाय से छूट दी गई है।

राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (रा.डे.वि.बो.) को राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड अधिनियम, 1987 की धारा 44 के अधीन आय-कर या व्युत्पन्न आय,लाभ या अभिलाभ के संबंध में किसी अन्य कर के संदाय से छूट प्राप्त है।

प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) को प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण नियम) अधिनियम, 1990 की धारा 22 के अधीन निगम की निधि से उद्‌भूत या उत्पन्न होने वाली किसी आय, लाभ या अभिलाभ अथवा उस निधि में प्राप्त किसी रकम और व्युत्पन्न आय, लाभों या अभिलाभों अथवा निगम द्वारा प्राप्त किसी रकम के संबंध में आय-कर के संदाय से छूट प्राप्त है।

तेल उद्योग विकास बोर्ड को तेल उद्योग(विकास) अधिनियम, 1974 की धारा 22क के अधीन इसकी आय, लाभ या अभिलाभों पर आय-कर के संदाय से छूट प्राप्त है।

यह प्रस्ताव किया जाता है कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड अधिनियम, 1987 की धारा 44, प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम)अधिनियम,1990 और तेल उद्योग (विकास) अधिनियम, 1974 की धारा 22क का लोप किया जाए।

प्रस्तावित संशोधन 1 अप्रैल, 2003 से प्रभावी होंगे और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2003-04 और पश्चात्‌वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

[खंड 150, 152 और 153]

उन मामलों में, जहां धारा 44कख के अधीन कुल आवर्त या सकल प्राप्तियां विनिर्दिष्ट सीमा से अधिक है, वहां व्यष्टिक और हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब से कर कटौती

व्यष्टिक और हिन्दू अविभक्त कुटुम्बों से धारा 194क, धारा 194ग, धारा 194ज, धारा 194झ और धारा 194ञ के विद्यमान उपबंधों के अधीन स्रोत पर कर की कटौती की अपेक्षा नहीं की जाती है।

व्यष्टिक और हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब से जिनका कारबार या वृत्ति में विक्रय, आवर्त या सकल प्राप्तियां, यथास्थिति, चालीस लाख रुपए या दस लाख रुपए से अधिक हैं, अपने लेखे संपरीक्षित करवाने की अपेक्षा की जाती है। इसलिए, लेखा पुस्तकों और अन्य दस्तावेजों को बनाए रखने की अपेक्षा की जाती है।

अतः, यह उपबंध करने के लिए उपरोक्त धाराओं के उपबंधों का संशोधन करने का प्रस्ताव है कि ऐसे व्यक्ति या हिन्दू कुटुम्ब, जिसका उसके द्वारा किए जा रहे कारबार या वृत्ति से कुल विक्रय, आवर्त या सकल प्राप्तियां ऐसे वित्तीय वर्ष से ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष, जिसमें आय जमा या संदत्त की जानी है, के दौरान धारा 44कख के खंड (क) और खंड (ख) के अधीन विनिर्दिष्ट धनीय सीमा से अधिक है, ऊपर उल्लिखित धाराओं के सुसंगत उपबंधों के अधीन आय-कर की कटौती की जाएगी।

ये संशोधन 1 जून, 2002 से प्रभावी होंगे। ***[खंड 71, 72, 73, 74 और 75]***

कल्याणकारी उपाय

गुजरात भूकंप राहत के लिए प्राप्त संदानों को उपयोग करने की तारीख का विस्तारण

आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 80छ के विद्यमान उपबंधों के अनुसार, किसी निर्धारिती को उसके द्वारा विनिर्दिष्ट पूर्त निधियों और संस्थाओं को किए गए संदानों की बाबत, उसकी कुल आय से कटौती अनुज्ञात की जाती है। राष्ट्रीय महत्ता की कतिपय निधियों को संदानों की बाबत कटौती की रकम, संदान का 100% है, जबकि अन्य अनुज्ञात निधियों/संस्थाओं को संदानों की बाबत कटौती 50% पर उपलब्ध है। गुजरात के भूकंप की गुरूता को देखते हुए 30 सितम्बर,, 2001 तक न्यासों, निधियों और संस्थाओं को प्राप्त ऐसे संदानों को, जिन्हे भूकंप पीड़ितों को राहत देने के लिए उपयोग किया जाना है, कराधान विधि (संशोधन) अधिनियम, 2001 द्वारा 100% कटौती अनुज्ञात की गई थी। ऐसे संदानों का गुजरात में भूकंप पीड़ितों को राहत देने के लिये 31 मार्च, 2002 तक उपयोग किया जाना था। अप्रयुक्त रकम को 31 मार्च,2002 तक प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत निधि में अंतरित किया जाना था। इसमें असफल रहने पर, संदानों की अप्रयुक्त रकम या ऐसी रकम पर जिसे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत निधि में अंतरित नहीं किया जाता है और जो ऐसी निधियों, संस्थाओं या न्यासों के पास रह जाती है, आय-कर अधिनियम 1961, की धारा 10 के खंड (23ग) या धारा 12 के उपबंधों के निबंधनों के अनुसार कर लगाया जाना था। इसके अतिरिक्त, ऐसे न्यासों, निधियों और संस्थाओं को ऐसी निधियों के संबंध में पृथक् लेखे रखने थे और इन्हें 30 जून, 2002 तक विहित प्राधिकारी को देना था।

विस्तृत पैमाने पर हुए नुकसान को ध्यान में रखते हुए, एक वर्ष की सीमित अवधि में, राहत कार्य पूरा करना संभव नहीं हो सकेगा। अतः, यह प्रस्ताव किया जाता है कि पात्र संदानों का उपयोग करने और अप्रयुक्त निधियों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत निधि में अंतरित करने की समय सीमा को 31 मार्च,2002 से 31 मार्च, 2003 तक विस्तारित किया जाए। यह भी प्रस्ताव किया जाता है कि विहित प्राधिकारी को पृथक् लेखे प्रस्तुत करने की तारीख को 30 जून, 2003 तक विस्तारित किया जाए। इसके अतिरिक्त, राजकोषीय दंड विधान सुनिश्चित करने के लिए यह भी प्रस्ताव किया जाता है कि यदि विहित अधिकारी को विहित समय के भीतर कोई लेखे प्रस्तुत नहीं किए जाते हैं तो न्यासों, निधियों संस्थाओं द्वारा भूकंप पीडितों को राहत देने के लिए प्राप्त संदानों की रकम को ऐसे न्यासों, निधियों या संस्थानों की आय समझा जाएगा और तद्नुसार, कर से प्रभारित किया जाएगा।

प्रस्तावित संशोधन भूतलक्षी रूप से 3 फरवरी, 2001 से प्रभावी होगा।

[खंड 4(i), 8 और 29]

कुटुम्ब पेंशन के प्राप्तकर्ताओं के लिए धारा 89 के अधीन अनुतोष

आय-कर अधिनियम की धारा 89 के विद्यमान उपबंधों के अधीन किसी निर्धारिती को, यदि उसके कर दायित्वों में, प्राप्ति के किसी वर्ष में वेतन, वेतन के स्थान पर लाभों, आदि की प्राप्ति के, जिसे बकाया या अग्रिम रूप में संदाय किया गया है, कारण वृद्धि हो गई है तो कर अनुतोष दिया जाता है। कर अनुतोष की संगणना, उस विस्तार को निकाल कर की जाती है, जिस तक कर दायित्व कम होता, यदि ऐसी आय उन वर्षों में प्राप्त की जाती, जिनसे वह संबंधित है। प्रस्तावित संशोधन किसी मृत कर्मचारी के कुटुंब सदस्यों द्वारा बकाया के रूप में प्राप्त कुटुंब पेंशन के लिए वैसे ही अनुतोष का उपबंध करने के लिए है।

प्रस्तावित संशोधन भूतलक्षी रूप से 1 अप्रैल, 1996 से प्रभावी होंगे और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 1996-1997 और पश्चातवर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

[खंड 36]

नियोजक को कर्मचारियों की ओर से कर संदाय करने का विकल्प देकर परिलब्धियों के कराधान की स्कीम का सरलीकरण

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 192 के विद्यमान उपबंधों के अधीन किसी नियोजक से यह अपेक्षा की जाती है कि वह "वेतन" शीर्ष के अधीन आय पर, जिसमें परिलब्धियों का मूल्य सम्मिलित है, स्रोत्र पर कर की कटौती करे। उस दशा में, जहां ऐसा कर, नियोजक द्वारा किसी कर्मचारी की ओर से संदत्त किया जाता है वहां वह कर, जो बाध्यता की प्रकृति का है किन्तु ऐसा संदाय न किए जाने पर कर्मचारी द्वारा संदेय होता, परिलब्धि समझा जाए और कर प्रभारित किया जाए।

परिलब्धियों के कराधान की नई प्रस्तावित स्कीमों के अधीन, किसी नियोजक को, किसी कर्मचारी की ओर से, कर्मचारी की आय में से कोई कटौती किए बिना, परिलब्धियों (जो धनीय संदायों के माध्यम से उपलब्ध नहीं कराई गई हैं) के पूर्ण या आंशिक मूल्य पर कर संदाय करने का विकल्प होगा।

यह प्रस्ताव किया जाता है कि किसी नियोजक द्वारा उसके विकल्प पर, कर्मचारी की ओर से परिलब्धि (जो धनीय संदायों के माध्यम से उपलब्ध नहीं कराई गई हैं) के रूप में आय पर संदत्त वास्तविक कर की रकम को परिलब्धियों में सम्मिलित करने से छूट देने के लिए धारा 10 में नया खंड (10गग) अंतःस्थापित किया जाए। यह भी प्रस्ताव किया जाता है कि नियोजक द्वारा संदत्त ऐसे कर को आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 40 के अधीन नियोजक के पास अनुज्ञेय व्यय के रूप में नहीं समझा जाएगा।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2003 से प्रभावी होंगे और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2003-04 और पश्चातवर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगें।

यह भी प्रस्ताव किया जाता है कि कर के संग्रहण और वसूली से संबंधित अध्याय-17 के विभिन्न उपबंधों में आवश्यक परिवर्तन किए जाएं। यह प्रस्ताव किया जाता है कि आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 192 का संशोधन किया जाए, जिससे कि यह उपबंध किया जा सके कि नियोजक के पास, किसी कर्मचारी की ओर से, उसकी आय में से कोई कटौती किए बिना परिलब्धियों (जो धनीय संदायों के माध्यम से उपलब्ध नहीं कराई गई हैं) की प्रकृति की आय पर कर संदाय करने का विकल्प होगा। नियोजक के पास ऐसी संपूर्ण आय या उसके भाग पर कर कटौती करने का विकल्प भी होगा।

यह भी प्रस्ताव किया जाता है कि आयकर अधिनियम,1961 की धारा 200 का संशोधन किया जाए, जिससे कि यह उपबंध किया जा सके कि कर, विहित समय के भीतर केन्द्रीय सरकार के नामे या जैसा कि बोर्ड निदेश दे, जमा किया जाएगा। यह भी प्रस्ताव किया जाता है कि आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 203 का संशोधन किया जाए, जिससे कि यह उपबंध किया जा सके कि जहां ऐसा कोई कर नियोजक द्वारा कर्मचारी की ओर से संदत्त किया गया है, वहां नियोजक विहित समय के भीतर कर्मचारी को, संदत्त कर की रकम के उस दर के ब्यौरे, जिस पर कर संदत्त किया गया है और अन्य विशिष्टियां देते हुए, विहित प्ररूप में एक प्रमाणपत्र देगा।

यह भी प्रस्ताव किया जाता है कि कर्मचारी को, उसकी ओर से नियोजक द्वारा, परिलब्धियों (जो धनीय संदायों के माध्यम से उपलब्ध नहीं कराई गई हैं) की प्रकृति की आय पर संदत कर के संबंध में प्रत्यय देने के लिए आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 199 का संशोधन किया जाए।

यह भी प्रस्ताव किया जाता है कि आय-कर अधिनियम,1961 की धारा 195क का संशोधन किया जाए जिससे कि नियोजक द्वारा कर्मचारी की ओर से, परिलब्धियों (जो धनीय संदायों के माध्यम से उपलब्ध नहीं कराई गई हैं) की प्रकृति की आय पर संदत कर को स्रोत पर कर की कटौती के प्रयोजन के लिए कर्मचारी की आय की संगणना से अपवर्जित किया जा सके।

यह प्रस्ताव किया जाता है कि आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 198 का संशोधन किया जाए, जिससे कि यह उपबंध किया जा सके कि नियोजक द्वारा कर्मचारी की ओर से परिलब्धियों (जो धनीय संदायों के माध्यम से उपलब्ध नहीं कराई गई हैं) की प्रकृति आय पर संदत्त कर को कर्मचारी की आय में नहीं जोड़ा जाएगा।

आय-कर अधिनियम की धारा 190 और धारा 201 में पारिणामिक और स्पष्टीकारक संशोधन प्रस्तावित हैं।

ये संशोधन 1 जून, 2002 से प्रभावी होंगे।

[खंड 4, 20, 67, 68, 78, 83, 84, 85, 86,और 87]

कम वेतन भोगी कर्मचारियों की दशा में परिलब्धियों पर कर का न लगाया जाना

धारा 17 के विद्यमान उपबंधों के अनुसार, किराया मुक्त आवास या आवास के संबंध में रियायती किराये की प्रकृति से भिन्न परिलब्धियों (जो धनीय संदायों के माध्यम से उपलब्ध नहीं कराई गई हैं) को, ऐसे कर्मचारियों की दशा में, जिनकी "वेतन" शीर्ष के अधीन आय पचास हजार रूपए से अनधिक है, वेतन आय में नहीं जोड़ा जाएगा।

चूंकि, नियोजक द्वारा कर्मचारी की ओर से ऐसी परिलब्धियों पर कर के संदाय के विकल्प को निर्धारण वर्ष 2003-2004 से प्रवर्तित करने का प्रस्ताव है, इसलिए संक्रमणकालीन वर्ष में, जिसमें ऐसा कोई विकल्प उपलब्ध नहीं है, यह प्रस्ताव किया जाता है कि निर्धारण वर्ष 2002-2003 के लिए ऐसे कर्मचारियों की दशा में, जिनकी आय "वेतन" शीर्षक के अधीन एक लाख रुपए से अनधिक है, सभी परिलब्धियों को कर से छूट दी जाए।

यह संशोधन 1 अप्रैल,2002 से प्रभावी होगा और तदनुसार, केवल निर्धारण वर्ष 2002-2003 के संबंध में लागू होगा। ***[खंड 11]***

संपूर्ण भारत या किसी संपूर्ण राज्य में महत्वपूर्ण संस्थाओं के कर्मचारियों को विस्तारित स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम के अधीन प्राप्त रकम पर छूट

धारा 10 के खंड (10ग) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन कंपनियों, प्राधिकरणों, आदि के किसी कर्मचारी द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की किसी स्कीम या स्कीमों; अथवा स्वैच्छिक पृथक्करण की किसी स्कीम के अनुसार, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति या सेवा के पर्यवसान के समय पर प्राप्त रकम पांच लाख रुपए की सीमा तक ऐसे कर्मचारी की कुल आय में सम्मिलित नहीं की जाती है।

धारा 10 के खंड (10ग) में संशोधन का प्रस्ताव किया जाता है जिससे कि छूट की परिधि को, ऐसी किसी ऐसी संस्था के, जिसका महत्व संपूर्ण भारत में या किसी राज्य या राज्यों में है और जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा उक्त खंड के प्रयोजनों के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, कर्मचारियों पर विस्तारित करके व्यापक बनाया जा सके।

यह प्रस्तावित संशोधन भूतलक्षी रूप से 1 अप्रैल, 2002 से प्रभावी होगा और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2002-2003 और पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।
[खंड 4(ज)]

संसाधन जुटाना

धारा 88 के अधीन कर के रिबेट का सुव्यवस्थीकरण

आय-कर अधिनियम की धारा 88, जीवन बीमा प्रीमियम, भविष्य निधि आदि के अभिदाय पर व्यष्टियों या हिन्दू अविभक्त कुटुम्बों द्वारा संदेय आय-कर से कटौती के लिए उपबंध करती हैं। कटौती, विनिर्दिष्ट लिखतों में विनिधान की गई कुल रकम के 20 प्रतिशत के बराबर है। लेखक, नाट्यलेखन, कलाकार, संगीतकार या खिलाड़ियों के मामले में, ऐसी लिखतों में विनिधान की गई रकम के 25 प्रतिशत के बराबर कटौती है। ऐसे करदाताओं के लिए, जिनकी सकल वेतन आय 1 लाख रुपए (धारा 16 के अधीन अनुज्ञात कटौती के पूर्व) से अधिक नहीं है और जिन मामलों में, सकल वेतन आय, सभी अन्य स्रोतों से कुल सकल आय के 90% से कम नहीं है, उनमें कटौती 30% की दर पर उपलब्ध है।

अल्प बचतों को बनाए रखने की लागत बहुत अधिक है और कतिपय विनिर्दिष्ट अल्प बचतों के मामले में, धारा 88 के अधीन कर के रिबेट के कारण, ऐसी बचतों की प्रभावी लागत अत्यधिक उच्च और खर्चीली है। इस दृष्टि से, धारा 88 के अधीन कर रिबेट की दर को सुव्यवस्थित करने के लिए संशोधन प्रस्तावित है। यह प्रस्ताव है कि उन व्यक्तियों के लिए, जिनकी कुल सकल आय (अध्याय 6क के अधीन कटौती से पूर्व) 1,50,000 रुपए से अधिक है किन्तु 5 लाख रुपए से अधिक नहीं है वहां रिबेट की दर 10% होगी। तथापि, कम आय के समूह के लिए बचत करने के प्रोत्साहन के रूप में, विधेयक, उन करदाताओं के लिए जिनकी कुल सकल आय (अध्याय 6क के अधीन कटौती से पूर्व) 1,50,000 रुपए से अधिक नहीं है, 20% के रिबेट को जारी रखना प्रस्तावित करता है। आगे, वेतनभोगी वर्ग की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, उन वेतनभोगी करदाताओं, जिनकी सकल वेतन आय 1 लाख रुपए (धारा 16 के अधीन कटौती अनुज्ञात करने से पूर्व) से अधिक नहीं है, और जहां अन्य स्रोतों से कुल सकल आय 90% से कम नहीं है वहां 30% की दर पर रिबेट उन व्यक्तियों के मामले में उपलब्ध नहीं होगी जिनकी कुल सकल आय (अध्याय 6क के अधीन कटोती से पूर्व) 5 लाख रुपए से अधिक है।

यह उपबंध करने के लिए यह भी प्रस्ताव किया जाता है कि संदत्त या निक्षिप्त राशियों का पूर्ववर्ती वर्ष की कर प्रभार्य आय में से होना आवश्यक नहीं है। यह भी प्रस्ताव किया जाता है कि पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान किसी भी समय राशियां संदत्त या निक्षिप्त की जा सकेंगी, किन्तु कटौती राशियों के उतने योग पर उपबब्ध होगी, जो पूर्व वर्ष के दौरान कर प्रभार्य कुल आय से अधिक न हो।

सुव्यवस्थीकरण किए जाने के लिए यह भी प्रस्ताव है कि खिलाड़ी,कलाकार आदि के लिए 25% की विशेष दर वापस ली जाए।

यह प्रस्ताव किया जाता है कि अस्सी हजार रुपए की अर्हित विनिधान की विद्यमान सीमा को जारी रखा जाए।

प्रस्तावित संशोधन 1 अप्रैल, 2003 से प्रभावी होगा और तद्नुसार, निर्धारण वर्ष 2003-2004 और पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 35]

निर्धारण वर्ष 2003-2004 के लिए मुक्त व्यापार क्षेत्रों, आदि में इकाइयों को कटौतियां और 100% निर्यातोन्मुख इकाईयों को 90% तक निर्बंधन

धारा 10क के विद्यमान उपबंधों के अधीन, मुक्त व्यापार क्षेत्रों, साफ्टवेयर तकनीकी पार्कों, इलैक्ट्रानिक हार्डवेयर तकनीकी पार्कों या विशेष आर्थिक क्षेत्रों(वि.आ.क्षे.) में स्थापित ऐसे नए उपक्रमों को, जो वस्तुओं या चीजों या कंप्यूटर साफ्टवेयर के विनिर्माण या उत्पादन में लगे हैं, निर्यात उपार्जनों से लाभों और अभिलाभों पर ऐसे लाभों के 100% के बराबर कटौती दी जाती है। धारा 10ख 100% निर्यातोन्मुख इकाइयों के निर्यात उपार्जनों के सबंध में वैसी ही कटौती उपबंधित करती है। ऐसी कटौती, ऐसे पूर्ववर्ती वर्ष के, जिसमें उपक्रम, यथास्थिति, वस्तुओं,चीजों या कंप्यूटर साफ्टवेयर का विनिर्माण या उत्पादन आरंभ करता है, सुसंगत निर्धारण वर्ष से प्रारंभ होकर लगातार दस वर्ष की अवधि के लिए उपलब्ध रहती है। कटौती की संगणना के लिए वस्तुओं या चीजों या कंप्यूटर साफ्टवेयर के निर्यात से व्युत्पन्न अभिलाभों को, ऐसी रकम को हिसाब में लेकर निकाला जाता है, जो कारबार के शुद्ध लाभों से उसी अनुपात में संबंधित है,जिस अनुपात में निर्यात आवर्त निर्धारिती द्वारा किए गए कारबार के कुल आवर्त से है।

अल्पकाल में संसाधन संग्रहण की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, संशोधन, ऐसे लाभों और अभिलाभों की, जो किसी उपक्रम को वस्तुओं,चीजों या कंप्यूटर साफ्टवेयर के निर्यात से व्युत्पन्न हुए हैं, केवल निर्धारण वर्ष 2003-2004 के लिए कटौती को 90% तक निर्बंधित करने के लिए है।

[खंड 5 और खंड 6]

कर प्रशासन का सुदृढ़ीकरण

प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण कार्यक्रम में लगे हुए संगमों और संस्थाओं को भुगतान के रूप में व्यय

धारा 35 गगखं के विद्यमान उपबंधों के अधीन, कोई कारबार या वृत्ति करने वाले निर्धारिती द्वारा ऐसे किसी संगम या संस्था को संदत्त राशियां, जिनका उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करने के लिए कार्यक्रम चलाना है या वन रोपण है, का प्रयोग ऐसे कार्यक्रमों में या वनरोपण के लिए ऐसी निधियों में जिन्हें केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए, कराधेय लाभ की संगणना करने में कटौती के लिए अनुज्ञात होगी । इस उपबंध के अधीन कटौती तब तक अनुज्ञात नहीं होगी जब तक संगम या संस्था के साथ प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के ऐसे कार्यक्रम, जिसके लिए राशि का संदाय किया गया है, को विहित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित न कर दिया जाए ।

धारा 80 छछक के विद्यमान उपबंधों के अधीन, किसी संगम या संस्था, जिसे धारा 35 गगखं के प्रयोजनों के लिए विहित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया है, को संदत्त राशि का प्रयोग प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण या वनरोपण के किसी अनुमोदित कार्यक्रम में किया जाता है, किसी निर्धारती की, जो कोई कारबार या वृत्ति नहीं कर रहा है , कराधेय आय संगणना करने में कटौती के लिए अर्हित होगी । ऐसी ही कटौती उन मामलों में भी उपलब्ध है जहां राशियां वनरोपण के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित निधि को संदत्त की जाती हैं ।

विधेयक उक्त धाराओं का ऐसे मामलों में, जहां राशियां 31 मार्च, 2002 के पश्चात् संदत्त की गई हों, कटौती अनुज्ञात न करने के लिए उपबंध करने के लिए है, चूंकि धारा में यह सुनिश्चित करने के लिए मानीटरिंग उपबंध नहीं है इसलिए प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और वनरोपण के अनुमोदित कार्यक्रम चलाने के लिए अनुमोदित संस्थाओं और संगमों को किए गए संदाय उक्त प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाते है। तथापि, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और वनरोपण के कार्यक्रमों को, नियम 11ट के साथ पठित धारा 35कग के प्रयोजन के लिए परियोजना या स्कीमों की सिफारिशें करने हेतु मार्गदर्शन सिद्धांतों में सम्मिलित किए जाने का प्रस्ताव है।

प्रस्तावित संशोधन 1 अप्रैल, 2003 से प्रभावी होगा और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2003-2004 और पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

[खंड 17, 30]

संगमों/संस्थाओं को अनुमोदन के प्रत्याहरण के मामलों में या पात्र परियोजनाओं या स्कीमों की अधिसूचना के प्रत्याहरण के मामले में प्राप्त रकमों/संदानों का आय के रूप में कर लगाया जाना

धारा 35 कग के विद्यमान उपबंधों के अधीन, पूर्व वर्ष के दौरान राष्ट्रीय समिति द्वारा किसी पब्लिक सैक्टर कंपनी या स्थानीय निकाय या किसी संगम या किसी संस्था को राष्ट्रीय समिति द्वारा पात्र परियोजना या स्कीम चलाने के लिए अनुज्ञात किया गया है, व्यय की गई रकम की कटौती करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा । पात्र परियोजना या स्कीम से जनता के सामाजिक और आर्थिक कल्याण का संवर्धन करने या लोक उत्थान करने के लिए जैसे कि केन्द्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में राष्ट्रीय समिति की सिफारिश पर विनिर्दिष्ट अधिसूचित परियोजनाएं या स्कीमें अभिप्रेत है । तत्समान रूप से धारा 80 छछक ऐसे मामलों में कटौती का उपबंध करती है जहां निर्धारिती कोई कारबार या वृत्ति नहीं कर रहा है । उक्त धारा की उपधारा (4) यह उपबंध करती है कि जब राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाए कि कोई परियोजना या स्कीम किन्हीं शर्तों के अनुसार नहीं चलाई जा रही है तो वह संगम या संस्था को पहले दिए गए अनुमोदन का प्रत्याहरण कर सकती है । उपधारा (5) भी इस अधिसूचना के प्रत्याहरण का उपबंध करती है कि जहां परियोजना या स्कीम सभी या किन्हीं शर्तों के अधीन नहीं चलाई जा रही है जिनको आधार पर ऐसी परियोजना या स्कीम अधिसूचित की गई थी ।

धारा 35 कग का यह उपबंध करने के लिए संशोधन करने का प्रस्ताव है कि ऐसे मामलों में, जहां राष्ट्रीय समिति किसी संगम या संस्था को अपने द्वारा दिए गए अनुमोदन का इस आधार पर प्रत्याहरण कर लेती है कि परियोजना या स्कीम सभी या किसी ऐसी शर्त के अनुसार नहीं चलाई जा रही है जिसके अधीन रहते हुए अनुमोदन प्रदान किया गया था या अधिसूचना जिसके माध्यम से परियोजना या स्कीम अधिसूचित की गई थी प्रत्याहृत कर ली जाती है, तो कंपनी या प्राधिकारी या संगम या संस्था द्वारा, यथास्थिति, अभिदान या संदान की सारी रकम या किसी कंपनी द्वारा प्रत्यक्ष रूप से पात्र परियोजना या स्कीम के संबंध में उपगत व्यय, जिसके लिए राष्ट्रीय समिति द्वारा अनुमोदन प्रत्याहृत कर लिया गया था, को कंपनी या प्राधिकारी या संगम या संस्था, यथास्थिति, उस वर्ष की आय माना जाएगा जिसमें ऐसे अनुमोदन या सूचना का प्रत्याहरण किया गया था । ऐसी आय को अधिकतम उपांतिक दर पर इस प्रकार कराधेय किया जाएगा मानो ऐसी आय को, आय-कर अधिनियम के किसी भी उपबंध के अधीन छूट प्राप्त न हो । यह ऐसी कंपनी या प्राधिकारी या संगम या संस्था को इस अधिनियम के किसी भी उपबंध के अधीन अन्यथा उपलब्ध छूट के होते हुए भी होगा ।

प्रस्तावित संशोधन 1 अप्रैल, 2003 से लागू होगा और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2003-2004 और पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

[खंड 16]

व्यक्तियों की परिभाषा का स्पष्टीकरण

धारा 2 के खंड (31) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन, "व्यक्ति" पद में कोई व्यष्टिक, हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब, कंपनी, फर्म, व्यष्टियों का संगम, चाहे निगमित हो या नहीं, स्थानीय निकाय और प्रत्येक ऐसा कृत्रिम विधिक व्यक्ति सम्मलित है जो उपर्युक्त में से किसी के अधीन नहीं आता है ।

यद्यपि, व्यक्ति की परिभाषा समावेशित है और "जब तक संदर्भ से अन्यथा अभिप्रेत न हो" अर्हक शब्दों से शुरू होती है, कुछ मामलों में दावा किया गया है कि कतिपय निकाय धारा (2) के खंड (31) में उपबंधित व्यक्ति की परिभाषा के अन्तर्गत केवल इसी कारण से नहीं आते हैं कि उनसे किसी आय या लाभ और अभिलाभ का होना आशयित नहीं है ।

इस संबंध में संदिग्धता से बचने के लिए और ऐसी स्थिति से भी बचने के लिए जहां ऐसे निकायों द्वारा कर का संदाय या किए गए भुगतानों पर कटौती नहीं की जाती है, धारा (2) के खंड (31) में एक स्पष्टीकरण अन्तःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि आय, लाभ या अभिलाभ अर्जित करने के प्रयोजन से व्यक्तियों का कोई निकाय या स्थानीय निकाय या प्राधिकारी या विधिक व्यक्ति का निर्माण किया गया या स्थापित किया गया या निगमित किया गया है।

यह संशोधन स्पष्टीकारक प्रकृति का है।

प्रस्तावित संशोधन भूतलक्षी रूप से 1 अप्रैल, 2002 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2002-2003 और पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 3 (ख)]

लघु अवधि के लिए निगमित, निकायों के पूर्व-निर्धारण के लिए विशेष उपबंध

इस समय, ऐसे व्यक्तियों के मामले में जो लघु अवधि के लिए अस्तित्व में हैं और उसी निर्धारण वर्ष में या उसके पश्चात् शीघ्र ही विघटित हो जाते हैं, उनका निर्धारण करने के लिए आयकर अधिनियम में कोई उपबंध नहीं है।

अतः यह उपबंध करने के लिए नई धारा 174क अंतःस्थापित करना प्रस्तावित है जिससे कि जहां निर्धारण अधिकारी को ऐसा प्रतीत होता है कि किसी विशिष्ट घटना या प्रयोजन के लिए व्यक्तियों का कोई संगम या व्यष्टियों का कोई निकाय या कृत्रिम विधिक व्यक्ति बनाया जाता है या स्थापित किया जाता है अथवा निगमित किया जाता है, वहां उसी निर्धारण वर्ष में जिसमें यह बनाया या स्थापित अथवा निगमित किया जाता है, विघटित होने की संभावना मालूम होती है, ऐसे व्यक्ति या निकाय अथवा कृत्रिम व्यक्ति की कुल आय, इसके विघटन की तारीख तक उस निर्धारण वर्ष के लिए पूर्ववर्ष की समाप्ति से अवधि के लिए उस निर्धारण वर्ष में कर प्रभार्य होगी। धारा 174 की उपधारा (2) से (6) के उपबंध, जहां तक हो सके किसी ऐसे व्यक्ति के मामले की किसी कार्यवाही को लागू होंगे जैसा कि भारत छोड़ रहे व्यक्तियों के मामले में लागू होते हैं।

प्रस्तावित संशोधन भूतलक्षी रूप से 1 अप्रैल, 2002 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2002-2003 और पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

[खंड 66]

धारा 133 क के अधीन सर्वेक्षण के दौरान पुस्तिकाओं को परिबद्व करने की शक्ति प्रदान करने के लिए उपबंध करना

आय-कर अधिनियम की धारा 133 क के विद्यमान उपबंधों के अधीन, सर्वेक्षण करने वाले आय-कर प्राधिकारी की शक्तियां लेखा पुस्तिकाओं और निर्धारिती के कारबार या वृत्ति के स्थान पर उपलब्ध अन्य दस्तावेजों के निरीक्षण, उन पर पहचान चिन्ह लगाने, या प्रतियां तैयार करने या उनसे उद्वरण लेने, या अपने द्वारा जांच की गई या सत्यापित की गई नकदी, स्टाक या मूल्यवान वस्तु या चीज की तालिका बना सकता है और किसी व्यक्ति का कथन अभिलिखित कर सकता है जो आय-कर अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही के लिए उपयोगी या उससे सुसंगत हो ।

सर्वेक्षण के दौरान पाए गए किसी साक्ष्य को नष्ट करने या उसका दुर्विनियोग रोकने के उदेश्य से आय-कर प्राधिकारी को ऐसा करने के लिए कारणों को लेखबद्व करते हुए लेखा पुस्तिकाओं या उसके द्वारा सर्वेक्षण के दौरान निरीक्षित दस्तावेजों को परिबद्व करके अपनी अभिरक्षा में रखने के लिए सशक्त करने का प्रस्ताव है ऐसी लेखा पुस्तकों या अन्य दस्तावेजों को, मुख्य आयुक्त या महानिदेशक या आयुक्त या निदेशक का अनुमोदन प्राप्त किए बिना, 15 दिन से अधिक नहीं रखेगा।

यह संशोधन 1 जून, 2002 से प्रभावी होगा । ***[खंड 55]***

आय-कर की विवरणी विलंब से फाइल करने और स्थायी लेखा संख्यांक से संबंधित व्यतिक्रमों से संबंधित शास्तियों के उपबंधों का उपातंरतण

आय-कर अधिनियम की धारा 271च सुसंगत निर्धारण वर्ष की समाप्ति से पूर्व धारा 139(1) के अधीन आय की विवरणी प्रस्तुत करने के या सम्यक तारीख से पूर्व धारा 139 (1) के पहले परन्तुक द्वारा यथा अपेक्षित विवरणी प्रस्तुत करने में असफल रहने पर पांच हजार रुपए की शास्ति का उपबंध करती है।

धारा 139(1) के अधीन और उस धारा के परन्तुक के अधीन फाइल की गई विवरणियों से संबंधित शास्तियों में असमानता को दूर करने के उद्देश्य से उस धारा को प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है, जिस धारा के प्रथम परंतुक के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने में असफल रहने पर 5 हजार रूपए की शास्ति तभी उदगृहीत की जाएगी जब सुसंगत निर्धारण वर्ष के अंत तक विवरणी फाइल नहीं की जाती है ।

आय-कर अधिनियम की धारा 272 क की उपधारा (1) के खंड (घ)में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंध के अधीन, स्थायी लेखा संख्यांक से संबंधित आयकर अधिनियम की धारा 139 क के उपबंधों को पूरा करने में असफल रहने पर 10 हजार रू0 की शास्ति उदगृहणीय है ।

स्थायी लेखा संख्यांक से संबंधित उपबंधों के अनुपालन के महत्व की दृष्टि से, उक्त खंड का धारा 272 क से उक्त खंड का लोप करने का प्रस्ताव है और उक्त अधिनियम में धारा 139क के उपबंधों का अनुपालन करने में असफल रहने पर या ऐसे स्थायी लेखा संख्याक कोट करने या सूचित करने के लिए जो मिथ्या है, या 10 हजार रू0 की शास्ति का उपबंध करने के लिए एक नई धारा 272 ख अन्तःस्थापित करने का प्रस्ताव है । ऐसी शास्ति का अधिरोपण करने से पहले निर्धारिती को सुने जाने का एक अवसर दिया जाएगा ।

आय-कर अधिनियम की धारा 273 ख में धारा 272 ख के प्रति निर्देश अन्तःस्थापित करने का यह और प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि ऐसी शास्ति अधिरोपित न की जाए यदि यह साबित कर दिया जाता है कि असफल रहने के पीछे युक्तियुक्त कारण है । प्रस्तावित संशोधन पारिणामिक प्रकृति के हैं।

ये संशोधन 1 जून, 2002 से प्रभावी होंगे। ***[खंड 98, 99, 100 और 102]***

धारा 143 के अधीन सीमित निर्गमों पर आय के निर्धारण के लिए उपबंध करना

आय-कर अधिनियम की धारा 143 में निर्धारण के लिए अधिकथित निर्धारण के लिए विद्यमान प्रक्रिया के अधीन निर्धारण अधिकारी यदि आवश्यक या समीचीन समझें तो आय-कर अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (2) के अधीन सूचना जारी करके निर्धारिती से ऐसा साक्ष्य प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकता है जिस पर वह अपनी विवरणी के समर्थन के लिए निर्भर रह सकता है । उपधारा (3) यह उपबंध करती है कि ऐसे साक्ष्य को सुनने और सारी सुसंगत सामग्री को जिसे उसने एकत्रित किया है, गणना में लेने के पश्चात निर्धारण अधिकारी कुल आय या हानि और निर्धारिती को संदेय या प्रतिसंदेय राशि का अवधारण करते हुए निर्धारण का आदेश पारित करेगा ।

चूंकि, विद्यमान प्रक्रिया के अधीन संवीक्षा के लिए फाइल की गई बहुत कम प्रतिशत की विवरणियों पर विचार किया जाता है, एक ऐसे तंत्र का उत्सर्जन करने की आवश्यकता है जो कि कटौती, भत्ते आदि के गलत दावों का निरीक्षण करे और राजस्व की हानि को रोके । इसलिए, सीमित संवीक्षा की अवधारणा शुरू करने का प्रस्ताव है जिसमें यदि किसी निर्धारण अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण हो कि किसी निर्धारिती द्वारा किया गया हानि , छूट, कटौती, भत्ते या अनुतोष का कोई दावा अननुज्ञेय है, तो वह धारा 143 की उपधारा (2) के अधीन प्रस्तावित नए खंड (क) के अधीन दावे को विनिर्दिष्ट करते हुए एक नोटिस जारी करके निर्धारिती को अपने समर्थन में साक्ष्य और विवरण प्रस्तुत करने को कहेगा । ऐसी विशिष्टियों, ऐसे साक्ष्य को सुनने के पश्चात् और ऐसी विशिष्टियों पर विचार करने के पश्चात्, वह कुल आय या हानि का धारा 143 की उपधारा (3) के प्रस्तावित नए खंड के अधीन निर्धारण करेगा, वह स्वयं को उन दावों तक ही सीमित रखेगा जिन्हें उसने सत्यापन के लिए लिया था । यदि वह यह समझता है कि मामले की, अन्य मुद्दों की और संवीक्षा करने की आवश्यकता है, तो वह विवरणी की बृहत संवीक्षा करने हेतु नोटिस जारी करने के लिए स्वतंत्र होगा, जैसा कि इस समय किया जा रहा है ।

ये संशोधन 1 जून, 2002 से प्रभावी होंगे । ***[खंड 57]***

अग्रिम कर के संदाय की बाबत सूचना

धारा 210 की उपधारा (3) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन, निर्धारण अधिकारी, ऐसे निर्धारिती को सूचना जारी करने के लिए सशक्त है जिसनें उक्त धारा की उपधारा (1) के अधीन कोई अग्रिम कर संदत्त नहीं किया है।

विधेयक, धारा 210 की उपधारा (3) के उपबंधों को सुव्यवस्थित करने के लिए प्रस्तावित है और यह उपबंध करने के लिए है कि निर्धारण अधिकारी लिखित में किसी आदेश द्वारा अग्रिम कर का संदाय करने के लिए दायी किसी व्यक्ति से अपेक्षा कर सकेगा, यदि उसकी यह राय है कि ऐसे व्यक्ति ने धारा 211 के अधीन विनिर्दिष्ट तारीखों तक अग्रिम कर की कोई विनिर्दिष्ट किश्त संदत्त नहीं की है।

यह संशोधन 1 जून, 2002 से प्रभावी होगा। ***[खंड 89]***

तलाशी और अभिग्रहण के संबंध में उपबंधों का सुदृढ़ीकरण

आय-कर अधिनियम की धारा 132 की उपधारा (1) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन, प्राधिकृत अधिकारी, अन्य बातों के साथ, किसी भवन, स्थान, जलयान, यान या वायुयान में प्रवेश करने और उनकी तलाशी लेने के लिए और तलाशी के परिणामस्वरूप पाई गई किसी भी लेखा पुस्तकों या अन्य दस्तावेजों का अभिग्रहण करने के लिए सशक्त है।

तलाशी संक्रियाओं को और प्रभावी बनाने के लिए उपधारा (1) का संशोधन किए जाने का प्रस्ताव है ताकि यह उपबंध किया जा सके कि उसमें विनिर्दिष्ट शक्तियों के अतिरिक्त, प्राधिकृत अधिकारी को कोई ऐसे व्यक्ति से सभी ऐसी लेखा बहियों या अन्य दस्तावेजों का निरीक्षण करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी को आवश्यक सुविधा प्रदान करने की अपेक्षा करने की शक्ति होगी जिसके कब्जे या नियंत्रण में कोई लेखा बही या इलेक्ट्रानिक अभिलेख के रूप में रखे गए अन्य दस्तावेज हैं।

यह उपबंध करने के लिए आयकर अधिनियम में नई धारा 275ख अंतःस्थापित करना आगे प्रस्तावित है कि यदि कोई व्यक्ति जो प्राधिकृत अधिकारी को ऐसी सुविधा प्रदान करने के लिए अपेक्षित है, ऐसा करने में असफल रहता है तो वह ऐसी अवधि के कठोर कारावास से दंडनीय होगा जिसे दो वर्ष तक बढ़ाया जा सकेगा और वह जुर्माने के लिए भी दायी होगा।

आयकर अधिनियम की धारा 279 की उपधारा (1) में धारा 275ख का प्रतिनिर्देश भी अंतःस्थापित करना प्रस्तावित है ताकि यह उपबंध किया जा सके कि धारा 279 में विनिर्दिष्ट प्राधिकारियों में से किसी एक के पूर्व अनुमोदन के सिवाय, धारा 275ख के अधीन किसी अपराध के लिए किसी व्यक्ति पर कार्यवाही नहीं की जा सके।

ये संशोधन 1 जून,2002 से प्रभावी होंगे और तदनुसार, उस तारीख को या उसके पश्चात्, आरंभ की गई तलाशी या अध्यापेक्षा के संबंध में लागू होंगे।

[खंड 53, 103 और 104]

वैज्ञानिक अनुसंधान संगम,समाचार अभिकरण, अधिसूचित न्यास या संस्था
शैक्षणिक और चिकित्सीय संस्था आदि की दशा में अनुमोदन का प्रत्याहरण या अधिसूचना विखंडित करने की शक्ति

विद्यमान उपबंधों के अधीन केन्द्रीय सरकार या विहित प्राधिकरी के पास धारा 10 के खंड (21) में निर्दिष्ट वैज्ञानिक अनुसंधान संगम,खंड (22ख) में निर्दिष्ट समाचार अभिकरण, खंड (23क) में निर्दिष्ट संगम या संस्था, खंड (23ख) में निर्दिष्ट संस्था, खंड (23ग) के उपखंड (iv),उपखंड (v),उपखंड (vi) और उपखंड (viक) में विनिर्दिष्ट निधि, न्यास, संस्था, विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्था, अस्पताल या अन्य चिकित्सीय संस्था की दशा में, जारी अनुमोदन का प्रत्याहरण या अधिसूचना विखंडित करने की स्पष्ट शक्ति नहीं है।

धारा 10 के इन खंडों का, इन खंडों में क्रमशः एक परंतुक अंतःस्थापित करके संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे कि केन्द्रीय सरकार और विहित प्राधिकारी को, यदि केन्द्रीय सरकार और विहित प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि सभी या किसी विनिर्दिष्ट शर्त का उल्लघंन किया गया है, अधिसूचना विखंडित करने या अनुमोदन का प्रत्याहरण करने की स्पष्ट शक्तियां दी जा सके। अधिसूचना को विखंडित करने या अनुमोदन का प्रत्याहरण करने के ऐसे आदेश की एक प्रति ऐसे संगम,संस्था, आदि को भेजी जाएगी और निर्धारण अधिकारी को भी भेजी जाएगी।

प्रस्तावित संशोधन 1 अप्रैल, 2003 से प्रभावी होगा और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2003-2004 और पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध लागू होगा।

[खंड 4(ढ),खंड 4(ड),खंड 4(थ),खंड 4(द) और खंड 4ध]

वैज्ञानिक अनुसंधान संस्था, समाचार अभिकरण, व्यवसाय संघ, अधिसूचित न्यास या संस्था, शैक्षाणिक और चिकित्सीय संस्था
द्वारा विवरणियां फाइल करना

विद्यमान उपबंधों के अधीन, धारा 10 के खंड (21क) में निर्दिष्ट वैज्ञानिक अनुसंधान संगम, खंड (22ख) में निर्दिष्ट समाचार अभिकरण, खंड (23क) में निर्दिष्ट संगम या संस्था, खंड (23ख) में निर्दिष्ट संस्था, खंड (23ग) के उपखंड (iv) में निर्दिष्ट निधि या संस्था, उपखंड (v) में निर्दिष्ट न्यास या संस्था, उपखंड (vi) में निर्दिष्ट कोई विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्था या उपखंड (vi)में निर्दिष्ट कोई अस्पताल या अन्य संस्था, खंड (24) के उपखंड (क) में निर्दिष्ट व्यवसाय संघ या उपखंड (ख)में निर्दिष्ट व्यवसाय संघ का संगम उस आय की, जिसके संबंध में वे निर्धारणीय है, विवरणी फाइल करने के लिए बाध्य नहीं है। अतः, यह अभिनिश्चित करना संभव नहीं है कि क्या ये निकाय उन खंडों में विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा कर रहे हैं या नहीं।

यह प्रस्ताव किया जाता है कि धारा 139 में एक नई उपधारा (4ग) अंतःस्थापित की जाए, जिससे कि यह उपबंध किया जा सके कि ऊपर वर्णित ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, यदि उसकी ऐसी कुल आय, जिसके संबंध में वह धारा 10 के उपबंधों को प्रभावी किए बिना, निर्धारणीय है ऐसी अधिकतम रकम से अधिक है जो आय-कर से प्रभार्य है, पूर्ववर्ती वर्ष की ऐसी आय की विवरणी प्रस्तुत करेगा।

धारा 272क का संशोधन किया जाना भी प्रस्तावित है, जिससे कि यह उपबंध किया जा सके कि विवरणियों के फाइल करने के परिणामस्वरूप इस धारा के अधीन शास्ति उदगृहीत की जा सकेगी।

प्रस्तावित संशोधन 1 अप्रैल, 2003 से प्रभावी होगा और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2003-04 और पश्चातवर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 56 और खंड 100]

वैज्ञानिक अनुसंधान संस्था, समाचार अभिकरण, अधिसूचित न्यास या संस्था शैक्षाणिक और चिकित्सीय संस्था आदि की दशा में निर्धारण किए जाने की प्रक्रिया

विद्यमान उपबंधों के अधीन धारा 10 के खंड (21),खंड (22ख), खंड (23क), खंड (23ख) और खंड (23ग)(iv),(v),(vi) और (viक) में उल्लिखित इकाइयां विवरणियां फाइल करने के लिए बाध्य नहीं थी, क्योंकि उनकी आय,कुल आय में सम्मिलित नहीं की जाती थी। इसलिए, यह अभिनिश्चित करना संभव नहीं था कि क्या ये इकाइयां उन शर्तों का पालन कर रही थी जिनके अधीन उनकी आय को धारा 10के अधीन छूट प्राप्त थी। ये इकाइयां या तो अनुमोदित हैं अथवा अधिसूचित हैं और उनके द्वारा उनकी आय की विवरणी फाइल करना अपेक्षित होगा ।

धारा 143 का संशोधन करने का प्रस्ताव किया जाता है, जिससे कि यह उपबंधित किया जा सके कि धारा 10 के खंड (21) में निर्दिष्ट ऐसा वैज्ञानिक अनुसंधान संगम, खंड (22ख) में निर्दिष्ट ऐसा समाचार अभिकरण,खंड (23क) में निर्दिष्ट ऐसा संगम या संस्था या खंड (23ख) में निर्दिष्ट संस्था या खंड (23ग) के उपखंड (iv) में निर्दिष्ट ऐसी निधि या संस्था अथवा उपखंड (v) में निर्दिष्ट ऐसा न्यास या संस्था अथवा उपखंड (vi) में निर्दिष्ट ऐसा कोई विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्था या उप खंड (viक) में निर्दिष्ट ऐसा कोई अस्पताल या अन्य संस्था, में से प्रत्येक की दशा में, जिससे धारा 139 की उपधारा (4ग) के अधीन आय की विवरणी फाइल करना अपेक्षित है, निर्धारण अधिकारी ऐसे वैज्ञानिक अनुसंधान संगम, समाचार अभिकरण, संगम या संस्था या निधि या न्यास या विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक-संस्था या किसी अस्पताल या अन्य चिकित्सीय संस्था की कुल आय या हानि का (धारा 10 के उपबंधों को प्रभावी किए बिना) निर्धारण आदेश तक नहीं करेगा जबकि उसने केन्द्रीय सरकार या विहित प्राधिकारी को, जहां उसके विचार से ऐसे खंडों मे अंतर्विष्ट उपबंधों का उल्लघंन हुआ है, ऐसे उल्लघंन की संसूचना न दे दी हो और उक्त संसूचना के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अधिसूचना विखंडित न कर दी गई हो या विहित प्राधिकारी द्वारा दिए गए अनुमोदन का प्रत्याहरण न कर लिया गया हो।

चूंकि केन्द्रीय सरकार को संसूचना भेजने की प्रक्रिया और अधिसूचना को विखंडित करने वाले या अनुमोदन का प्रत्याहरण करने वाले आदेश की प्राप्ति में समयांतर होगा,इसलिए धारा 153 का संशोधन करने का भी प्रस्ताव किया जाता है, जिससे कि यह उपबंध किया जा सके कि उस तारीख से, जिसको निर्धारण अधिकारी धारा 143 की उपधारा (3) के परंतुक के खंड (क) के अधीन धारा 10 के खंड(21) या खंड (22ख) या खंड (23क) या खंड(23ख) या खंड (23ग) के उपखंड(vi) या उपखंड (v) या उपखंड (viक) के उपबंधों के उल्लघंन की संसूचना केन्द्रीय सरकार या विहित प्राधिकारी को करता है, आरंभ होकर उस तारीख को, जिसको इन खंडों के अधीन, यथास्थिति, अनुमोदन का प्रत्याहरण या अधिसूचना का विखंडन करने वाले आदेश की प्रति निर्धारण अधिकारी को प्राप्त होती है, समाप्त होने वाली अवधि को इस धारा के अधीन परिसीमा की अवधि की गणना के लिए सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2003 से प्रभावी होंगे और निर्धारण वर्ष 2003-04 और पश्चातवर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

[खंड 57 और खंड 58]

किसी निधि, न्यास या संस्था, विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्था और अस्पताल या अन्य चिकित्सीय संस्था की आय के संचयन के लिए उपांतरित शर्तें और ऐसे संचयन में से संदायों या जमा पर निबंधन

धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (iv) या उपखंड (v) या उपखंड (vi) या उपखंड (viक) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंध, अन्य बातों के साथ, आय के पच्चीस प्रतिशत का संचयन, बिना किसी शर्त के असीमित अवधि के लिए अनुज्ञात करते हैं।

असीमित अवधि के लिए आय के पच्चीस प्रतिशत का संचयन अनुज्ञात करने वाले उपबंधों का लोप करके और यह उपबंध करके कि जहां 1 अप्रैल, 2002 को या उसके पश्चात् आय का संचयन किया जाता है, ऐसे संचयन की कुल अवधि किसी भी दशा में, पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी, धारा 10 के खंड (23ग) में संशोधन करने का प्रस्ताव किया जाता है।

धारा 10 के खंड (23ग) में एक परंतुक अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव किया जाता है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि जहां उपखंड (iv) या उपखंड (v) या उपखंड (vi) या उपखंड (viक) में निर्दिष्ट निधि या न्यास या संस्था या कोई विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्था या कोई अस्पताल या अन्य चिकित्सीय संस्था प्राप्ति के वर्ष के दौरान अपनी आय को उपयोजित नहीं करती है और उसका संचयन करती है, वहां ऐसे संचयन में से धारा 12कक के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी न्यास या संस्था या उपखंड (iv) तया उपखंड (v) या उपखंड (vi) या उपखंड (viक) में निर्दिष्ट किसी निधियां या संस्था या किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्था या किसी अस्पताल या अन्य चिकित्सीय संस्था को किया गया संदाय या जमा आय का ऐसे उद्देश्यों के लिए, जिसके लिए इकाई की स्थापना की गई है, उपयोजन नहीं माना जाएगा।

ये संशोधना 1 अप्रैल, 2003 से प्रभावी होंगे और तदनुसार, निर्धारण वर्ष, 2003-04 और पश्चातवर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

[खंड 4(ध)]

किसी पूर्त या धार्मिक न्यास की आय के संचयन के लिए उपांतरित शर्तें

धारा 11 की उपधारा (1) के खंड (क) और खंड (ख) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन किसी न्यास की आय के पच्चीस प्रतिशत का संचयन, बिना किसी शर्त के, अनिश्चित अवधि के लिए किया जा सकता है।

अब यह उपबंध करने का प्रस्ताव किया जाता है कि यदि न्यास के अधीन धारित संपत्ति से व्युत्पन्न ऐसी संपूर्ण आय को, जिसे पूर्त या धार्मिक प्रयोजनों के लिए उपयोजित नहीं किया जाता है किन्तु ऐसे प्रयोजनों पर उपयोजन के लिए नहीं

(i) संचयन किया जाता है या वह पृथक् रखी जाती है,

(ii) अंतिम रूप से पृथक रखी जाती हैं,

धारा 11 की उपधारा (2) मे विहित शर्तों के अधीन रहते हुए संचयित किया जा सकता है।

उपरोक्त संशोधन के परिणामस्वरूप, धारा 11 की उपधारा (1) के विद्यमान स्पष्टीकरण को प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव किया जाता है।

यह भी प्रस्ताव किया जाता है कि धारा 11 की उपधारा (1ख) को यह उपबंध करने के लिए प्रतिस्थापित किया जाए कि जहां ऐसी किसी आय का, जिसकी बाबत उक्त उपधारा के स्पष्टीकरण के अधीन किसी विकल्प का प्रयोग किया जाता है, उस पूर्व वर्ष के दौरान, जिसमें आय प्राप्त की गई थी या उससे ठीक आगामी वर्ष के दौरान पूर्त या धार्मिक प्रयोजनों के लिए उपयोजन नहीं किया जाता है, वहां ऐसी आय को उस पूर्व वर्ष के, जिसमें आय प्राप्त की गई थी, ठीक आगामी वर्ष के पूर्ववर्ती वर्ष की आय माना जाएगा।

उपधारा (2) में "का पचहत्तर प्रतिशत" शब्दों का लोप करने का भी प्रस्ताव किया जाता है, जिससे कि यह उपबंध किया जा सके कि यदि न्यास के अधीन धारित संपत्ति से व्युत्पन्न संपूर्ण आय का पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान भारत में पूर्त या धार्मिक प्रयोजनों के लिए उपयोजन नहीं किया जाता था तो उसे उपयोजित

किया गया नहीं समझा जाता, अपितु उसका संचयन किया जाता है या पृथक् रखा जाता है तो इस प्रकार संचयित या पृथक् रखी गई आय को, आय प्राप्त करने वाले व्यक्ति की पूर्ववर्ती वर्ष की कुल आय में सम्मिलित नहीं किया जाएगा, परन्तु यह तब जबकि इस उपधारा में विर्निर्दिष्ट शर्तों का पालन किया जाता है।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2003 से प्रभावी होंगे और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2003-2004 और पश्चात्वार्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

[खंड 7]

पूर्त या धार्मिक न्यासों की संचयित आय के उपयोजन पर निर्बंधन

धारा 11 की उपधारा (2) में नीचे एक स्पष्टीकरण अंतःस्थापित करने का और प्रस्ताव किया जाता है जिससे कि यह उपबंध किया जा सके कि उस उपधारा के स्पष्टीकरण के साथ पठित उपधारा (1) के खंड (क) या खंड (ख) में निर्दिष्ट न्यास के अधीन धारित संपत्ति से आय में से, जिसका उपयोजन नहीं किया गया है अपितु संचयन किया गया है या पृथक् रखा गया है, धारा 12कक के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी न्यास या संस्था अथवा धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (iv) या उपखंड (v) या उपखंड (vi) या उपखंड (viक) में निर्दिष्ट किसी निधियां संस्था या न्यास या किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्था या अन्य अस्पताल या अन्य चिकित्सीय संस्था को, या तो संचयन की अवधि के दौरान या उसके पश्चात् संदत्त या जमा की गई किसी रकम को आय का पूर्त या धार्मिक प्रयोजनों के लिए उपयोजन नहीं समझा जाएगा।

इस प्रकार, प्राप्ति वर्ष में न्यास के अधीन धारित संपत्ति की आय में से अन्य न्यासों और संस्थाओं को किए गए संदायों को आय का उपयोजन समझा जाता रहेगा। तथापि, संचयित आय में से किए गए किसी संदाय को आय का उपयोजन नहीं माना जाएगा और उस पर तद्नुसार, कर लगाया जाएगा।

धारा 11 की उपधारा (3) में एक नया खंड (घ) अंतःस्थापित करने का भी प्रस्ताव किया जाता है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि यदि उक्त धारा की उपधारा (2) में निर्दिष्ट कोई आय, धारा 12कक के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी न्यास या संस्था को अथवा धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (iv) या उपखंड (v) या उपखंड (vi) या उपखंड (viक) में निर्दिष्ट किसी अस्पताल या संस्था या न्यास या किसी विश्वविद्यालय, या अन्य शैक्षणिक संस्था या किसी अस्पताल या अन्य चिकित्सीय संस्था को संदत्त या उसमें जमा की जाती है तो ऐसा संदाय या जमा, न्यास के अधीन धारित संपत्ति से आय प्राप्त करने वाले व्यक्ति की, ऐसे पूर्ववर्ती वर्ष की, जिसमें ऐसा संदाय या जमा किया जाता है, आय समझा जाएगा।

यह और प्रस्ताव किया जाता है कि उपधारा (3क) में एक परतुंक अंतःस्थापित किया जाए जिससे यह उपबंध किया जा सके कि निर्धारण अधिकारी धारा 11 की उपधारा (3) के प्रस्तावित खंड (घ) में निर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए संदाय या किए गए जमा के माध्यम से संचयित आय का उपयोजन अनुज्ञात नहीं करेगा या निर्धारण अधिकारी के अन्य पूर्त या धार्मिक न्यासों और संस्थाओं को संदाय या जमा करने के लिए न्यासों को संचित आय का उपयोजन अनुज्ञात करने के उपधारा (3) में विवेकाधिकार वापस लेता है।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2003 से प्रभावी होंगे और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2003-04 और पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

[खंड 7]

सीमाशुल्क

टिप्पण : *(क) "सीमाशुल्क" से सीमाशुल्क अधिनियम 1962 के अधीन उद्‌गृहीत सीमाशुल्क अभिप्रेत है।*

(ख) प्रतिशुल्क से सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 3 के अधीन अतिरिक्त सीमाशुल्क अभिप्रेत है।

(ग) विशेष अतिरिक्त शुल्क से सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 3क के अधीन अतिरिक्त सीमाशुल्क अभिप्रेत है।

सीमाशुल्क के बारे में मुख्य प्रस्ताव निम्नलिखित हैंः

I. साधारण दर संरचना :-

क. कम की गई मूल्यानुसार सीमाशुल्क की उच्चतम दर

- सीमाशुल्क की उच्चतम दर को 35% से कम करके 30% किया गया है।

ख. कृषिः

(i) चाय और काफी पर सीमाशुल्क को 70% से बढ़ाकर 100% कर दिया गया है।

(ii) मसाले (मिर्च, लौंग और बड़ी इलायची), प्राकृतिक रबर और खसखस पर सीमाशुल्क को 35% से बढ़ाकर 70% किया गया है।

(iii) दालों पर सीमाशुल्क को 5% से बढ़ाकर 10% किया गया हैः विशेष अतिरिक्त शुल्क से छूट जारी रहेगी।

(iv) विनिर्दिष्ट कृषि मशीनरी और साधन (सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम के शीर्ष 84.32, शीर्ष 84.33, सीर्ष 84.36 और शीर्ष 84.37 के अंतर्गत आने वाले) पर सीमाशुल्क 25% से कम करके 15% किया गया है।

(v) 30% की शुल्क दर ऐसे अखाद्य तेल को लागू होगी जिसकी अंतर्वस्तु में 20% या उससे अधिक वसा मुक्त अम्ल है।

ग. स्टीलः

(i) उच्चतापसह कच्ची सामग्रियों, निम्न सिलिका चूना पत्थर और ग्रेफाइट इलैक्ट्रोड पर सीमाशुल्क को निम्नानुसार पुनरीक्षित किया गया हैः-

वस्तु	से	तक
- प्राकृतिक ग्रेफाइट चूर्ण	35%	25%
- एंडाल्युसाइट	25%	15%
- संगलित मुल्लीट	25%	15%
- ऐलुमिनी सीमेंट	35%	25%
- सिलिकामय धातु (99% शुद्ध)	35%	25%
- सूक्ष्म/फ्यूज्ड सिलिका	35%	25%
- निष्तापित एल्युमिनिया	35%	25%
- ब्राउन फ्यूज्ड एल्युमिनिया	35%	25%
- सिंटरित/टब्यूलर एल्युमिनिया	35%	25%
- फ्यूज्ड जिर्कोनियम	35%	25%
- सोडियम हैक्सामैटाफासफेट	35%	25%
- सिलिकान कारबाइड	35%	25%
- बोरोन कारबाइड	35%	25%
- अभिक्रियाशील एल्युमिनिया	35%	25%
- निम्न सिलिका चूनापत्थर (0.6 % से अन्यून सिलिका अंतर्वस्तु)	25%	15%
- ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड (24 इंच से ऊपर)	25%	15%

(ii) काइन ब्लैक्स के लिए एचआर एसएस को सीमाशुल्क से छूट प्राप्त है।

(iii) इस्पात संयंत्र आधारित कोरेक्स प्रौद्योगिकी द्वारा आयातित मैटकोक पर सीमाशुल्क 15% से घटाकर 5% किया गया है।

(iv) एच आर जी ओ/एच आर एन जी ओ पर सीमाशुल्क 35% से घटाकर 25% किया गया है।

(v) पोत विघटित करने पर सीमाशुल्क, प्रतिशुल्क और विशेष अतिरिक्त शुल्क से छूट के साथ-साथ, 5% से बढ़ाकर 15% कर दिया गया है।

(vi) गौण और त्रुटियुक्त इस्पात पर सीमाशुल्क 40% की आबद्ध दर तक बढ़ा दिया गया है।

घ. अलौह धातुएंः

(i) तांबा, जिंक और सीसा पर सीमाशुल्क 35% से घटाकर 25% कर दिया गया है।

(ii) टिन पर सीमाशुल्क 25% से घटाकर 15% कर दिया गया है।

(iii) एलुमिनियम पर सीमाशुल्क 25 से घटाकर 15% कर दिया गया है।

ङ सूचना प्रौद्योगिकीः

(i) आई टी ए आई करार के अधीन शुल्क रहित व्यवस्था कार्यान्वयन को 2003 से 2005तक स्थगित कर दिया गया है।

(ii) विनिर्दिष्ट सूचना प्रौद्योगिकी उत्पादों पर सीमाशुल्क, 2002 की बाध्यताओं के अनुसार, 10% से घटाकर 5% कर दिया गया है।

(iii) सूचना प्रौद्योगिकी/इलैक्ट्रानिक्स/दूरसंचार क्षेत्र के लिए विनिर्दिष्ट इंपुट पर सीमाशुल्क 25%/35% से घटाकर 5% और विनिर्दिष्ट पूंजी माल पर सीमाशुल्क 25% से घटाकर 15% किया गया है।

(iv) सेल फोन, रेडियो पेजर्स, रेडियों ट्रंकिंग टर्मिनलों पर सीमाशुल्क संरचना 5% से बढ़ाकर 10% की गई है। तथापि, प्रतिशुल्क से छूट प्राप्त है।

च. पेट्रोलियमः

क. एसकेओ पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सीमाशुल्क 5% से बढ़ाकर 10% कर दिया गया है।

ख. एस के ओ पर समानांतर वितरण प्रणाली में सीमाशुल्क 35% से कम कर के 20% कर दिया गया है।

छ. फार्मास्युटिकलः

(i) कैंसर और कुछ अन्य गम्भीर रोगों के उपचार के लिए निम्नलिखित औषधियों को पूरी तरह छूट प्राप्त औषधियों की सूची में शामिल किया गया हैः-

(क) बासीलिक्सीमैब

(ख) बैल्टैम्ट इटंरा टैकियल ससपेंन्सन

(ग) इमैटिनिव मैसिलेट

(घ) रिवेस्टीगमाइन

(ड.) रिटुक्सीमैव

(च) टैट्रोफोस्मीन

(छ) ट्रास्टूजुमैब

(ज) जोलेट्रोनिक अम्ल

(ii) विनिर्दिष्ट 88 औषधियों पर 5% की दर से सीमाशुल्क अधिरोपित किया गया है। 47 औषधियों को छूट की सूची से अपवर्जित कर दिया गया है।

(iii) जापानी एनसेफालिटिस के टीके को सीमाशुल्क से पूरी तरह मुक्त कर दिया गया है।

ज. पत्तन और विमानपत्तनः

(i) पत्तनों और विमानपत्तनों के लिए विनिर्दिष्ट उपस्करों पर सीमाशुल्क 25% से घटाकर 10% कर दिया गया है।

(ii) हवाई जहाज, हैलीकॉप्टर, ग्लाइडर, हवाईजहाजों के सिमुलेटर तथा उनके हिस्से, पुर्जे (इसमें हवाई जहाजों तथा ग्लाइडरों के रबड़ के टायर और ट्यूब सम्मलित नहीं हैं) और कच्ची सामग्रियों को सीमाशुल्क से मुक्त कर दिया गया है।

झ. अन्तरराष्ट्रीय वचनबद्धताः

(i) भारत श्रीलंका मुक्त व्यापार समझौते के अधीन विनिर्दिष्ट माल के लिए छूट को 50% विस्तारित करके 90% कर दिया गया है।

(ii) लिकर पर सीमाशुल्क 210% से कम करके 182% कर दिया गया है।

ञ. लिकर पर प्रतिशुल्क निम्नानुसार उपान्तरित किया गया हैः

प्रति केस 25 अमरीकी डॉलर तक	:	75%
अन्य	:	50%

ट. विशेष आर्थिक क्षेत्रः

विशेष आर्थिक क्षेत्रों में विकासकर्ता और विनिर्माण/प्रसंस्करण इकाईयां आयातित पूंजी माल सहित इंपुट और अन्य सामग्रियों के लिए छूट की पात्र होगी।

ठ. वस्त्र मशीनरीः

रेशम वस्त्र उद्योग की रीलिंग टविस्टिंग, न्यूतन और प्रसंस्करण मशीनरी पर सीमाशुल्क 25% से कम करके 10% कर दिया गया है। इन्हें केन्द्रीय मूल्यवर्धित कर से भी छूट दी गई है। 28 प्रसंस्करण मशीनरियों, स्वचालित शटल करघों और विनिर्दिष्ट जूट मशीनरी को भी केन्द्रीय मूल्यवर्धित कर से मुक्त किया गया है। वस्त्र मशीनरी पर छूट 28.02.2005 तक उपलब्ध रहेगी।

ड. **(क) कतिपय मदों पर 5% की दर से शुल्क अधिरोपित किया गया हैः**

1. प्याज
2. 6 विनिर्दिष्ट रासायनिक मध्यवर्ती
3. एलिसा किटें (एडस जांच किट) के विनिर्माण में इस्तेमाल होने वाली 9 मदें।
4. 88 विनिर्दिष्ट ओषध या औषधियां और उनके प्रपुंज ओषध
5. विनिर्दिष्ट चिकित्सीय उपस्कर और ऐसे विनिर्दिष्ट उपस्करों के विनिर्माण, अनुरक्षण को लिए अपेक्षित उपसाधन/फालतू पुर्जे/पुर्जे
6. विनिर्दिष्ट ईएनटी उपस्कर
7. नेत्र की शल्यक्रिया के लिए विनिर्दिष्ट उपस्कर
8. सन्दर्भ मानक
9. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आयातित संयंत्र, मशीनरी, उपस्कर, औजार, निगरानी प्रणालियां आदि।
10. विनिर्दिष्ट अनुसंधान और विकास संस्थाओं द्वारा आयातित रिकार्डड चुम्बकीय टेप, माइक्रो फिल्म वैज्ञानिक और तकनीकी उपस्कर, कम्प्यूटर आदि
11. शैक्षिक प्रकृति के वीडियो कैसेट/टेप
12. कम्प्यूटरों में अनुप्रयोग के लिए विश्वविद्यालय आयोग द्वारा आयातित रिकार्डड चुम्बकीय टेप, फ्लॉपी डिस्क
13. पशुओं का अग्न्याश्य
14. प्रशीतित पशु वीर्य और पशु वीर्य प्रशीतन उपस्कर (पशुओं के प्रजनन के प्रयोजनों के लिए)

(ख) निम्नलिखित मदों पर विशेष अतिरिक्त शुल्क अधिरोपित किया गया हैः

1. गाय, बछिया, सांड, बकरी, भेड़, सूकर, अगोंरा, खरगोश, हसंक और प्यौर लाइन कुक्कुट स्टॉक
2. पादप सामग्रियां, अर्थात्, तिलहन सब्जियों के बीज, फूल और सजावटी पादप, ट्यूबर और फूलों के बल्व, फूल पादपों की कटिंग या कलमें, बीज या फलों के पौधे और दालों के बीज जो अध्याय 6,7,8 या 12 के अधीन आते हैं।
3. कच्चा या अपरिष्कृत सल्फर
4. पिसा हुआ प्राकृतिक कैलशियम फास्फेट, प्राकृतिक एल्युमिनियम कैल्शियम फास्फेट और फास्फेटिक चाक
5. रजत चूर्ण निलबंन
6. सिल्कान रेजिनस और सिल्कान रबर

7. वुड चिप्स, स्थूल सहित काष्ठ और स्थूल रूप से वर्गाकार या अर्ध वर्गाकार काष्ठ, ईंधन काष्ठ, काष्ठ चारकोल, आदि
8. कच्ची जूट
9. परिष्कृत पैट्रोलियम परिष्करणी की स्थापना के लिए विनिर्दिष्ट माल
10. मानवीय उपयोग के लिए अनुपयुक्त मत्स्य या पुरूष कवची मोलस्क और अन्य जलचर अवशेरूकी का आटा, अवचूर्ण और गुटिका
11. झींगा भोज्य
12. एन पैराफिन/एल ए बी के विनिमार्ण के लिए किरोसीन
13. अंगूरों के लिए परिरक्षक कागज
14. हथकरघा सेक्टर के लिए कच्ची ऊन
15. अपरिष्कृत मोती, अपरिष्कृत तराशे हुए मोती, माणिक्य, मरकत और नीलम, कोरा अल्पमूल्य प्रस्तर
16. मत्स्यन और मत्स्य उत्पादों के प्रसंस्करण/परिरक्षण के लिए अन्य जलयान
17. निकर्षित्र, टग, कर्षक शिल्प
18. विनिर्दिष्ट अस्पतालों में उपयोग के लिए अस्पताल के उपस्कर
19. 15 मेवा या उससे अधिक के किरणपुंज ऊर्जा वाला रैखिक त्वरक

ढ़ प्रकीर्णः

(i) सीमेंट और अवशिष्ट राख (किलंकर) पर सीमाशुल्क 25% से घटा कर 20% कर दिया गया है।

(ii) ग्लूकोमीटरों और परीक्षण पट्टियों पर सीमाशुल्क 25% से घटाकर 10% कर दिया गया है।

(iii) अग्नि शमन उपस्कर पर विनिर्दिष्ट सीमा शुल्क 25% से घटाकर 20% कर दिया गया है।

(iv) टूथ ब्रुशों के लिए नायलान एकल फिलामेन्ट बनाने के लिए नायलान 6,12 चिपों पर सीमाशुल्क 35% से घटा कर 25% कर दिया गया है।

(v) विनिर्दिष्ट स्टूडियो उपस्कर और अर्थ स्टेशन उपस्कर पर सीमाशुल्क 35% से घटाकर 15% कर दिया गया है।

(vi) लेखन उपकरणों के पुर्जों के विनिर्माण के लिए कच्ची सामग्री पर सीमाशुल्क 35% से घटाकर 15% कर दिया गया है।

(vii) क्रीडा सामान के विनिर्माण के लिए विनिर्दिष्ट कच्ची सामग्री पर सीमाशुल्क 35% से घटा कर 15% कर दिया गया है।

(viii) तारामंडल की स्थापना के लिए अपेक्षित उपस्कर, पुर्जे और फालतू पुर्जों पर प्रतिशुल्क और विशेष अतिरिक्त शुल्क सहित सीमाशुल्क 35% से घटा कर 15% कर दिया गया है।

(ix) वायु प्रचालित विद्युत जनित्र के घुणित्रों के लिए ब्लेडों का विनिर्माण करने के लिए कच्ची सामग्री को प्रति शुल्क से छूट प्रदान की गई है।

(x) नेपाल से आयातित वनस्पति, ऐक्रिलिक सूत आवलन/विद्युत रोधी परत वाले ताम्र की तारों पर विशेष अतिरिक्त शुल्क अधिरोपित किया गया है।

(xi) पैराक्सीलीन पर सीमाशुल्क 5% से बढ़ाकर 10% कर दिया गया है।

(xii) निवास स्थान स्थानान्तरण पर सामान ले जाने सबंधी रियायत में निम्नलिखित मदें जोड़ी गई हैः-

(क) लैपटाप/नोटबुक कम्प्यूटर

(ख) डेस्कटाप कम्प्यूटर

(ग) वहनीय फोटोकापिंग मशीन;

(घ) डी वी डी (डीजिटल वीडियो डिस्क) प्लेयर;

(ङ) वी सी डी (वीडियो कैसेटडिस्क) प्लेयर

(च) चार या अधिक बर्नर वाले विद्युतीय/एल पी जी कुकिंग रेंज; और

(छ) वीडियो गृह थिएटर पद्धति

(xiii) निवास स्थान स्थानांतरण नियम (टीआर) के अधीन सामान पर मूल्य सीमा 1.5 लाख रुपए से बढ़ा कर 5 लाख रुपए कर दी गई है और उस पर शुल्क 35% से घटा कर 30% कर दिया गया है।

(xiv) "मिनि" निवास स्थान स्थानांतरण नियम के अधीन सामान पर मूल्य सीमा 30,000 रुपए के बढ़ाकर 75,000 रुपए कर दी गई है।

उत्पाद-शुल्क

टिप्पणः ***वि.उ.शु. से अभिप्रेत है विशेष उत्पाद-शुल्क।***

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्कों के संबंध में मुख्य प्रस्ताव निम्नलिखित हैं :

क. मूल्यानुसार दर ढांचा :

(I) निम्नलिखित मदों पर वि.उ.शु. का उत्सादन किया गया :

क. श्रृंगार सामग्री और प्रसाधन निर्मितियां

ख. निजी उपयोग के लिए यात्रा किट

ग. सफेद सीमेंट और अन्य सीमेंट

घ. याट और जलयान तथा प्लावमान संरचना

ङ. आयुध और गोला बारूद

च. फरदार चर्म और कृत्रिम फर के विनिर्माण

(II) ऐसी मदें जिन पर उत्पाद शुल्क 8% से बढ़ा कर 16% कर दिया गया हैः

क. द्रवीकृत पैट्रोलियम गैस

ख. किरोसीन

ग. ऑटो संपीडित प्राकृतिक गैस

घ. 10 अश्व शक्ति तक के डीजल इंजनों

ख. 4% से 8% तक वृद्धि

निम्नलिखित मदों पर उत्पाद-शुल्क 4% से बढ़ाकर 8% किया गया है :

क. टूथ ब्रश

ख. नकली आभूषण

ग. नज़र के चश्में

घ. कांच के खाने पीने के और रसोई के बर्तन

ङ श्याम और श्वेत टीवी सेट

च. 500 रुपए प्रति नग तक की कलाई घडियां और दीवार घडियां

छ. 20 रुपए प्रतिनग तक के इलैक्ट्रिक बल्ब

ज. मोमबतियां

ग. **4% पर अधिरोपण**

विनिर्दिष्ट मदों पर 4% की दर से उत्पाद-शुल्क अधिरोपित किया गया है।

घ.. **चाय**

चाय पर उत्पाद-शुल्क 2 रुपए प्रति किलोग्राम से घटाकर 1 रुपए प्रति किलोग्राम किया गया है।

ङ वस्त्रः

क. अट्टियों के रूप में सूती धागे पर उत्पाद-शुल्क छूट वापस ली गई है और 8% की दर से उत्पाद-शुल्क अधिरोपित किया गया है;

ख. प्रसंस्कृत फैब्रिक (उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम के अध्याय 51, 52, 53, 54, 55, 58, 60 के) पर उत्पाद-शुल्क 16% से घटाकर 12% किया गया है। सभी अप्रसंस्कृत फैब्रिको की दशा में, 12% के उत्पाद-शुल्क को वैकल्पिक बनाया गया है।

ग. सूत के प्रसंस्कृत बुने हुए फैब्रिकों पर वैकल्पिक आधार पर 12% की दर से उत्पाद-शुल्क अधिरोपित किया गया। किसी हथकरघा विकास अभिकरण के स्वामित्व वाले द्वारा अनुमोदित किसी कारखाने द्वारा विद्युत की सहायता से प्रसंस्कृत हथकरघा फैब्रिकों पर छूट जारी रहेगी।

घ. तैयार वस्त्रों और व्यूतित वस्त्रों पर उत्पाद-शुल्क को 16% से घटाकर 12% किया गया है।

ङ बुने हुए या क्रोशियाकृत वस्त्रों पर 12% की दर से उत्पाद-शुल्क वैकल्पिक आधार पर अधिरोपित किया गया है।

च. हथकरघा फैब्रिकों से बने रेडीमेड वस्त्रों को, विनिर्माता द्वारा इस प्रभाव की घोषणा करने और हथकरघा निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा इस प्रभाव के प्रमाणन के अधीन रहते हुए, छूट प्रदान की गई है।

छ. स्वतंत्र वस्त्र प्रसंस्करणकर्ताओं के लिए वैकल्पिक प्रशमित उदग्रहण स्कीमों का उत्सादन किया गया है।

च **पैट्रोलियम**

क. घरेलू कच्चे तेल पर उपकर 900 रुपए प्रति मीट्रिक टन से बढ़ाकर 1800 रुपए प्रति मीट्रिक टन किया गया है।

ख. पेट्रोल पर मूल्यानुसार शुल्क को 90% से घटाकर 32% किया गया है।

ग. पेट्रोल पर 6 रुपए प्रति लीटर का अधिभार अधिरोपित किया गया है। 5% इथेनोल से युक्त पेट्रोल पर अधिभार 5.25 रुपए प्रति लीटर होगा।

घ. उच्च गति डीज़ल पर उत्पाद-शुल्क को 20% से घटाकर 16% किया गया है।

ङ उत्तर पूर्व में स्थित सभी चार परिष्करणिया, अर्थात् एनआरएल, डिगबोई, गोंहाटी और बीआरपीएल सामान्य शुल्क दर के पचास प्रतिशत की दर से शुल्क का संदाय करेंगी।

छ. **लघु उद्योग**

क. ग्रेनाइट पर लघु उद्योग छूट वापस ली गई है।

ख. ऐसी एअर गनों, एअर राइफलों,एअर पिस्टलों पर, जिन्हें आयुध अधिनियम के उपबंधों से छूट प्राप्त है,लघु उद्योग छूट का विस्तारण किया गयाहै।।

ज. **शीतागार उपस्करः**

निम्नलिखित मदों को, जब उनका प्रदाय शीतागारों को किया जाए, उत्पाद-शुल्क से छूट प्रदान की गई हैः

क. चल पूर्व शीतन उपस्कर

ख. स्थैतिक पूर्व शीतन उपस्कर

ग. नियंत्रण वातावरण/उपांतरित वातावरण शीतागार के लिए नियंत्रण उपस्कर

झ **थोरियम आवसालेट और वैटल निष्कर्ष**

(i) थोरियम ओक्सालेट और वैटल निष्कर्ष

(ii) वेटल निष्कर्ष को उत्पाद-शुल्क से छूट दी गई है।

ञ. **एडस प्रतिरोधी ओषध**

निम्नलिखित एडस प्रतिरोधी ओषधों को उत्पाद-शुल्क से छूट दी गई हैः

क. लेमिवूडीन

ख. स्टावूडीन

ग. डिडनोसाइन

घ. सेक्विनावीर

ङ रिटोनावीर

च. इंडिनावीर

छ. इफाविरेंज

ज. नेलफिनावीर

झ. नितिरापाइन

ट. **उत्पाद-शुल्क के अधिकतम खुदरा कीमत आधारित निर्धारण का विस्तारः-**

निम्नलिखित मदों को अधिकतम खुदरा कीमत आधारित निर्धारण की स्कीम में सम्मिलित किया गया हैः

क. शर्करा की कतिपय निर्मितियां।

ख. ऐसी शर्करा कन्फेक्शनरी (जिसके अंतर्गत सफेद चाकलेट भी है, जिसमें कोको अंतर्विष्ट नहीं है (हार्ड बॉयल्ड टॉफी)।

ग. रंजंक सामग्री और रंजक सामग्री पर आधारित निर्मितियां।

घ. ऐसे रंजक और अन्य रंजक सामग्रियां, जिन्हें इस प्रकार का आकार या लघु पैकिंग दी गई हैं, जैसी कि घरेलू या प्रयोगशाला प्रयोजनों के लिए उपयोग की जाती है।

ङ टिकिया, नलिका, जार, बोतल, पैन में समान सामग्री या पैंकिंग के वैसे ही रूपों में कलाकार, विद्यार्थी, साइनबोर्ड पेटरों के रंग, उपांतरक रंग, मनोरंजन रंग।

च. रेसिन, सीमेंट, संधिरोधी यौगिक और अन्य मैस्टिक;पेंटरों के भरण, भवनमुख, अंतः दीवारों, फर्श और छतों या सदृश के लिए गैर परावर्तक सतही निर्मितियां।

छ. विडियों रिकोर्डिंग/रिप्रोडयूसिंग साधित्र, चाहे उनमें विडियों टयूनर समाविष्ट हो अथवा नहीं।

ज. 1000 वाट से अनधिक वोल्टता के लिए स्विचों, प्रतिसारण, फ्यूजों, क्षणिक अनुक्रिया, निरोधक, प्लगों, साकेटों, लैम्प होल्डरों, जंक्शन बाक्सों आदि।।

झ. स्वच्छता सामान और फिक्सचर।

ठ. **सेवा-कर**

(क) निम्नलिखित सेवाओं पर 5% की दर से सेवा कर अधिरोपित किया गया हैः-

(i) जीवन बीमा जिसमें जीवन बीमा से संबंधित बीमा सहायक सेवा भी सम्मलित है

(ii) स्थोरा उठाई-धराई (केवल अंतरदेशीय स्थोरा)

(iii) भंडारण और भांडागारण सेवाएं (कृषि उत्पाद और शीतागार के सिवाय)

(iv) आयोजन प्रबंधन

(v) रेल ट्रेवल एजेंट

(vi) स्वास्थ्य क्लब और व्यायाम केन्द्र
(vii) ब्यूटी पार्लर
(viii) फैशन डिजाइनर
(ix) केबल आपरेटर
(x) ड्राईक्लिीनिगं सेवाएं

(ख) बैंकों, वित्तीय संस्थाओं जिसमें गैर बैंककारी वित्तीय कंपनियां सम्मिलित हैं, को लागू विनिर्दिष्ट बैंककारी और वित्तीय सेवाओं पर सेवा कर अब उन निगमित निकायों पर विस्तारित किया गया है जो वैसी ही सेवाएं प्रदान करते हैं।

(ग) होटलों पर सेवा कर से छूट को 31-3-2003 तक विस्तारित किया गया है।

सेवा कर से संबंधित महत्वपूर्ण विधायी परिवर्तन--

(क) 6 मास से 1 वर्ष तक सेवा कर की वसूली के लिए सूचना जारी करने हेतु समय सीमा में वृद्धि करना और विनिर्दिष्ट परिस्थितियों में सेवा कर की वसूली के लिए सूचनाएं जारी करने हेतु "सुसगंत तारीख" विहित करना;

(ख) आउटपुट सेवाओं पर सेवा कर के संदाय के लिए इनपुट सेवाओं पर संदत्त सेवा कर जमा करना अनुज्ञात करना परंतु इनपुट और आउटपुट सेवा दोनों; उसी प्रवर्ग के अंतर्गत आती हों;

(ग) सहायक आयुक्त/उपायुक्त द्वारा, केन्द्रीय उत्पादशुल्क आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना 25000 से 2 लाख रुपए की शास्ति अधिरोपित करने के लिए मूल्य सीमा में वृद्धि करना।

(घ) तदनुसार, उद्ग्रहण की परिधि और शुल्क की वसूली को स्पष्ट करने के लिए 16 जुलाई, 2001 से भूतलक्षी रूप से प्रसारण सेवा से संबंधित परिभाषाओं में संशोधन करना।

ङ अंतरदेशीय वायु यात्रा कर

त्रिपुरा, असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, नागालैण्ड, मणिपुर और मिजोरम पूर्वोत्तर राज्यों और वहां से सभी रूटों पर अन्तरदेशीय वायु यात्रा कर से छूट दी गई है। यह इन राज्यों में विद्यमान वर्तमान छूट के अतिरिक्त है।

प्रकीर्ण

विशेषज्ञ समिति

I. अप्रत्यक्ष कर प्रशासन की प्रणाली की व्यापक समीक्षा करने और इस संबंध में देयों के विलंबित संदाय सिफारिशें देने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया जाएगा।

II. **मांगों और प्रतिदायों पर ब्याज**

क. मांगों पर ब्याज की दर 24% से कम कर के 15% कर दी गई है।

ख. विलंबित प्रतिदायों पर ब्याज की दर 8% होगी।

डाक शुल्क दर का वित्त विधेयक, 2002 के (खण्ड सं. 147 द्वारा) प्रस्तावित संशोधन दर्शाने वाला ज्ञापन

कतिपय डाक सामग्रियों के लिए लगाई जाने वाली शुल्क दरों की अधिकतम सीमा भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 की प्रथम अनुसूची में विहित की गई है। इस अनुसूची और अन्य सेवाओं में शामिल नहीं की गई ऐसी सामग्री और अन्य डाक सामग्री के संबंध में विहित उक्त अधिकतम सीमा के भीतर, केन्द्रीय सरकार को (भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 की धारा 7 द्वारा) भारतीय डाकघर नियम, 1933 में संशोधन करते हुए, राजपत्र में, अधिसूचना जारी करके दरों को नियत करने की शक्ति प्राप्त है।

2. नीचे दी गई सारणी में क्रम संख्या 1 से 4 और क्रम संख्यांक 5(i) और 6 पर सूचीबद्ध डाक सामग्री के संबंध में शुल्क दरों का पुनरीक्षण के प्रस्ताव में भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 की प्रथम अनुसूची में संशोधन की आवश्यकता है तथा इन्हें वित्त विधेयक में शामिल कर लिया गया है। ये परिवर्तन तथा अन्य डाक सेवाओं की शुल्क दरों का पुनरीक्षण भारतीय डाकघर नियम, 1933 में संशोधन करते हुए, किए जाएंगे।

क्रम सं.	सेवा का नाम	विद्यमान दर	प्रस्तावित दर
1.	**पत्र (लिफाफा)**	4.00 रुपए प्रति 20 ग्राम के लिए	5.00 रुपए प्रति 20 ग्राम के लिए
2.	**पत्र कार्ड (अन्तर देशीय पत्र कार्ड)**	2.00 रुपए	2.50 रुपए
3.	**मुद्रित पोस्ट कार्ड**	3.00 रुपए	6.00 रुपए
4.	**प्रतियोगिता पोस्टकार्ड**	5.00 रुपए	10.00 रुपए
5.	**बुक पोस्ट**		
	(i) बुक पैटर्न और नमूनों के पैकेट	(क) 3.00 रुपए पहले 50 ग्राम के लिए (ख) 4.00 रुपए अतिरिक्त 50 ग्राम के लिए	(क) 4.00 रुपए पहले 50 ग्राम के लिए (ख) 3.00 रुपए अतिरिक्त 50 ग्राम के लिए
	(ii) पुस्तक पैकेट जिनमें नियतकालिक पत्रिकाएं अन्तर्विष्ट हैं	(क) 2 रुपए पहले 100 ग्राम के लिए (ख) 2 रुपए अतिरिक्त 100 ग्राम के लिए (मूल्य का कोई संबंध नहीं)	(क) 1 रुपया से 20 रुपए कोई परिवर्तन नहीं (ख) 21 रुपए से 50 रुपए तक (i) 4 रुपए पहले 100 ग्राम के लिए (ii) 5 रुपए अतिरिक्त 100 ग्राम के लिए (ग) 51 रुपए और उससे अधिक (i) 8 रुपए पहले 100 ग्राम के लिए (ii) 9 रुपए अतिरिक्त 100 ग्राम के लिए
	(iii) पुस्तक पैकेट जिनमें मुद्रित पुस्तकें अन्तर्विष्ट हैं	1 रुपया प्रत्येक 100 ग्राम के लिए (मूल्य का कोई संबंध नहीं)	(क) 1 रुपया से 50 रुपए तक कोई परिवर्तन नहीं (ख) 51 रुपए से 250 रुपए तक प्रत्येक 100 ग्रा. के लिए 2 रुपए (ग) 251 रुपए या उससे अधिक 8 रुपए प्रत्येक 100 ग्राम के लिए
6.	**पार्सल**	(क) 16 रुपए पहले 500 ग्राम के लिए (ख) 15 रुपए, अतिरिक्त 500 ग्राम या इसके भाग के लिए	(क) 19 रुपए पहले 500 ग्राम के लिए (ख) 16 रुपए अतिरिक्त 500 ग्राम या इसके भाग के लिए